



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266001
CG-DL-E-08092025-266001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 2025/भाद्र 15, 1947

No. 562]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 2025/BHADRA 15, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 606(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन की गई कार्रवाइयों के निबंधनों और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे, जिनमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अनुसरण में किए गए लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जारी करना शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार जारी रहेंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "एक्सेस सेवा" का अर्थ है, वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा, और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" शब्दों को तदनुसार समझा जाएगा;
- (ख) "एक्सेस स्पेक्ट्रम" से अभिप्रेत है उपयोगकर्ता टर्मिनल (यूटी) और बेस स्टेशन के बीच ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्राधिकृत इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम;
- (ग) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राधिकरण शुल्क" से इन नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण की अवधि के लिए दरों और अंतरालों पर प्राधिकृत इकाई द्वारा देय शुल्क अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्राधिकृत एजेंसी" का अर्थ है: (i) संदेशों के अपरोधन के लिए, ददूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 के तहत परिभाषित प्राधिकृत एजेंसी; और (ii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एजेंसी;
- (च) "बेस स्टेशन" से अभिप्रेत है एक निश्चित रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन, जो उपयोगकर्ता टर्मिनल और कोर दूरसंचार नेटवर्क के बीच एक लिंक प्रदान करता है;
- (छ) "वाहक सेवा" से अभिप्रेत है एक दूरसंचार सेवा जो नेटवर्क इंटरफेस के बीच संदेश के प्रसारण की अनुमति देती है, जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता नेटवर्क इंटरफेस के रूप में संदर्भित कुछ एक्सेस विंडुओं के बीच संदेशों को प्रसारित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करती है और वाक्यांश "वाहक दूरसंचार ट्राफिक" को तदनुसार समझा जाएगा;
- (ज) "प्रसारण सेवाओं" से अभिप्रेत है स्थलीय या सैटेलाइट संचार माध्यम या दोनों के संयोजन के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम का प्रसार, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना है, और इसके सभी व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों को तदनुसार समझा जाएगा;
- (झ) "केबल लैंडिंग स्टेशन" या "सीएलएस" का अभिप्राय उस स्टेशन से है जहां अंतरराष्ट्रीय या घरेलू पनडुब्बी केबल के फाइबर समाप्त हो जाते हैं और इसमें पनडुब्बी लाइन टर्मिनेटिंग उपकरण (एसएलटीई) और पावर फाइंग उपकरण (पीएफई) समाहित होते हैं;
- (ञ) "केबल लैंडिंग स्टेशन-पायांट आफ प्रेसेंस" या "सीएलएस- पीओपी" से अभिप्रेत है सीएलएस का एक प्रकार, जहां सीएलएस से विस्तारित पनडुब्बी केबल के कुछ फाइबर जोड़े समाप्त हो जाते हैं और इसमें एसएलटीई समाहित होता है;
- (ट) "कॉल" से अभिप्रेत दूरसंचार के माध्यम से स्थापित कनेक्शन से है जो ध्वनि संचार को सक्षम बनाता है;
- (ठ) "कॉलिंग लाइन पहचान" या "सीएलआई" का अभिप्राय है कॉल करने वाले या आरंभिक उपयोगकर्ता की पहचान, निर्दिष्ट दूरसंचार पहचानकर्ता या किसी अन्य पहचान के रूप में, जिसे समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

- (३) "कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क" या "सीएनपीएन" का अभिप्राय एक स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क से है जो किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कैप्टिव उपयोग के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं को वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- (४) "कैप्टिव दूरसंचार सेवाएँ" का अभिप्राय दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत चिन्हित और प्राधिकृत कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं से है;
- (५) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 6 के तहत नियुक्त मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी;
- (६) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क" या "सीटीएन" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 में प्रदान किया गया है।
- (७) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 में दिया गया है।
- (८) "कंपनी अधिनियम" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 से है, जैसा भी मामला हो;
- (९) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है:
- बशर्ते कि किसी प्राधिकृत इकाई के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर आसीन होने के आधार पर प्राधिकृत इकाई पर नियत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा;
- (१०) "कोर दूरसंचार नेटवर्क" से अभिप्रेत दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणालियों की शृंखला से है, जो दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न भागों के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करने और मार्ग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है और कनेक्टिविटी, मार्ग निर्धारण, गतिशीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, उपयोगकर्ता प्रबंधन, नीति प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क के एक्सपोजर का प्रबंधन और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) की सर्विसिंग सहित कई आवश्यक कार्यों को संभालती है।
- (११) "महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (३) के अंतर्गत अधिसूचित किसी दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी भाग से है;
- (१२) "ग्राहक आवेदन पत्र" या "सीएएफ" का अभिप्राय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उपयोगकर्ता सूचना रिकार्ड करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रपत्र है;
- (१३) "डोमेन नाम" से अभिप्रेत है इंटरनेट जैसे टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर, संगठन या इकाई का पता;
- (१४) "डोमेस्टिक लीज़ रिकिट" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर पट्टे पर दिया गया सर्किट;
- (१५) "अर्थ स्टेशन इन मोशन" या "ईएसआईएम" से अभिप्राय है सैटेलाइट सिस्टम का एक फिक्स्ड सैटेलाइट सेवा (एफएसएस) उपयोगकर्ता टर्मिनल जो गतिशील या रुकी हुई अवस्था में जहाज, विमान या भूमि वाहन जैसे गतिशील प्लेटफॉर्म पर स्थापित होता है और सैटेलाइट से जुड़ा होता है, जो अनिवार्य रूप से दूरसंचार सेवा तक पहुंच प्रदान करे;
- (१६) "एफेक्टिव डेट" का अभिप्राय प्राधिकरण में निर्दिष्ट तिथि से है जो प्राधिकरण की प्रभावी तिथि है;
- (१७) "एमर्जेंसी रेसपोंस सर्विसेज" का अभिप्राय है किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, जिसमें बड़ी दुर्घटनाएं, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं और विषाक्त या रेडियोधर्मी सामग्री से जुड़ी घटनाएं, या समय-समय पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य आपात स्थिति शामिल है, से निपटने के लिए दूरसंचार सेवाएं;
- (१८) "एमर्जेंसी सर्विसेस" का अभिप्राय संबंधित सार्वजनिक, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, तट रक्षक या केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य सेवा से है;

- (गग) "प्रवेश शुल्क" का अभिप्राय है प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की प्राप्ति के लिए भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय शुल्क राशि;
- (घघ) "एक्सक्लुसिव इकोनोमिक ज़ोन" से अभिप्रेत है टेरीटोरियल वाटर, महाद्वीपीय शेल्फ, एक्सक्लुसिव इकोनोमिक ज़ोन और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के तहत चिन्हित क्षेत्र;
- (ङङ) "अप्रत्याशित घटना" से अभिप्रेत, निधियों की अनुपलब्धता के अलावा, किसी भी कारण या घटना से है, जो ऐसी घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा गैर-निष्पादन या प्रदर्शन में देरी का कारण बनता है, जो है:
- ऐसी इकाई के उचित नियंत्रण से परे, तथा ऐसी इकाई द्वारा प्रत्याशित या पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता था, तथा ऐसी इकाई के कहने पर नहीं लाया गया था, या
 - जो, यदि प्रत्याशित या पूर्वानुमानित है, तो ऐसी इकाई द्वारा टाला नहीं जा सकता था।
- "अप्रत्याशित घटनाओं" की उदाहरणात्मक सूची में प्राकृतिक घटनाएं या आपदाएं या ईश्वर का कोई कृत्य, भूकंप, तूफान, बाढ़, आग, विस्फोट, घोषित या अघोषित युद्ध, शत्रुता, आक्रमण, नाकाबंदी, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्य, तोड़फोड़, दंगे, हड्डताल, विद्रोह, नागरिक गड़बड़ी, राज्य का कार्य या वैधानिक प्राधिकरण का निर्देश, संगरोध प्रतिबंध, हड्डताल और तालाबंदी (जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं) शामिल हैं।
- (चच) "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" या "एफडीआई" से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- क्रण लिखत) नियम, 2019 के नियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत परिभाषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश;
- (छछ) "फार्म" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र;;
- (जज) "सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस) प्रणाली" का अभिप्राय किसी भी सैटेलाइट प्रणाली से है जो स्थिर या मोबाइल, ब्रॉड-बैंड या संकीर्ण-बैंड, वैश्विक या क्षेत्रीय, भू-स्थिर या गैर-भू-स्थिर, मौजूदा या नियोजित है जो एकल या उपग्रहों के समूह से सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, और 'जीएमपीसीएस नेटवर्क' और 'जीएमपीसीएस सेवा' फ्रेज की तदनुसार व्याख्या होनी चाहिए;
- (झझ) "होम नेटवर्क" का अभिप्राय किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में स्थापित दूरसंचार नेटवर्क से है;
- (ञञ) "इन- स्पेस" का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से है, जो अंतरिक्ष विभाग के भीतर स्वायत्त एजेंसी है जो गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को विनियमित करती है;
- (टट) "अंतर-सर्किल ट्रैफिक" का अभिप्राय एक दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र से शुरू होकर दूसरे दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र में समाप्त होने वाले दूरसंचार ट्रैफिक से है;
- (ठठ) "इंटरकनेक्शन" का अभिप्राय ऐसी वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्था से है जिसके तहत प्राधिकृत इकाइयां या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, अपने दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं को जोड़ते हैं ताकि उनके उपयोगकर्ताओं को अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के उपयोगकर्ताओं, दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हो सके;
- (डड) "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) नेटवर्क" का अभिप्राय है विदेशी वाहकों के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) नेटवर्क;
- (ढढ) "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा" का अभिप्राय है आईएलडी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा;
- (णण) "अंतरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी)" का अभिप्राय भारत के उपयोगकर्ता और भारत के बाहर के किसी उपयोगकर्ता को जोड़ने वाले एक अंतरराष्ट्रीय लीज्ड सर्किट से है;
- (तत) "इंटरनेट" एक वैश्विक प्रणाली है जो:
- इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) या इसके बाद के संवर्द्धनों या अपग्रेडशनों के आधार पर, वैश्विक रूप से युनिक एड्रेस द्वारा तार्किक रूप से एक साथ जुड़ा हुआ है; और

- (ख) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) सूट या इसके बाद के संवर्द्धनों/अपग्रेडशनों और अन्य सभी आईपी संगत प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार का समर्थन करने में सक्षम है;
- (थथ) "इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट" या "आईएक्सपी" का अभिप्राय है किसी भौतिक स्थान पर एक ऐसा दूरसंचार उपकरण जिसमें ईथरनेट स्विच होते हैं जहां कई दूरसंचार नेटवर्क इंटरनेट ट्रैफिक का आदान-प्रदान करने के लिए जुड़ते हैं;
- (दद) "इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) सेवा" का अभिप्राय है आईएक्सपी का उपयोग करके प्रदान की गई दूरसंचार सेवा;
- (धध) "इंटरनेट लीज्ड लाइन" या "आईएलएल" का अभिप्राय है वायरलाइन या वायरलेस मीडिया पर इंटरनेट नोड पर स्थित पोर्ट से उपयोगकर्ता परिसर तक अप्रतिवंधित धमता वाली कोई समर्पित लिंक;
- (नन) "इंटरनेट ऑफ थिंग्स" या "आईओटी" से अभिप्रेत है इंटरनेट पर एमटूएम संचार;
- (पप) "इंटरनेट सेवा" इंटरनेट तक पहुँचने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा है;
- (फफ) "इंटरनेट टेलीफोनी" से अभिप्रेत है इंटरनेट के माध्यम से ध्वनि संकेत सहित संदेश(संदेशों) का ट्रांसफर और इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क की व्याख्या तदनुसार की जाएगी;
- (बब) "इंटर सर्किल ट्रैफिक" से अभिप्रेत है एक ही दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उत्पन्न और समाप्त होने वाले दूरसंचार ट्राफिक;
- (भभ) "लीज्ड सर्किट" का अर्थ है एक निजी समर्पित सर्किट जो भौतिक कनेक्शन, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, सर्किट स्विच्च टेक्नोलॉजी या पैकेट स्विच्च टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दो या अधिक स्थानों को जोड़ता है;
- (मम) "लेटर ऑफ इंटेंट" या "एलओआई" से अभिप्रेत है नियम 10 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी पत्र;
- (यय) "लाइसेंस" का अर्थ है दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दिया गया लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और "लाइसेंसधारी" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (कक) "लंबी दूरी की कॉल" से अभिप्रेत है वह कॉल जो उस स्थानीय क्षेत्र जहां से वह शुरू हुई है के अलावा, किसी अन्य क्षेत्र में समाप्त होती है;
- (खखख) "लंबी दूरी नेटवर्क" विभिन्न स्थानीय नेटवर्कों के बीच स्विच्च वियरर इंटरकनेक्शन प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित फैशन में जुड़े ट्रांसमिशन और स्विचिंग दूरसंचार उपकरणों का एक दूरसंचार नेटवर्क है;
- (गगग) "लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क" या "एलपीडब्ल्यूएएन" एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है जो कम-शक्ति वाले उपकरणों को बड़ी दूरी पर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो एमटूएम संचार के लिए उपयुक्त है;
- (घघघ) "मशीन से मशीन (एमटूएम) संचार" दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच दूरसंचार का एक प्रकार है जिसमें किसी प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है;
- (ङङङङ) "मशीन टू मशीन (एमटूएम) सेवा" का अर्थ है मशीन टू मशीन (एमटूएम) संचार का उपयोग करने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा;
- (चचच) "मुख्य दूरसंचार सेवाएँ" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (2) में सूचीबद्ध दूरसंचार सेवाएँ;
- (छछछ) "विलय नियम" से अभिप्रेत है दूरसंचार (प्राधिकृत इकाइयों, के पुनर्गठन या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025;
- (जजज) "माइग्रेशन नियम" का अभिप्राय दूरसंचार (लाइसेंस से प्राधिकरण में माइग्रेशन) नियम, 2025 से है;
- (झझझ) "विविध दूरसंचार सेवाएँ" का अभिप्राय उन दूरसंचार सेवाओं से है जिनकी पहचान और जिनके लिए प्राधिकरण प्रदान करना दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 द्वारा शासित है;

- (जबज) "मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" या "एमएनपी" का अभिप्राय उस सुविधा से है जो उपयोगकर्ताओं को अपने मौजूदा दूरसंचार पहचानकर्ता को बनाए रखने की अनुमति देती है जब वे एक प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी से दूसरे में स्विच करते हैं;
- (टटट) "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क" एक प्रकार का दूरसंचार नेटवर्क है जो दो दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्रों के बीच वाहक दूरसंचार ट्रैफिक को वहन करता है या राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घरेलू बैंडविड्थ या पट्टे पर सर्किट प्रदान करता है;
- (ठठठ) "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा" का अभिप्राय है एनएलडी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा;
- (डडड) "नेटवर्क सेवा ऑपरेटर" या "एनएसओ" का अभिप्राय है एसा प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी जो प्रासंगिक दूरसंचार सेवा के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करके दूरसंचार सेवा प्रदान करता है;
- (छछछ) "नेटवर्थी" का अभिप्राय वही होगा जो अर्थ उस शब्द के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (57) में दिया गया हो;
- (णणण) "नान-टेरिस्टोरियल नेटवर्क (एनटीएन)" का अभिप्राय है दूरसंचार नेटवर्क या इसके खंड जो ट्रांसमिशन उपकरण रिले नोड या बेस स्टेशन संचालन के लिए या तो उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों (एचएपी) सहित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), या विभिन्न कंसटिलेशनों में सैटलाइटों का उपयोग करते हैं;
- (ततत) वीएनओ के संबंध में "पेरेंट एनएसओ" का अभिप्राय उस एनएसओ से है जिसके साथ ऐसा वीएनओ अपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए करार करना चाहता है, या कर चुका है;
- (थथथ) "पीयरिंग" एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक इंटरनेट नेटवर्क सीधे या आईएक्सपी के माध्यम से, और किसी तीसरे इंटरनेट नेटवर्क को शामिल किए बिना, जुड़ते हैं और ट्रैफिक का आदान-प्रदान करते हैं;
- (ददद) "पायंट आफ इंटरकनेक्शन" या "पीओआई" का वही अर्थ है जो ट्राई अधिनियम के तहत इंटरकनेक्शन विनियमों में परिभाषित किया गया है;
- (धधध) "उपस्थिति बिंदू" या "पीओपी" का अभिप्राय है प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित उचित क्षमता के दूरसंचार नेटवर्क का सिस्टम;
- (ननन) "पोर्टल" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल;
- (पपप) "निषिद्ध निवेशक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है:
- (i) सेवी द्वारा केपीटल मार्केट के एक्सेस से डीबार्ड व्यक्ति;
 - (ii) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा तब निर्धारित किया जा सकता है जब वह ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक या समीचीन समझे;
 - (iii) ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा प्राधिकरण या लाइसेंस की निवंधनों और शर्तों के अनुपालन में चूक के कारण रद्द कर दिया गया हो;
 - (iv) ऐसा व्यक्ति जो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति के नियंत्रण में था; और
 - (v) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, जिसे कोई इक्किटी शेरर रखने से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक को नियंत्रित करने से प्रतिबंधित किया गया है; जैसा भी मामला हो।
- (फफफ) "पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क" या "पीएलएमएन" का अर्थ लैंड बेस्ट पब्लिक मोबाइल नेटवर्क है;
- (बबब) "पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क" या "पीएसटीएन" का अर्थ है एक निश्चित पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क जो दो-तरफा स्विच्ड दूरसंचार सेवा प्रदान करता है;

(भभभ) "पब्लिक उपयोगिता सेवा" से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है, जो दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से आम जनता के उपयोग के लिए है;

(ममम) "रोमिंग" से तात्पर्य ऐसी दूरसंचार सेवा से है जो मोबाइल टर्मिनल उपयोगकर्ताओं को, विजिट किए गए नेटवर्क का उपयोग करके, होम नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज क्षेत्र से बाहर यात्रा करते समय, अपने होम नेटवर्क में सब्सक्राइब की गई दूरसंचार सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति देती है;

(ययय) "सैटेलाइट प्रणाली" या "सैटेलाइट नेटवर्क" से तात्पर्य एक दूरसंचार नेटवर्क से है जिसमें सैटेलाइट, सिस्टम कंट्रोल सेन्टर, गेटवे, साथ ही संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क और टर्मिनल शामिल हैं जो सैटेलाइटों और टर्मिनलों के बीच सीधे संचार चैनलों के साथ-साथ फ़ीडर लिंक के माध्यम से लैंड नेटवर्क से कनेक्शन को सक्षम करते हैं;

(ककक) "सर्विस क्षेत्र" से तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके लिए दूरसंचार सेवा के प्रावधान हेतु प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, जो दो प्रकार का हो सकता है:

- (i) राष्ट्रीय सर्विस क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र, भारत के प्रादेशिक जल और भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है; और
- (ii) दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र जो इन नियमों की अनुसूची ख में सूचीबद्ध सेवा क्षेत्रों को संदर्भित करता है;

(खखखख) "सिम" से अभिप्राय सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) से है, चाहे इसे किसी भी नाम से उच्चरित किया जाए और इसमें एम्बेडेड सिम (ई-सिम), इंटीग्रेटेड सिम (आईएसआईएम), सॉफ्ट सिम या कोई अन्य समतुल्य सिम शामिल है, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हो, जिसका उपयोग प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की पहचान करने और उसे प्रमाणित करने के लिए एक अद्वितीय दूरसंचार पहचानकर्ता और उससे संबंधित प्रमाणीकरण कुंजी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है;

(गगगग) "स्टब-केबल" से तात्पर्य केबल लैंडिंग स्टेशन से समुद्री जल में रखी गई पूर्व-विद्धाई गई, खुली-छोर वाली पनडुब्बी केबल से है;

(घघघघ) "सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड" या "एसडीआर" का अर्थ है प्रत्येक प्राधिकृत इकाई द्वारा बनाए रखा गया उपयोगकर्ता सूचना का व्यापक भंडार, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में हो सकता है;

(डडडड) "टैरिफ" का वही अर्थ होगा जो ट्राई अधिनियम के तहत जारी दूरसंचार टैरिफ आदेशों में दिया गया है;

(चचचच) "दूरसंचार साइबर सुरक्षा" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 में विनिर्दिष्ट है;

(छछछछ) "ट्राई" से तात्पर्य ट्राई अधिनियम के अंतर्गत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(जजजज) "ट्राई अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(झझझझ) "दूरसंचार सेवाओं का अद्यतन" से तात्पर्य किसी मौजूदा सिम या दूरसंचार सेवाओं को बदलने या उन्नत करने, या उपयोगकर्ता के विवरण को बदलने की प्रक्रिया से है, ऐसे उपयोगकर्ता को सौंपे गए विशिष्ट दूरसंचार पहचानकर्ता में कोई परिवर्तन किए बिना;

(अजअज) "उपयोगकर्ता टर्मिनल (यूटी)" या "उपयोगकर्ता उपकरण (यूई)" से तात्पर्य एक प्रकार के दूरसंचार उपकरण से है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है;

(टटटट) "वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर" या "वीएनओ" का अर्थ एक प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक है जो मूल एनएसओ के साथ परस्पर करार करके दूरसंचार सेवा प्रदान करता है, जो निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकता है:

- (क) अपने दूरसंचार उपकरण या प्रणाली को ऐसे एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ना, या (ख) ऐसे एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करना; और

(ठठठठ) "वीसैट" का अर्थ है अति लघु एपर्चर टर्मिनल।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

(3) केंद्रीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक या अधिक पोर्टल स्थापित एवं अधिसूचित कर सकती है।

3. प्रयोज्यता

ये नियम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र के भीतर नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की मंशा रखता है या उपबंध कर रहा है।

अध्याय 2: मुख्य दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण

4. प्राधिकारों की श्रेणियाँ

(1) दूरसंचार सेवा प्राधिकारों को निम्नलिखित चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (क) मुख्य दूरसंचार सेवाएं, (ख) विविध दूरसंचार सेवाएं, (ग) कैप्टिव दूरसंचार सेवा, और (घ) प्रसारण सेवाएं।

(2) मुख्य दूरसंचार सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित उप-श्रेणियाँ शामिल होंगी:

(क) एकीकृत सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 8 के भाग क (एकीकृत सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी;

(ख) एक्सेस सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 8 के भाग ख (एक्सेस सेवा प्राधिकरण) में यथा वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी;

(ग) इंटरनेट सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 8 के भाग ग (इंटरनेट सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी; और

(घ) लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 8 के भाग घ (लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी।

(3) इन नियमों का दायरा मुख्य दूरसंचार सेवाओं से संबंधित है और नीचे दिए गए प्रावधानों में दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ का तात्पर्य मुख्य दूरसंचार सेवाओं से होगा।

5. प्राधिकरण के प्रकार

(1) एनएसओ या वीएनओ के रूप में प्रासंगिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए मुख्य दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण प्रदान किया जा सकता है।

(2) एनएसओ अपने प्राधिकरण के दायरे में आवश्यकतानुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, व्यवस्थित या विस्तारित कर सकता है, तथा लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अपने दूरसंचार नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है।

(3) वीएनओ अपने प्राधिकरण के दायरे में आवश्यकतानुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, व्यवस्थित या विस्तारित कर सकता है और नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार एक या अधिक मूल एनएसओ के साथ पारस्पर करार कर सकता है:

(क) एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ, एकीकृत सेवा के लिए प्राधिकरण रखने वाले एनएस के साथ करार कर सकता है;

(ख) एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ किसी ऐसे एनएसओ के साथ करार कर सकता है, जिसके पास एकीकृत सेवा या एक्सेस सेवा या एक्सेस सेवा के लिए लाइसेंस है।

(ग) वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ, किसी एनएसओ के साथ करार कर सकता है, जिसके पास एकीकृत सेवा या एक्सेस सेवा, या एक्सेस सेवा के लिए लाइसेंस है;

(घ) इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करार कर सकता है, जिसके पास एकीकृत सेवा, एक्सेस सेवा या इंटरनेट सेवा के लिए प्राधिकरण हो, या भी, एक्सेस सेवा या इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस हो, यथा लागू; और

(३.) लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ, एनएसओ के साथ करार कर सकता है, जो एकीकृत सेवा या लंबी दूरी की सेवा के लिए प्राधिकरण रखता है या एनएलडी या आईएलडी सेवा का लाइसेंस देता है, यथा लागू।

बशर्ते कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रत्येक करार के संबंध में, वह सेवा क्षेत्र जिसके तहत वीएनओ दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकता है, उसके अपने सेवा क्षेत्र या उसके मूल एनएसओ के सेवा क्षेत्र में से जो भी छोटा होगा, वह होगा।

(4) एवीएनओ, उप-नियम (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, किसी दिए गए सेवा क्षेत्र में सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए एक से अधिक मूल एनएसओ के साथ करार कर सकता है, वायरलेस एक्सेस सेवा को छोड़कर, जहाँ ऐसा करार केवल एक मूल एनएसओ के साथ होगा।

स्पष्टीकरण: ऐसी परिस्थितियों में जहाँ एक ही वीएनओ किसी सेवा क्षेत्र में वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस सेवा दोनों प्रदान करना चाहता है, ऐसा वीएनओ वायरलेस एक्सेस सेवा के संबंध में एक मूल एनएसओ के साथ करार कर सकता है, जबकि वायरलाइन एक्सेस सेवा के लिए, वह एक से अधिक मूल एनएसओ के साथ करार कर सकता है।

(5) किसी मूल एनएसओ द्वारा वीएनओ तक कोई भी पहुंच संबंधित वीएनओ और एनएसओ के बीच परस्पर सहमती के आधार पर होगी:

बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार या ट्राई उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रासंगिक अधिसूचनाएं, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है।

(6) प्रत्येक मूल एनएसओ और उसके वीएनओ अपने अपने प्राधिकरणों की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के संबंध में एक-दूसरे को अग्रिम रूप से अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें ऐसे इन प्राधिकारों के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति के संबंध में भी जानकारी शामिल है, और इसके अलावा नीचे उप-नियम (7) और (8) के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(7) किसी एनएसओ के प्राधिकरण के निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या समाप्ति की स्थिति में, ऐसा एनएसओ अपने वीएनओ को, यदि कोई हो, तो निरस्तीकरण या समर्पण या प्राधिकरण की समाप्ति की प्रभावी तिथि से कम से कम तीस दिन पहले नोटिस जारी करके, ऐसे वीएनओ के लिए उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट रूप से बताते हुए सूचित करेगा।

(8) किसी वीएनओ के प्राधिकरण के निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या समाप्ति की स्थिति में, ऐसा वीएनओ अपने एनएसओ को निरस्तीकरण या अभ्यर्पण या प्राधिकरण की समाप्ति की प्रभावी तिथि से कम से कम तीस दिन पहले नोटिस जारी करके सूचित करेगा, और मोबाइल के अलावा दूरसंचार सेवाओं के लिए, वीएनओ के सभी उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता से कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना मूल एनएसओ की किसी भी टैरिफ योजना में माइग्रेट कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि मूल एनएसओ प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई टैरिफ योजना के अनुसार इस तरह के माइग्रेशन को सुनिश्चित करेगा:

बशर्ते कि वीएनओ की मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के पास एमएनपी सुविधा का उपयोग करके अपनी दूरसंचार सेवाओं को अपनी पसंद की प्राधिकृत इकाई में पोर्ट करने का विकल्प होगा।

(9) उप-नियम (6), उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के अंतर्गत निर्धारित शर्तें मूल एनएसओ और उसके वीएनओ के बीच परस्पर सहमति से बनाई जाएंगी और ऐसा करार वीएनओ या एनएसओ के प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तिथि पर समाप्त हो जाएगा।

6. प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र

मुख्य दूरसंचार सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

- (क) एकीकृत सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा और
- (ख) एक्सेस सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र दूरसंचार सर्किल या सेवा क्षेत्र होगा;
- (ग) इंटरनेट सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र या तो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र, या दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र होगा; और
- (घ) लंबी दूरी की सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा।

7. प्राधिकरण की अवधि

(1) दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण की प्रारंभिक वैधता अवधि प्रभावी तिथि से बीस वर्ष होगी, जब तक कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द नहीं कर दिया जाता है,

(2) प्राधिकरण की अवधि को नियम 18 के अधीन प्रावधान के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा।

8. प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी होगी, जिसके पास इन नियमों की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी और न्यूनतम निवल मूल्य होगा:

बशर्ते कि जहां आवेदक के पास एक या अधिक प्राधिकरण हों या वह एक या अधिक नए प्राधिकरणों के लिए आवेदन करता हो:

(क) न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी की आवश्यकता अनुसूची 'ग' के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण के लिए न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी अपेक्षिता के कुल योग के बराबर होगी।

(ख) न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता अनुसूची 'ग' के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता के कुल योग के बराबर होगी।

बशर्ते कि जहां आवेदक के पास एक या अधिक प्राधिकरण हों या वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक या अधिक नए प्राधिकरणों के लिए आवेदन करता हो, वहां न्यूनतम निवल संपत्ति और न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी की अपेक्षिता, ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति और न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी अपेक्षिता के कुल योग के बराबर होगी, क्रमशः।

(2) किसी भी आवेदक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम 9 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करते समय लागू भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि आवेदक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेशक भी भारत के लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन करेंगे।

(3) आवेदक के पास किसी निषिद्ध निवेशक से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या निषिद्ध निवेशक का नियंत्रण नहीं होगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में उसका लाभकारी हित नियम 15 की अपेक्षाओं के अनुरूप है और वह नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन अपने आवेदन के साथ केंद्रीय सरकार को किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐसे अनुपालन का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा।

(5) यदि आवेदक ऐसी इकाई है जिसके पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत लाइसेंस था और वह लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है या अभ्यर्पण कर दिया गया है या उसकी अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसे आवेदक को सभी राशियों का भुगतान करना होगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो पहले समाप्त या वापस किए गए लाइसेंस के तहत देय हैं। आवेदक द्वारा धारित प्रासंगिक लाइसेंस के अंतर्गत, विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना किए गए लागू व्याज सहित, समाप्त हो चुके लाइसेंस पर कर लगाया जाएगा।

(6) यदि आवेदक ऐसी इकाई है जिसे अधिनियम के तहत कोई प्राधिकरण प्रदान की गई है और निम्नलिखित परिस्थितियां लागू होती हैं:

(क) उसने ऐसा प्राधिकरण वापस कर दिया है, किन्तु नियम 23 के अधीन उसके संबंध में देय बकाया राशि लंबित है;

(ख) यह नियम 21 के अधीन प्रतिसंहरण के अधीन था और इसके न्यायनिर्णयन के पश्चात् इन नियमों के अधीन प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, किन्तु ऐसी अवधि के दौरान जब यह प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु इसके लिए देय बकाया राशि लंबित है; या

(ग) समय बीत जाने के कारण उसका प्राधिकरण समाप्त हो गया है, तथा उस पर लंबित देयताएं बकाया है;

तो ऐसा आवेदक जिसे इन नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाता है। सभी राशियों का भुगतान करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

9. प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से तथा ऐसे दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि इन नियमों के अधीन प्राधिकरण के लिए आवेदक कोई विद्यमान लाइसेंसधारक है, तो उसे प्राधिकरण के लिए अपने आवेदन के साथ:

(क) दूरसंचार सेवाओं की सभी श्रेणियों के लिए अपने सभी विद्यमान लाइसेंसों को दूरसंचार सेवा के लिए संगत प्राधिकरण में माइग्रेशन नियमों के अनुसार माइग्रेशन के लिए आवेदन करेगा, तथा ऐसे आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा; या

(ख) यदि माइग्रेशन के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा;

बशर्ते कि यह उपनियम उपनियम (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थितियों के संबंध में लागू नहीं होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ इन नियमों की अनुसूची 'क' में निर्धारित अप्रतिदेय प्रक्रमण शुल्क संलग्न होगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत कोई आवेदक विभिन्न सेवा क्षेत्रों में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेगा।

(5) प्राधिकृत इकाई को एक ही सेवा क्षेत्र में किसी विशिष्ट दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकरण रखने की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, जो किसी सेवा क्षेत्र में प्राधिकरण या लाइसेंस रखता है, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है या विलय नियमों के अनुसार दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करता है, जिसके दायरे और सेवा क्षेत्र में संपूर्ण रूप से वह दायरा और सेवा क्षेत्र शामिल है जिसके लिए उसके पास पहले से ही प्राधिकरण या लाइसेंस है, तो ऐसी मौजूदा प्राधिकरण या लाइसेंस नए प्राधिकरण के अनुदान या अधिग्रहण पर उसमें शामिल माना जाएगा या विलय नियमों के अनुसार पुनर्गठन किया जाएगा, तथा इस प्रकार सम्मिलित प्राधिकरण या लाइसेंस को रद्द माना जाएगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है, पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस का समामेलन और निरस्तीकरण:

(क) इसके परिणामस्वरूप, जैसा भी मामला हो, ऐसे पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस के तहत किए गए किसी भी बकाया, शास्ति, देयताओं या दायित्वों का कोई परिशमन या छूट नहीं होगी, और

(ख) ऐसे बकाया, शास्ति, देयताएं या दायित्व नए प्राधिकरण के तहत हस्तांतरित हो जाएंगे और आगे ले जाए गए माने जाएंगे, और ऐसी इकाई द्वारा देय रहेंगे और केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

10. प्राधिकरण प्रदान करना

(1) नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की जांच करने पर, केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकेगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्र पाया जाता है, तो पोर्टल के माध्यम से आवेदक को आशय पत्र जारी किया जाएगा।

(3) आवेदक को आशय पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का उसमें विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अनुपालन करना होगा, जिसमें अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के लिए विनिर्दिष्ट प्रवेश शुल्क का भुगतान और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के लिए विनिर्दिष्ट राशि की प्रारंभिक गारंटी प्रस्तुत करना शामिल है:

(क) किसी अनुसूचित बैंक या पब्लिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी,

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया बीमा जमानत बांड, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि एक वर्ष हो, या

(ग) केंद्रीय सरकार के पास ब्याज रहित प्रतिभूति जमा कराना तथा पोर्टल पर उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(4) यदि आशय पत्र में निर्धारित अपेक्षिताएं आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जाती हैं, तो ऐसा पत्र समाप्त व्यापगत समझा जाएगा, और प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले आवेदक द्वारा किए गए समय विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के आधार पर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए एक बार विस्तार प्रदान कर सकती है।

(5) आवेदक द्वारा आशय पत्र के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने पर पोर्टल पर एक अद्वितीय प्राधिकरण संख्या सूचित की जाएगी और आवेदक को इन नियमों की अनुसूची घे में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

(6) प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर आवेदक द्वारा दिए गए वक्तव्यों, प्रकथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों तथा इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी भी समय ऐसी सूचना गलत पाई जाती है तो नियम 21 और 22 के प्रावधान लागू होंगे।

(7) केंद्रीय सरकार, नियम 9 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर, आवेदक द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के साठ दिन की अवधि के भीतर, यथोचित रूप से व्यावहारिक सीमा तक, निर्णय लेने का प्रयास करेगी:

बशर्ते कि उप-नियम (4) के परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार करने के किसी निर्णय के अलावा आवेदन अस्वीकार करने के निर्णय, लिखित रूप में दिए जाने वाले विनिर्दिष्ट कारणों के साथ दिए जाएंगे।

(8) कोई भी आवेदक जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, आवेदक द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन, अधिनियम के तहत तत्संबंधी प्राधिकरण प्रदान करने पर विचार किया जाएगा, और ऐसे मामलों में, यदि प्रक्रमण शुल्क और प्रवेश शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उसे ऐसे प्राधिकरण प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रमण शुल्क और प्रवेश शुल्क में समायोजित किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण प्रदान करने के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो प्रवेश शुल्क के अंतर का भुगतान भी करना होगा।

11. गैर-अनन्य प्राधिकरण

इन नियमों के अनुसरण में प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर होगा और समान या भिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए समान या भिन्न निबंधन और शर्तों के साथ अतिरिक्त प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा उसी या अन्य सेवा क्षेत्रों में, प्राधिकृत इकाईयों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना, प्रदान किए जा सकते हैं:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार स्वयं या किसी सरकारी इकाई के माध्यम से, भारत में कहीं भी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

अध्याय 3: सामान्य शर्तें

12. अधिनियम का अनुपालन

(1) कोई भी प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी, जिसमें अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएँ, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक प्राधिकरण में सम्मिलित माना जाएगा।

(2) प्राधिकृत इकाई इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेगी, जो इन नियमों से असंगत न हों।

13. ट्राई अधिनियम का अनुपालन

प्राधिकृत इकाई ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी और इसके किसी भी गैर-अनुपालन का समाधान ट्राई अधिनियम के तहत किया जाएगा।

14. पात्रता शर्तों का निरंतर अनुपालन

(1) प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय, इन नियमों की अनुसूची ग के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (1) में विविर्दिष्ट न्यूनतम प्रदत्त इक्किटी पूँजी बनाए रखेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई तथा उसके निवेशक, प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय विदेशी निवेश से संबंधित कानूनों सहित भारत के सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन करते रहेंगे।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी प्रतिबंधित निवेशक का ऐसी इकाई में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या नियंत्रण न हो।

15. क्रॉस होल्डिंग्स पर सीमाएँ

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, जो एक्सेस स्पेक्ट्रम रखती है या किसी प्रकार की दूरसंचार सेवा या नेटवर्क की प्रदान करती है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विविर्दिष्ट किया जाए, या उसके महत्वपूर्ण शेयरधारक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई लाभकारी हित नहीं होगा जो एक्सेस स्पेक्ट्रम रखती है या उसी सेवा क्षेत्र में ऐसे विविर्दिष्ट प्रकार की दूरसंचार सेवा या नेटवर्क प्रदान करती है:

बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत सीमाएँ निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी:

(क) वीएनओ और उसके मूल एनएसओ के बीच; और

(ख) उन वीएनओ के बीच जिनका मूल एनएसओ एक ही हो।

(2) इस अधिनियम के तहत एकीकृत सेवा या एक्सेस सेवा या लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, या उसका महत्वपूर्ण शेयरधारक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई इक्किटी नहीं रखेगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनार्थ :

(क) "महत्वपूर्ण शेयरधारक" से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित बैंकों के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति से होगा, जो प्राधिकृत इकाई में दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्किटी रखता हो;

(ख) "लाभकारी हित" से अभिप्राय, संबंधित प्राधिकृत इकाई के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनियों की श्रृंखला के माध्यम से, किसी भी इक्किटी या नियंत्रण को धारण करना होगा, चाहे ऐसा व्यक्ति शेयरधारक हो या निदेशक हो या कंपनी के प्रबंधन में कोई पद धारण करता हो।

16. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व

(1) एक प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:

(क) उस वर्ष की 1 जनवरी तक अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों भारतीय और विदेशी इक्किटी धारकों का विवरण;

(ख) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट; और

(ग) नियम 15 के अनुसार किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में लाभकारी हित के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट;

इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विविर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने वैधानिक लेखा परीक्षक या किसी कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए प्रमाणीकरण के साथ।

(2) प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक, उस वर्ष की 1 जनवरी तक न्यूनतम पैड-अप इक्किटी पूँजी आवश्यकता पर एक अनुपालन रिपोर्ट, पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी, साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त कंपनी सचिव या उसके वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए, ऐसी प्राधिकृत इकाई के विधिवत प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, ऐसी प्राधिकृत इकाई को, जिनका कारोबार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो, ऐसी प्रस्तुति की आवश्यकता से छूट दे सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई :

- (क) अपनी शेयरधारिता में किसी भी परिवर्तन की सूचना, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, शेयरधारिता में ऐसे परिवर्तन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर देगी और लागू कानूनों के तहत संबंधित अनुमति प्राप्त करने सहित किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी;
- (ख) कंपनी अधिनियम के तहत जिस नाम से उसे निगमित किया गया है, उसमें किसी भी परिवर्तन की सूचना, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ, ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर देगी;
- (ग) स्वामित्व, नियंत्रण, पता और संपर्क विवरण, या किसी अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विवरण से संबंधित किसी भी परिवर्तन को, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (घ) केंद्रीय सरकार को, मांगे जाने पर, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, निर्देशानुसार दस्तावेज, खाते, अनुमान, विवरणी, रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रदान करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को एक नोडल व्यक्ति का ब्यौरा नामित करेगी और संप्रेषित करेगी, जो इन नियमों के तहत अपेक्षित कोई रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

17. प्राधिकरण के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

(1) कोई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी:

- (क) केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी प्रकार से, अपना प्राधिकरण सौंपना या हस्तांतरित करना;
- (ख) सब-लीजिंग या सब-अथोराईजेशन के लिए कोई साझेदारी या करार करना; या
- (ग) अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत निर्धारित नियमों में अनुमत सीमा और तरीके को छोड़कर, ऐसे प्राधिकरण में किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में कोई लाभ सृजित करना।

(2) कोई प्राधिकरण केवल निम्नलिखित के अनुसरण में सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है:

- (क) विलय नियमों के अनुसार किसी प्राधिकृत इकाई का पुनर्गठन या अधिग्रहण; या
- (ख) अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे प्राधिकरण को धारण करने वाली संबंधित प्राधिकृत इकाई को वित्तपोषित करने वाले किसी ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति हित का प्रयोग।

18. प्राधिकरण का नवीनीकरण

(1) एक प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्राधिकरण की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले, इन नियमों की अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट ऐसे नवीकरण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के साथ, प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है:

बशर्ते कि नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण की समाप्ति से चार महीने पहले तक प्रस्तुत किया जाएगा, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण की अवधि को बीस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत करने पर विचार करेगी, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ ऐसे नवीकरण के समय लागू विधि और नीति का अनुपालन किया जाए:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में उसके कारण भी निर्दिष्ट किए जाएँगे।

(3) जहाँ उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, या उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा प्राधिकरण मौजूदा प्राधिकरण की वैधता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा, और प्राधिकृत इकाई अपने सभी उपयोगकर्ताओं को, एमएनपी सहित, अपने प्राधिकरण की समाप्ति की प्रभावी तिथि के संबंध में कम से कम तीस दिनों का नोटिस जारी करके, ऐसे उपयोगकर्ताओं के

लिए उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट रूप से बताते हुए, सूचित करेगी और समाप्ति की प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

19. स्पेक्ट्रम का असाइंमेंट और उपयोग

(1) दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए सैटेलाईट प्रणालियों के उपयोग हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण या किसी विद्यमान प्राधिकरण के अंतर्गत अनुमति, स्पेक्ट्रम के असाइंमेंट और उपयोग का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के असाइंमेंट के लिए आवेदन कर सकती है।

(3) जहाँ कोई प्राधिकृत इकाई स्पेक्ट्रम रखती है, या संबंधित नियमों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के असाइंमेंट के लिए आवेदन करती है, वहाँ ऐसे असाइंमेंट के नियम और शर्तें, और जहाँ लागू हो, स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमत्रण सूचना (एनआईए) के नियम और शर्तें, प्राधिकरण के नियमों और शर्तों में सम्मिलित मानी जाएँगी, और प्राधिकृत इकाई, असाइंमेंट के नियमों और शर्तों के अनुरूप दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी, जिसमें, जहाँ लागू हो, संबंधित एनआईए के नियम और शर्तें, साथ ही प्राधिकरण के नियम और शर्तें भी शामिल हैं।

20. अप्रत्याशित घटना

(1) यदि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी प्राधिकरण के अंतर्गत किसी दायित्व का निष्पादन, किसी अप्रत्याशित घटना के कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से, बाधित या विलंबित होता है, और ऐसी इकाई ने उप-नियम (2) के अंतर्गत अपने अधिसूचना दायित्वों का अनुपालन कर लिया है, तो केंद्रीय सरकार ऐसी घटना की अवधि के दौरान ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में विलंब के संबंध में, न तो प्राधिकरण को रद्द करेगी और न ही ऐसी प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति का दावा करेगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार को सूचित करेगी:

बशर्ते कि प्राधिकरण के अंतर्गत दूरसंचार सेवा, ऐसी अप्रत्याशित घटना के समाप्त होने या स्थिति सामान्य होने के पश्चात, यथाशीघ्र पुनः आरंभ कर दी जाएँगी और दूरसंचार सेवा को इस प्रकार पुनः आरंभ किया जाए या नहीं, इस बारे में केंद्रीय सरकार का निर्णय और वह समय-सीमा जिसके भीतर ऐसी दूरसंचार सेवा को पुनः आरंभ किया जा सकता है या नहीं, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(3) किसी भी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की अवधि में विस्तार नहीं होगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, प्रत्येक मामले के आधार पर, अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी घटना के कारण हुई निष्क्रिय अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क को कम या माफ कर सकती है।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई अप्रत्याशित घटना के लिए किसी मुआवजे का दावा करने, या अप्रत्याशित घटना के कारण केंद्रीय सरकार के दायित्वों के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के लिए केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी क्षति का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

21. किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा डिफॉल्ट

(1) प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन या ब्रीच से संबंधित न्यायनिर्णयन और अपील दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 द्वारा शासित होंगे:

स्पष्टीकरण:

(क) यदि किसी प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है और ऐसी प्राधिकृत इकाई के लिए एक समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है और वह प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसे उल्लंघन पर दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 लागू होंगे;

(ख) यदि किसी प्राधिकृत इकाई को लिंग्विडेशन में डालने या समापन का आदेश दिया जाता है; तो केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के निवंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए, अपने पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना, ऐसी प्राधिकृत इकाई को प्रदान किए गए प्राधिकरण को रद्द कर सकेगी और इस नियम के उपनियम (5) से उपनियम (11) लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के निवारणों और शर्तों के उल्लंघन के लिए लागू ऐसी न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के अनुसरण में लगाए गए दंडों के वर्गीकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(3) जहाँ अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकरण की अवधि के निलंबन, निरसन या कटौती के संबंध में सिफारिशें की गई हों, वहाँ केन्द्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें उस पर उत्तर देने के लिए अधिकतम इक्कीस दिनों की अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात, ऐसी इकाई के प्राधिकरण को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित या कम कर सकती है, या रद्द कर सकती है:

बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकृत इकाई कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं करती है, तो केन्द्रीय सरकार अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या कटौती पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी।

(5) किसी प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या कटौती का कोई भी आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश की तिथि से इक्सठवें दिन से प्रभावी होगा।

(6) कोई प्राधिकृत इकाई, किसी कटौती, निलंबन या निरसन के आदेश को पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के अड़तालीस घंटों के भीतर सार्वजनिक करेगी :

बशर्ते कि प्राधिकरण का निलंबन, प्राधिकरण की अवधि बढ़ाने का कारण या आधार नहीं होगा।

(7) पोर्टल पर प्रकाशित उपनियम (5) के अंतर्गत आदेश के अनुसार, प्राधिकृत इकाई अपने सभी उपयोगकर्ताओं को ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर कम से कम तीस दिनों का नोटिस देगी, जिसमें एमएनपी सहित ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

(8) प्राधिकृत इकाई उपनियम (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता बनाए रखेगी।

(9) यदि किसी प्राधिकृत इकाई के प्राधिकरण को निलंबित, कम या निरस्त किया जाता है, तो वह प्राधिकरण के संबंध में या उसके अंतर्गत भुगतान किए गए किसी भी शुल्क या प्रभार की वापसी की हकदार नहीं होगी।

बशर्ते कि उस अवधि के लिए कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा जिसके लिए प्राधिकरण पूर्णतः निलंबित रहता है।

(10) कोई प्राधिकृत इकाई जिसका प्राधिकरण निरस्त किया गया है और साथ ही उसके प्रमोटर, अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जिसकी अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकती है, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11) अधिनियम की धारा 45 के तहत अधिसूचित सुरक्षा हित के नियमों में प्रदान की गई नियम और शर्तें, प्राधिकरण के किसी भी निरसन के संबंध में लागू होंगे।

22. निलंबन, निरस्तीकरण या कटौती का प्रत्यावर्तन

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, जिसका प्राधिकरण नियम 21 के उपनियम (4) के अंतर्गत निलंबित, कम या निरस्त किया गया है, निलंबन, कटौती या निरसन के आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अंतर्निहित उल्लंघन को दूर करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों को, साक्ष्य सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्रस्तुतीकरण पर समुचित विचार करने के पश्चात्, और यदि वह संतुष्ट हो कि पर्याप्त उल्लंघन का निवारण कर दिया गया है, तो निलंबन, कटौती या निरसन के आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर, प्राधिकरण को पुनः बहाल कर सकती है।

23. प्राधिकरण का अभ्यर्पण

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकरण का अभ्यर्पण करने की इच्छुक कोई प्राधिकृत इकाई , प्रस्तावित अभ्यर्पण तिथि से कम से कम साठ दिन पूर्व, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, एक आवेदन, एक वचनबद्धता और पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते कि कोई एनएसओ या बीएनओ, जो प्राधिकरण का अभ्यर्पण करना चाहता है और इस उप-नियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को आवेदन करता है, वह नियम 5 के उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने-अपने दायित्वों का भी पालन करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन को या तो स्वीकार या अस्वीकार करेगी और यदि स्वीकार कर लेती है तो सरेंडर की प्रभावी तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से इक्सठवें दिन होगी:

बशर्ते, आवेदन को अस्वीकार करने वाला कोई भी निर्णय, लिखित रूप में निर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के साथ होगा।

(3) यदि उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसे आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के सरेंडर से संबंधित विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के अड़तालीस घंटों के भीतर एक प्राधिकृत इकाई द्वारा इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(5) उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वीकृति अथवा उप-नियम (3) के अंतर्गत सम स्वीकृति के अनुसरण में, प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण को सरेंडर करने की प्रभावी तारीख के संबंध में कम से कम तीस दिनों का नोटिस जारी करके एमएनपी सहित ऐसे प्रयोक्ताओं को उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपने सभी प्रयोक्ताओं को सूचित करेगा और सरेंडर की प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता बनाए रखेगी।

(7) इस नियम के तहत अपने प्राधिकरण को सरेंडर करने वाली एक प्राधिकृत इकाई , केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सरेंडर की प्रभावी तारीख तक देय सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें प्राधिकरण शुल्क भी शामिल है।

(8) अधिनियम की धारा 45 के तहत अधिसूचित सुरक्षा हित के लिए नियमों में प्रदान किए गए निबंधन और शर्तें प्राधिकरण के किसी भी सरेंडर के संबंध में लागू होंगी।

24. राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के आधार पर निलंबन या निरसन

(1) इन नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, केंद्रीय सरकार किसी भी नोटिस अवधि के बिना, यदि, केंद्रीय सरकार की राय में, सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, या दूरसंचार के उचित प्रचालन के लिए, या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, या युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष या अन्य समान स्थितियों में पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी समय प्राधिकरण के प्रचालन को निलंबित या रद्द कर सकती है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार ऐसी कार्रवाइयों से होने वाली या उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई निलंबन या निरसन के लिए ऐसे निर्देशों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी उपाय का पालन करेगी।

(3) इस नियम के तहत प्राधिकरण का कोई भी निलंबन प्राधिकरण की अवधि के विस्तार के लिए एक कारण या आधार नहीं होगा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई शुल्क या भुगतान किए गए किसी अन्य शुल्क को वापस करने की हकदार नहीं होगी:

बशर्ते कि कोई प्राधिकरण शुल्क उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जिसके लिए प्राधिकरण पूरी तरह से निलंबित रहता है।

25. प्राधिकरण के निरसन, सरेंडर या समाप्ति के अनुसार कार्रवाई

(1) जहां किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकेशन या पीयरिंग है, जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस निरसन या सरेंडर के अधीन है या समाप्त हो गया है, या जहां किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी ने किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी को दूरसंचार संसाधन प्रदान किए हैं, जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस रद्द कर दिया गया है या सरेंडर कर दिया गया है या समाप्त हो गया है, इस स्थिति में ऐसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, इस तरह के प्राधिकरण या लाइसेंस के निरसन या सरेंडर या समाप्ति की प्रभावी तारीख पर, ऐसे इंटरकेशन या पीयरिंग को डिस्केन्ट कर देगा, और ऐसे दूरसंचार संसाधनों को वापस ले लेगा।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण के निरसन, सरेंडर या समाप्ति पर, ऐसी इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे निरसन, सरेंडर या समाप्ति की प्रभावी तिथि से वापस ले लिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण के निरसन, सरेंडर या समाप्ति पर, संबंधित प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत निर्धारित तरीके से अपने रेडियो उपकरण का प्रबंधन करेगी।

अध्याय 4: वित्तीय स्थितियां

26. शुल्क और प्रभार

(1) इस अध्याय 4 में, सकल राजस्व, लागू सकल राजस्व (एपीजीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), आईयूसी और प्रकल्पित एजीआर शब्दों के निम्न विनिर्दिष्ट संबंधित अर्थ होंगे:

- (क) एक प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में सभी प्रचालनों और गतिविधियों के माध्यम से एक प्राधिकृत इकाई को अर्जित राजस्व और ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की विक्री पर लाभ और विविध आय सहित किसी भी स्रोत से सभी आय शामिल होगी, जिसमें व्यय की संबंधित मदों के लिए कोई भी सेट-ऑफ शामिल नहीं होगा।
- (ख) समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के प्रयोजनों के लिए "लागू सकल राजस्व" या "एपीजीआर", प्राधिकृत इकाई निम्न सूचीबद्ध मदों द्वारा कम किए गए सकल राजस्व के बराबर होगा:
 - (i) दूरसंचार गतिविधियों या प्रचालन के अलावा अन्य प्रचालन से राजस्व;
 - (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकरण, अनुमति या पंजीकरण के तहत गतिविधियों से राजस्व;
 - (iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; और
 - (iv) निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व:
 - (क) लाभांश से आय;
 - (ख) ब्याज से आय;
 - (ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की विक्री पर लाभ के कारण पूँजीगत लाभ;
 - (घ) विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ;
 - (ङ) संपत्ति के किराए से आय;
 - (च) वीमा दावे;
 - (छ) खराब ऋण वसूली; और
- (ज) अतिरिक्त प्रावधान को बढ़े खाते में डालना:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना के तरीके को विनिर्दिष्ट करेगी।

- (ग) "समायोजित सकल राजस्व" या "एजीआर":

(i) एनएसओ के संबंध में, एजीआर की गणना एपीजीआर से निम्नलिखित को बाहर करके की जाएगी:

- (क) कॉल और एसएमएस से संबंधित इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी), जिनका भुगतान अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों को किया जाता है; और
- (ख) भारत के भीतर अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों और भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान की गई रोमिंग राजस्व; और
- (ii) वीएनओ के संबंध में, एजीआर की गणना एपीजीआर में से, बैंडविड्थ, लीज्ड सर्किट, कॉल मिनट और एसएमएस सहित दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए एक करार के तहत एक या एक से अधिक एनएसओ को वीएनओ द्वारा भुगतान किए गए शुल्कों को छोड़कर की जाएगी, जैसा कि वीएनओ को अपने उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकता है इसके लिए वीएनओ केंद्रीय सरकार को करार और उसके अधीन राशियों के वास्तविक भुगतान के प्रमाण को प्रस्तुत करेगा।
- (घ) "आईयूसी" दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 और समय-समय पर संशोधित ट्राई द्वारा जारी शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) समाप्ति शुल्क विनियम, 2013 में परिभाषित शुल्कों को संदर्भित करता है।
- (ङ) "प्रकल्पित एजीआर" का अर्थ है एक राशि जो एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार के लिए एक प्राधिकृत इकाई द्वारा देय राशि के पांच प्रतिशत के बराबर है और यदि कोई प्राधिकृत इकाई अलग-अलग समय पर एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करती है, तो अनुमानित एजीआर एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा देय ऐसी सभी राशियों की संचयी राशि का पांच प्रतिशत होगा।
- (2) एक प्राधिकृत इकाई प्रत्येक प्राधिकरण के लिए वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान करेगी, जो इस तरह के प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से देय है, जो एजीआर का आठ प्रतिशत होगा:
- बशर्ते कि प्राधिकरण की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से, और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्राधिकरण शुल्क निम्न में से अधिक होगा: (क) उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट राशि, या (ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत।
- बशर्ते कि प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, प्राधिकरण शुल्क नवीकरण की प्रभावी तारीख से संबंधित प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा।
- बशर्ते कि किसी मौजूदा लाइसेंस को किसी प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन करने के मामले में, प्राधिकरण शुल्क माइग्रेशन की प्रभावी तिथि से संबंधित प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा।
- (3) जहां एक प्राधिकृत इकाई को एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार है, प्राधिकरण शुल्क निम्नलिखित में से अधिक होगा: (क) अनुमानित एजीआर का आठ प्रतिशत, या (ख) उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट राशि; या (ग) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत:
- बशर्ते कि जहां प्राधिकरण शुल्क खंड (क) पर आधारित है, इसकी गणना एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने की तारीख या प्राधिकरण की प्रभावी तारीख, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।
- (4) वीएनओ अपने मूल एनएसओ के लिए लागू दरों के अनुसार स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करेगा।
- (5) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के तहत प्राधिकरण शुल्क में डिजिटल भारत निधि में अंकित राशि शामिल होगी, जिसकी गणना एजीआर के पांच प्रतिशत की दर से की जाती है।
- (6) डिजिटल भारत निधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या विनिर्दिष्ट राशि की मात्रा प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से भिन्न हो सकती है।
- (7) यदि कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अर्जित करती है तो प्राधिकरण शुल्क के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित नियमों में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार, यदि कोई हो, नियम 27 के अनुसार देय होगा।

27. भुगतान की अनुसूची

- (1) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकरण शुल्क अथवा स्पेक्ट्रम प्रभार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होंगे और प्राधिकरण की किसी भी अवधि के लिए शुल्क जो एक तिमाही से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्राधिकृत इकाई एजीआर से संबद्ध प्राधिकरण शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की तिमाही किस्तों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करेगी

- (क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और
- (ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पञ्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए भुगतान किए गए एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन है:

बशर्ते कि एक प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच अंतर को समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान की गणना संबंधित तिमाही के लिए वास्तविक आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी, और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, (क) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित एक स्व-प्रमाण पत्र, जो बोर्ड के संकल्प और अटॉर्नी की सामान्य शक्ति द्वारा प्राधिकृत है, और (ख) एक प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित प्रत्येक प्राधिकरण के लिए राजस्व का एक विवरण इसके साथ लगाया जाएगा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक वर्ष की तीस जून या उससे पहले:

- (क) विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण प्रस्तुत करेगी जैसा कि इस उद्देश्य के लिए इस तरह के रूप और तरीके से पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; और
- (ख) नियम 26 के उप-नियम (2) या उप-नियम (3), जैसा लागू हो, के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू व्याज सहित एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का अंतिम समायोजन करना।

(5) एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क या स्पेक्ट्रम शुल्क या प्राधिकृत इकाई द्वारा इस तरह के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से परे देय किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से गणना किए गए व्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी, जैसा कि संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूद है, अर्थात् पहली अप्रैल, और दो प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि:

बशर्ते कि व्याज की गणना के उद्देश्य से महीने के किसी भी हिस्से को पूर्ण माह माना जाएगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के तहत प्रस्तुत तिमाही विवरणों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच जो वार्षिक खातों में परिलक्षित हो रहे हों, विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, प्रकाशित वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के सात दिनों के भीतर या कंपनी अधिनियम के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणों को दायर करने के लिए जो भी पहले हो, एक सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करेगी :

बशर्ते कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व विवरण, और सुलह विवरण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा।

(7) इन नियमों के तहत देय और देय होने वाली सभी धनराशि का भुगतान एक प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

28. प्राधिकरण के लिए गारंटी आवश्यकताएं

(1) एक प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के रूप और तरीके से गारंटी प्रस्तुत करेगी, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:

- (क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी;

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ज़मानत बांड; नहीं तो

(ग) केंद्रीय सरकार के पास गैर-व्याज-वहन प्रतिभूति जमा।

(2) उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट गारंटी का उद्देश्य प्राधिकरण के सभी निबंधन और शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार, प्राधिकरण के किसी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए अधिरोपित दंड या अधिसूचनाओं का अनुपालन न करना शामिल है, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश, और प्राधिकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया भी इसमें शामिल है।

(3) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के लिए एक वैध गारंटी बनाए रखेगी, या जब तक प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, या जो भी बाद में हो:

बशर्ते कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत प्रारंभिक गारंटी अनुसूची 'क' में प्रत्येक प्रासंगिक प्राधिकरण के संबंध में निर्दिष्ट राशि के लिए होगी और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए, जो निम्न में से अधिक हो, उसके आधार पर होगी: (क) प्रारंभिक गारंटी की राशि और (ख) पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत निम्नलिखित में से:

- (i) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क;
- (ii) दो तिमाहियों के लिए एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क; और
- (iii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले केंद्रीय सरकार के बिना किसी मांग या नोटिस बढ़ा सकती है।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में विफलता, या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, केंद्रीय सरकार को बैंक गारंटी को भुनाने, बीमा ज़मानत बांड का दावा करने, या सुरक्षा जमा को विनियोजित करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस दिए बिना:

बशर्ते कि ऐसी गारंटी के भुनाने, दावे या विनियोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई व्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुनाया, दावा किया या विनियोजित किया गया हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राधिकृत इकाई ऐसी भुनाई, दावा की गई या विनियोजित गारंटी को, जैसा भी मामला हो, ऐसे भुनाने, दावे या विनियोग के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि तक वापस कर देगी:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार उप-नियम (6) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने के अधीन ऐसी बहाली के लिए दस दिनों से अधिक नहीं की एकमुश्त अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकती है।

(7) केंद्रीय सरकार दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अंतर्गत अपने अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित मामलों में गारंटी को भुना सकती है, दावा कर सकती है या विनियोजित कर सकती है:

- (क) प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क या प्राधिकरण या समनुदेशन के तहत देय किसी अन्य बकाया का भुगतान न करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न बकाया का भुगतान न करना; या
- (ग) प्राधिकरण या समनुदेशन के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरस्तीकरण, समर्पण या समाप्ति पर, संबंधित गारंटी प्राधिकृत इकाई को केवल उन सभी देय राशियों का भुगतान सुनिश्चित करने के बाद ही जारी की जाएगी, जिनका भुगतान प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को करने के लिए उत्तरदायी है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार को देय राशि का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, बकाया राशि, गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोजन के माध्यम से, केंद्रीय सरकार को देय राशियों की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई और सूचना दिए बिना वसूल की जाएगी।

29. एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का आकलन

(1) केंद्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क और केंद्रीय सरकार को देय किसी भी अन्य शुल्क का आकलन कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए "आकलन" शब्द में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से एजीआर निर्धारित करने के लिए एपीजीआर से बाहर रखी गई राशि के सपोर्ट में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(3) जहाँ एक प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या किसी भिन्न सेवा क्षेत्र में समान दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण रखती है, तो वह प्रत्येक प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना का अलग विवरण बनाए रखेगी और प्रस्तुत करेगी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए ट्राई द्वारा जारी किए जा सकने वाले आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों या विनियमों का अनुपालन करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या ट्राई द्वारा निर्दिष्ट लेखा मानदंडों और सिद्धांतों तथा निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

(5) प्रत्येक प्राधिकरण के संबंध में, एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) प्राधिकरण की अवधि के दौरान या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी छोटी अवधियों के दौरान प्रत्येक पूर्ण तिमाही के संबंध में अपने लेन-देन को दर्शाने और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संकलन और रखरखाव करेगी, जिसमें पूंजीगत लागत, राजस्व और प्राधिकरण के तहत प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सहित लागतों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राजस्व के परिमाणीकरण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय में नियोजित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित देनदारियों का उचित मूल्यांकन शामिल होगा;

(ख) कॉल और एसएमएस से संबंधित आईयूसी और भारत के बाहर अन्य प्राधिकृत इकाइयों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए रोमिंग शुल्क का भुगतान, जैसा लागू हो;

(ग) किसी प्राधिकृत इकाई अन्य प्राधिकृत इकाइयों से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए अलग से शुल्क का भुगतान करेगी, जो ऐसी इकाइयों के साथ आपसी समझौतों और ट्राई के विनियमों द्वारा शासित होंगे, जहाँ लागू हो;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान पारदर्शी तरीके से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा; और

(ङ) अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ खातों के निपटान के लिए प्रणाली का विवरण केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना जिसमें आईयूसी, नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए शुल्क साथ ही वास्तविक निपटान का विवरण शामिल है।

(6) एक प्राधिकृत इकाई एक वित्तीय वर्ष के बिलिंग और अन्य लेखा अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में प्राधिकृत इकाई के विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगी और संरक्षित रखेगी:

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क या किसी भी अवधि के लिए कोई अन्य शुल्क विवाद में हैं, तो उक्त अभिलेखों को विवाद के समाधान तक बनाए रखा जाएगा, भले ही अवधि ऊपर निर्दिष्ट छह-वर्ष की अवधि से आगे बढ़े।

(7) केंद्रीय सरकार या ट्राई किसी भी समय किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या वार्षिक लेखा पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करने का निर्देश दे सकता है, जिसे वह अपनी प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में बनाए रखता है, और ऐसी प्राधिकृत इकाई को तुरंत ऐसे निर्देश का पालन करना होगा।

(8) किसी प्राधिकृत इकाई के अभिलेख केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी जाँच के अधीन होंगे, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकार को देय राशियों, जिनमें प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं, का स्वतंत्र सत्यापन करना है।

(9) केंद्रीय सरकार, यह राय बनने पर कि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत राजस्व या वार्षिक लेखा विवरण गलत या भ्रामक हैं, एक या अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके प्राधिकृत इकाई के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश दे सकती है, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पास हैं, और ऐसे लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(10) उप-नियम (9) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार किसी भी समय, किसी प्राधिकृत इकाई के लेखाओं और अभिलेखों की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है, जिसके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पास हैं, और ऐसे लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ऐसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(11) यदि कोई प्राधिकृत इकाई नियम 27 के उप-नियम (4) और (6) के अंतर्गत वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सूचनाओं और प्रासंगिक सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर, एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क या स्पेक्ट्रम शुल्क का आकलन कर सकती है:

बशर्ते ऐसा आकलन करने से पहले केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक नोटिस जारी करेगी।

(12) इस नियम के अंतर्गत किसी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी आकलन उप-नियम (13) के अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्था के अलावा ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के बाद नहीं किया जाएगा।

(13) केंद्रीय सरकार प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष तक आकलन कर सकती है, यदि उसकी राय में आकलन से छूटी राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के बराबर होने की संभावना है।

(14) उप-नियम (12) और उप-नियम (13) के तहत निर्दिष्ट सीमा अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे मूल्यांकन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(15) उप-नियम (12) और उप-नियम (13) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, एजीआर से जुड़े प्राधिकरण शुल्क या स्पेक्ट्रम शुल्क का मूल्यांकन किसी भी समय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी भी निष्कर्ष या निर्देश के अनुसरण में किया जा सकता है।

(16) केंद्रीय सरकार प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क और भुगतान किए गए किसी भी अन्य शुल्क का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दूरसंचार सेवा के संबंध में प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में प्राधिकृत इकाइयों को उचित निर्देश जारी कर सकती है और एक प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

30. सेट-ऑफ़

(1) प्राधिकरण या समनुदेशन की शर्तों के तहत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय किसी धनराशि या दावे को केंद्रीय सरकार द्वारा उस समय देय किसी धनराशि या धनराशि से काटा या समायोजित किया जा सकता है या जो उसके बाद किसी भी समय प्राधिकरण या समनुदेशन के तहत किसी प्राधिकृत इकाई को देय हो सकती है जिसमें कोई गारंटी भी शामिल है, जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के तहत की गई किसी कार्रवाई के बाद, ऐसे सेट-ऑफ़ के बारे में प्राधिकृत इकाई को सूचित करेगी।

31. बकाया राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय कोई राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

अध्याय 5: तकनीकी और प्रचालन की स्थितियाँ

32. दूरसंचार नेटवर्क

(1) मुख्य दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त कोई प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत क्रमशः किसी पृथक प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकती है और प्राधिकरण के दायरे के अनुरूप रेडियो उपकरण भी रख सकती है:

बशर्ते कि स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग के अधिकार के संबंध में इन नियमों का नियम 19 लागू होगा।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार अपने प्राधिकरण के अनुसार दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए दूरसंचार नेटवर्क का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकर्ता और प्रयुक्त दूरसंचार नेटवर्क तथा प्रदान की गई दूरसंचार सेवाएँ लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हों, जिनमें अधिनियम की धारा 19 और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों से संबंधित ट्राई विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मानक और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय शामिल हैं:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क या प्रणालियों पर निष्पादन परीक्षण कर सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा दूरसंचार नेटवर्क या प्रणालियाँ निर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों को पूरा करती हैं।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सिस्टम क्लॉक को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नेशनल क्लॉक और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी मानक के साथ समकालिक करेगी।

(4) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकृत इकाई किसी भी समय, निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी और दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करेगी, यदि केंद्रीय सरकार की राय में, ऐसा करना जनहित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या दूरसंचार के उचित संचालन के लिए या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में या युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष की स्थिति में जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, आवश्यक या समीचीन है।

(5) एक प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से, दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए उसके द्वारा नियोजित की जाने वाली प्रस्तावित तकनीक का विवरण केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगी।

(6) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क के सभी तकनीकी विवरण केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को, ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी, जैसा कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अनुसरण में आवश्यक हो।

(7) प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं पर परीक्षण करने के लिए सभी उपकरण, परीक्षण उपकरण और अन्य सहायक उपकरण की आपूर्ति करेगी और केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

(8) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सहित अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं की स्थापना, रखरखाव, संचालन, विस्तार और चालू करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी।

बशर्ते कि एक प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रासंगिक प्राधिकरण रखने वाली अन्य प्राधिकृत इकाईयों से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर यथास्थिति दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार अवसंरचना, या दूरसंचार संसाधन ले सकती है;

इसके अतिरिक्त, एक प्राधिकृत इकाई इन नियमों के अंतर्गत अनुमत दूरसंचार अवसंरचना और दूरसंचार नेटवर्क को साझा कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि मार्गाधिकार की अनुपलब्धता या किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्गाधिकार की अनुमति प्राप्त करने में देरी, रोल-आउट दायित्वों की पूर्ति न करने या इन नियमों के अंतर्गत किसी अन्य दायित्वों के गैर-अनुपालन का कारण या आधार नहीं होगी।

(9) जहां किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आरओडब्ल्यू की आवश्यकता होती है, वहां वह सीधे या अपने सुविधा प्रदाता के माध्यम से ऐसे आरओडब्ल्यू प्रदान करने के अधिकार वाले व्यक्ति के साथ आरओडब्ल्यू के अनन्य अनुदान के लिए कोई समझौता नहीं करेगी।

(10) प्राधिकृत इकाई राष्ट्रीय नंबरिंग योजना और राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना सहित समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना का पालन करेगी।

(11) दूरसंचार नेटवर्क : (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्राधिकृत अन्य प्राधिकृत इकाइयों से सेवा के रूप में या (ख) अंतरिक्ष विभाग या इन-स्पेस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या अंतरिक्ष खंड प्रदाता से या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय से या (ग) लागू नियमों के अनुसार किसी अन्य प्राधिकृत इकाई से साझाकरण के आधार पर दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान और प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क के भाग के रूप में माना जाएगा।

(12) एक प्राधिकृत इकाई वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करते समय इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) एक्सपोजर मानदंडों का पालन करेगी और लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों जिसमें अधिनियम की धारा 19 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानक और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय भी शामिल हैं के अनुसार ईएमएफ एक्सपोजर अनुपालन के लिए प्रत्येक बेस स्टेशन का स्व-मूल्यांकन करेगी, और पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को स्व-प्रमाणन प्रदान करेगी।

(13) एक प्राधिकृत इकाई अपनी वेबसाइट पर अपने सभी प्रकार के दूरसंचार नेटवर्क, जिसमें वायरलाइन दूरसंचार नेटवर्क शामिल हैं, और दूरसंचार सेवाएँ की उपलब्धता के भौगोलिक क्षेत्रवार विवरण सहित कवरेज विवरण प्रयोक्ताओं को उस तरीके से उपलब्ध कराएगी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(14) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी लागू अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी:

- (क) दूरसंचार नेटवर्क को ऊर्जा प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (आरईटी) को अपनाना;
- (ख) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती;
- (ग) कार्बन फुटप्रिंट में कमी;
- (घ) स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अधिमान्य बाजार पहुँच (पीएमए);
- (ङ) आईपीवी6 कार्यान्वयन;
- (च) दूरसंचार सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पहले परीक्षण प्रयोक्ताओं का नामांकन और अपने दूरसंचार नेटवर्क का परीक्षण;
- (छ) दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा को सुदृढ़ करना; और
- (ज) रेडियो उपकरणों का निपटान।

33. दूरसंचार नेटवर्क एलिमेंट्स का स्थान

(1) प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर उनके मानचित्रण के साथ सभी दूरसंचार नेटवर्क एलिमेंट्स के स्थान का विवरण केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार उपकरणों की स्थापना या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना केवल केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही की जाएगी, जिसे प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राप्त किया जाएगा।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:

- (क) उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियाँ,
- (इ) जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी इकाई के स्वामित्व में हों या उससे सेवा के रूप में ली गई हों या

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी इकाई से पट्टे, किराये या साझाकरण के आधार पर ली गई हों,

प्राधिकरण के दायरे में अनुमत दूरसंचार सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उसके प्राधिकरण के सेवा क्षेत्रों में स्थित हों:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहाँ दूरसंचार नेटवर्क क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्राधिकृत सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता से सेवा के रूप में लिया गया हो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की प्रणालियाँ भारत में कहीं भी स्थित हो सकती हैं; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट उसके दूरसंचार नेटवर्क से संबद्ध सभी डेटा और जानकारी भारत के भीतर संग्रहीत की जाएँगी।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा भौगोलिक सीमाओं का सटीक चित्रण, यदि कोई हो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप होगा तथा इसमें कोई भी संशोधन केंद्रीय सरकार के विशेष पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन होगा।

34. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना का साझाकरण

(1) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरण प्राप्त कोई प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के अंतर्गत लागू पूर्व अनुमोदन आवश्यकता के अधीन, ऐसे प्राधिकरणों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनी दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकती है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई को दूरसंचार नेटवर्क, वैध अपरोधन एवं निगरानी (एलआईएम) सुविधाओं और वैध अपरोधन प्रणाली (एलआईएस) को छोड़कर, अपनी दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा करने के लिए किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ पारस्परिक समझौते कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसी प्राधिकृत इकाई ऐसे समझौते में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि अन्य प्राधिकृत इकाई ऐसी दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि ऐसा कोई भी पारस्परिक समझौता किसी भी प्राधिकृत इकाई को अपने-अपने प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों का पालन करने से मुक्त नहीं करेगा।

(3) किसी प्राधिकृत इकाई को पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ एक्सेस सेवा से संबंधित अपने को दूरसंचार नेटवर्क एलिमेंट्स को साझा करने की अनुमति दी जा सकती है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन ऐसी अनुमति देने पर विचार करेगी कि ऐसी अनुमति के परिणामस्वरूप किसी दिए गए सेवा क्षेत्र में दो से कम को दूरसंचार नेटवर्क नहीं होंगे।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई को केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से अपनी स्वयं की वैध अपरोधन और निगरानी (एलआईएम) सुविधाओं और वैध अपरोधन प्रणाली (एलआईएस) को अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ साझा करने की अनुमति दी जा सकती है।

35. एनएसओ के बीच दूरसंचार नेटवर्क इंटरकनेक्शन और पीयरिंग

(1) कोई भी एनएसओ अपने दूरसंचार नेटवर्क को किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन या पीयर कर सकता है।

(2) कोई भी एनएसओ यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन और पीयरिंग लागू नियमों या विनियमों के तहत इंटरकनेक्शन और पीयरिंग के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए और बनाए रखा जाए।

(3) कोई भी एनएसओ किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन या पीयरिंग करते समय यह सुनिश्चित करेगा:

- (क) कि इंटरकनेक्शन या पीयरिंग के लिए ट्रांसमिशन लिंक प्रासंगिक मानकों और इंटरफ़ेस आवश्यकताओं (आईआर) को पूरा करते हैं, जिनमें अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानक और इंटरफ़ेस आवश्यकताएं (आईआर) शामिल हैं;
- (ख) कि किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ आवश्यकतानुसार, आईपी आधारित ट्रैफ़िक ले जाने के लिए आईपी इंटरफ़ेस पर मानकों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित मानक शामिल हैं, इंटरकनेक्शन और पीयरिंग स्थापित की गई है:
- बशर्ते कि कोई एनएसओ किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क पर सर्किट स्विच्ड ट्रैफ़िक भेजने से पहले सर्किट स्विच्ड ट्रैफ़िक को आईपी आधारित ट्रैफ़िक में परिवर्तित करेगा;
- (ग) एक या एक से अधिक इंटरकनेक्शन पॉइंट्स (पीओआई) की स्थापना और रखरखाव तथा संदेशों के प्रेषण और प्राप्ति के लिए यथोचित रूप से आवश्यक पर्यास क्षमता की पीयरिंग, जो ट्राई द्वारा निर्धारित गुणवत्ता सेवा विनियमों या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हो; और
- (घ) कि इंटरकनेक्शन और पीयरिंग तकनीकी रूप से संगत और प्रभावी हो और ट्राई अधिनियम के अंतर्गत ट्राई द्वारा जारी किए जा सकने वाले सभी लागू आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप हो।
- (4) एनएसओ के बीच इंटरकनेक्शन समझौते, जिसमें अंतर-नेटवर्क कॉल या संदेशों के लिए अन्य दूरसंचार नेटवर्कों तक पहुँचने के शुल्क शामिल हैं, ऐसे एनएसओ के बीच आपसी समझौतों पर आधारित होंगे और ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई द्वारा जारी लागू आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप होंगे।
- (5) एनएसओ पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से इंटरकनेक्शन पॉइंट्स (पीओआई) और इंटरकनेक्शन एवं पीयरिंग समझौतों के विवरण को अद्यतन करेगा।
- (6) जहाँ किसी एनएसओ का प्राधिकरण निरस्तीकरण, समर्पण या समाप्ति का विषय है, वहाँ वह एनएसओ, जिसका ऐसे एनएसओ के साथ इंटरकनेक्शन और पीयरिंग के लिए समझौता है, किसी भी इंटरकनेक्शन या पीयरिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा और ऐसे दूरसंचार संसाधनों को निरस्तीकरण, समर्पण या समाप्ति की प्रभावी तिथि पर वापस ले लेगा।
- (7) पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस नेटवर्क, इंटरनेट या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क सहित सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के साथ पट्टे पर दिए गए सर्किटों के इंटरकनेक्शन की अनुमति नहीं होगी।
- ### 36. दूरसंचार सेवाओं की निगरानी सुविधाएँ और निलंबन
- (1) कोई भी प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अपनी लागत पर सभी आवश्यक साधन और सुविधाएँ स्थापित करेगी।
- (2) इन नियमों में निहित कोई भी बात अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत प्रदान की गई या निर्धारित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।
- ### 37. दूरसंचार सेवाओं का वाणिज्यिक शुभारंभ
- (1) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा के प्रावधान के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि केंद्रीय सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अधिसूचित करेगी।
- (2) एक प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों या निर्णयों के अनुसार दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ वसूल करेगी और टैरिफ के प्रकाशन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को टैरिफ की अधिसूचना और प्रयोक्ताओं को सूचना प्रदान करने सहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्देशित है।
- (3) एक प्राधिकृत इकाई निर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया (टीएसटीपी) के अनुसार वैध अपरोधन प्रणाली और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं का स्व-लेखा परीक्षण करेगी और प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र में किसी भी दूरसंचार सेवा के प्रारंभ होने से पहले पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को ऐसे परीक्षण का स्व-प्रमाणन प्रदान करेगी।
- (4) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा के प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार सेवा के प्रारंभ होने की तिथि की सूचना देगी।

(5) प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवा शुरू करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी को अपेक्षित निगरानी सुविधाओं का सफलतापूर्वक कार्य-प्रदर्शन करेगी।

38. दूरसंचार सेवा का प्रावधान

(1) एक प्राधिकृत इकाई:

(क) प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवा प्रदान करने से पहले उस प्रक्रिया और कार्यविधि का विवरण अधिसूचित और प्रचारित करेगी जिसके माध्यम से कोई भी प्रयोक्ता दूरसंचार सेवाओं के लिए मांग दर्ज कर सकता है या अनुरोध कर सकता है;

(ख) बिना किसी भेदभाव के सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रयोक्ता से दूरसंचार सेवाओं की मांग दर्ज करेगी और जहाँ संभव हो ऐसे प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करेगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए;

(ग) दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के वाणिज्यिक सिद्धांतों के संबंध में अपनी दूरसंचार सेवाओं के लिए पंजीकृत प्रयोक्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगी;

(घ) पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से उन प्रयोक्ताओं की एक पारदर्शी और निरीक्षण हेतु खुली प्रतीक्षा सूची बनाए रखेगी जिनका दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान का अनुरोध लंबित है;

(ङ) प्रयोक्ता(ओं) की मांग के पंजीकरण और प्रयोक्ता(ओं) के नामांकन के समय, प्रयोक्ताओं(ओं) के लिए प्रत्येक प्रकार की दूरसंचार सेवा के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगी;

(च) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता टर्मिनल प्राधिकरण की शर्तों और नियमों, तथा संबंधित अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित हो, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(छ) दूरसंचार सेवा के उपयोग के लिए अपने प्रयोक्ताओं को अपने नाम से बिल जारी करेगी या जारी करवाएगी, जिसमें बिल की वास्तविकता के बारे में प्रयोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने, राजस्व संग्रह करने, प्रयोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और दावों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त विवरण शामिल हों;

(ज) इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या ट्राई द्वारा निर्दिष्ट बिलिंग साइकिल्स के लिए मदवार बिलों का आवश्यक रिकॉर्ड रखेगी;

(झ) जहाँ भी लागू हो, अपने प्रयोक्ताओं को नियमित मदवार बिलिंग प्रदान करेगी और इस संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करते हुए अपने प्रयोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी होगी;

(ञ) मरम्मत, खराबी में सुधार, क्षतिपूर्ति या धनराशि की वापसी के संबंध में सभी नीतियों और व्यवस्थाओं के लिए प्रयोक्ताओं को लिखित रूप में सूचित करेगी; और

(ट) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों तथा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों से संबंधित ट्राई विनियमों सहित लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार भारत के राज्यक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा, या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले क्षेत्रों में मुख्य दूरसंचार सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट प्रयोक्ताओं को मुख्य दूरसंचार सेवाओं के उपयोग की अनुमति दे सकती है और प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार के निर्देशों के आधार पर इसे सुगम बनाएगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ता टर्मिनलों की विक्री, किराया, खरीद, पट्टा या किराये पर ले सकती है, और प्रयोक्ताओं को किसी भी स्रोत से प्रयोक्ता टर्मिनल प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों को पूरा करता हो।

(4) अपने प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए, एक प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) या उप-धारा (9) के अनुसार दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त कर सकती है।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई, अंतिम माइल लिंकेज के लिए, केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अंतर्गत पंजीकृत केवल ऑपरेटर के केवल नेटवर्क का उपयोग कर सकती है।

(6) कोई प्राधिकृत इकाई, सार्वजनिक महत्व के किसी भी क्षेत्र में, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अवधि के लिए, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(7) कोई प्राधिकृत इकाई, अपने प्रयोक्ताओं को प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को रद्द, निलंबित या कटौती की सीमा तक सीमित नहीं कर दिया जाता।

(8) जहाँ कोई प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ताओं को एक या अधिक, परंतु सभी नहीं, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना बंद करना चाहती है, वहाँ निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(क) प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, संबंधित दूरसंचार सेवा बंद करने की इच्छित तिथि से कम से कम साठ दिन पहले, ऐसे बंद करने के कारणों सहित, केंद्रीय सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करेगी;

(ख) केंद्रीय सरकार ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर: (i) ऐसे आवेदन को स्वीकृत कर सकती है; या (ii) जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर या राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की स्थिति के कारण ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकती है;

(ग) यदि केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती है, तो आवेदन स्वीकृत माना जाएगा;

(घ) उप-खंड (ख) या (ग) के तहत अनुमोदन के अनुसरण में प्राधिकृत इकाई, संबंधित दूरसंचार सेवा के प्रयोक्ताओं को बंद करने की इच्छित तिथि से कम से कम तीस दिन पहले संबंधित दूरसंचार सेवा के बंद होने की सूचना जारी करेगी, जिसमें ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, जिसमें एमएनपी भी शामिल है, जहाँ भी लागू हो; और

(ङ) संबंधित दूरसंचार सेवा के बंद होने की प्रभावी तिथि, उप-खंड (घ) के तहत सूचना जारी करने की तिथि से गिनी जाने वाली इकतीसवाँ तिथि होगी और प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार सेवा के बंद होने की प्रभावी तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि, यदि कोई हो, सहित शेष राशि प्रयोक्ता को वापस कर देगी:

वशर्ते कि यह उप-नियम (8) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम या इन नियमों के नियम 21 के अधीन दूरसंचार सेवाओं के रहीकरण या निलंबन या इन नियमों के नियम 23 के अधीन प्राधिकरण के अभ्यर्पण के अनुसरण में दूरसंचार सेवाओं के किसी बंदीकरण के लिए लागू नहीं होगा।

(9) एक प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने और ऐसी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था सहित आवश्यक तंत्र स्थापित और प्रचारित करेगी, जैसा कि द्वाई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(10) दूरसंचार सेवा के प्रावधान के संबंध में कोई भी विवाद केवल प्रयोक्ता और प्राधिकृत इकाई के बीच का मामला होगा और प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा प्रदान करने से पहले प्रयोक्ता को इसकी विधिवत सूचना देगी और केंद्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं उठाएगी।

(11) एक प्राधिकृत इकाई किसी भी कारण से प्रयोक्ता के किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, शुल्कों या क्षतियों के लिए केंद्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगी।

(12) कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (3) के अंतर्गत प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त इकाई को कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान करते समय स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसी इकाई ऐसे दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(13) कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई से कोई दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते समय स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसी प्राधिकृत इकाई ऐसे दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए पात्र है।

39. छूट और रियायतें

(1) जहाँ कोई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण के दायरे में कुछ, किन्तु सभी नहीं, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, वहाँ वह निर्दिष्ट नियमों की प्रयोज्यता से उचित छूट या रियायत के लिए औचित्य सहित केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकृत इकाई को ऐसे नियमों से ऐसी छूट या रियायतों के बारे में सूचित कर सकती है, जिन्हें वह निर्धारित कर सकती है कि वे ऐसे आवेदन में निर्दिष्ट प्रासंगिक दूरसंचार सेवाओं पर लागू नहीं हैं।

40. निरीक्षण और मूल्यांकन करने का अधिकार

(1) केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनार्थ, इस संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई को उचित सूचना जारी करने के पश्चातः-

(क) उन साइटों तक एक्सेस और निरीक्षण कर सकती है जहाँ दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें प्रयोक्ता के परिसर भी शामिल हैं;

(ख) इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों का लेखा-परीक्षण कर सकती है:

बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार यह समझती है कि जनहित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है तो प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों का लेखा-परीक्षण करने के लिए किसी प्राधिकृत एजेन्सी की नियुक्ति कर सकती है।

(2) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा-परीक्षा और निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायता प्रदान करेगी।

41. सूचना की गोपनीयता

(1) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में दूरसंचार के लिए बल्कि एन्क्रिप्शन उपकरण का उपयोग नहीं करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े किसी भी एन्क्रिप्शन उपकरण का मूल्यांकन कर सकती है।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि प्राधिकृत इकाई ने अपने कर्मचारियों और सलाहकारों सहित प्रयोक्ता की जानकारी और डेटा की गोपनीयता के लिए सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अधीन किसी प्रयोक्ता और उसके व्यवसाय की किसी भी जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसे वह दूरसंचार सेवा प्रदान करती है या जिससे उसने दूरसंचार सेवा प्रदान करने के आधार पर ऐसी जानकारी प्राप्त की है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि:

(क) कोई भी प्राधिकृत इकाई या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दूरसंचार प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी के अलावा अन्य जानकारी नहीं मांगेगा;

(ख) कोई भी प्राधिकृत इकाई या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रयोक्ता को दूरसंचार सेवा प्रदान करने के दौरान आवश्यक होने के अलावा ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करेगा;

बशर्ते कि उप-नियम (4) तब लागू नहीं होगा जब:

(i) जानकारी किसी विशिष्ट प्रयोक्ता से संबंधित हो और उस प्रयोक्ता ने ऐसी जानकारी के खुलासा या उपयोग के लिए लिखित रूप में सहमति दी हो और ऐसी जानकारी उस सहमति की शर्तों के अनुसार प्रकट या उपयोग की जाती है; या

(ii) जानकारी पहले से ही जनता के लिए सुलभ है और अन्यथा ज्ञात है।

(5) उप-नियम (4) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी कोई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित में या दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए निर्देशित किए जाने पर केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट तरीके से ऐसे डेटा तक पहुँच और उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

(6) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ केन्द्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना साझा नहीं करेगी:

बशर्ते कि दूरसंचार नेटवर्क के ऐसे विवरण प्रदान करने के लिए किसी ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि उसके दूरसंचार उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपेक्षित हो।

42. सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के दौरान सेवाएँ

(1) केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध कराएगी कि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ता या प्रयोक्ता समूह के संदेशों को प्राथमिकता के आधार पर रूट किया जाए।

(2) एक प्राधिकृत इकाई आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई:

(क) ऐसएमएस या सेल प्रसारण या केंद्रीय या राज्य सरकार या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य माध्यम से चेतावनी संदेशों के प्रसार को सुगम बनाएगी;

(ख) केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी के दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं, सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं या किसी अन्य प्रकार के प्रयोक्ता संदेशों के लिए इंट्रा-सर्किल रोमिंग और राष्ट्रीय रोमिंग लागू करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत इकाइयों को ऐसी अधिसूचनाएं, आदेश, निर्देश या दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी जो आपदा प्रतिरोधी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने और दूरसंचार नेटवर्क की लचीलापन पर अध्ययन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की लचीलापन से संबंधित सूचना भी शामिल है।

अध्याय 6: सुरक्षा की शर्तें

भाग क: सामान्य सुरक्षा शर्तें

43. वैध अपरोधन और निगरानी

(1) एक प्राधिकृत इकाई, अपनी लागत पर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त वैध अपरोधन प्रणालियाँ और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाएँ प्रदान करेगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई अपनी वैध अपरोधन प्रणालियों और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं में आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रावधान सुनिश्चित करेगी ताकि संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी, यदि आवश्यक हो, तो किसी केंद्रीय स्थान से वैध अपरोधन और निगरानी कर सके।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि दूरसंचार सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पहले, वैध अपरोधन प्रणाली और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं को, जैसा भी लागू हो, केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस) या इंटरनेट निगरानी प्रणाली (आईएमएस) के साथ एकीकृत किया जाए।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, अपनी लागत पर, केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बिंदुओं तक उचित आयाम वाली बैंडविड्थ प्रदान करेगी।

(5) संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी अपने परिसर में या किसी प्राधिकृत इकाई के परिसर में वैध अपरोधन के लिए निगरानी केंद्र स्थापित कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहाँ निगरानी केंद्र संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी के परिसर में स्थित हो, ऐसी प्राधिकृत एजेन्सी, प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क के प्रासंगिक दूरसंचार उपकरणों के स्थान से या किसी अन्य विनिर्दिष्ट बिंदु, जैसी भी स्थिति हो, अपने निगरानी केंद्र तक अपने अंतिम हार्डवेयर और बैंडविड्थ की लागत वहन करेगी।

इसके अलावा ऐसे मामलों में जहाँ निगरानी केंद्र किसी प्राधिकृत इकाई के परिसर में स्थित हो, ऐसी प्राधिकृत इकाई, संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान करेगी, जिसमें ऐसी प्राधिकृत एजेन्सी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए स्थान और एक्सेस का प्रावधान शामिल है।

(6) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन हेतु प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 और ऐसे नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(7) एक प्राधिकृत इकाई, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित, अपनी विधिसम्मत अपरोधन प्रणाली और विधिसम्मत अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं के प्रासंगिक संचालनों और विशेषताओं के संबंध में केंद्रीय सरकार और प्राधिकृत इकाईयों के अधिकारियों को परिचित कराएगी और प्रशिक्षित करेगी।

(8) एक प्राधिकृत इकाई ट्रैफिक की निगरानी के प्रयोजनार्थ, संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी को अपने दूरसंचार नेटवर्क और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ लेखा-बही तक पहुंच प्रदान करेगी।

44. एक प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन

(1) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- (क) ऐसी प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे;
- (ख) दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी पद का मुख्य अधिकारी, कोर दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी अधिकारी और सिस्टम प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे।
- (ग) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अनुरूप, मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होगा;
- (घ) दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन हेतु प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी, साथ ही इन नियमों के विषय-वस्तु से संबंधित कोई अन्य अधिकारी भारतीय नागरिक होंगे।

(2) कोई भी प्राधिकृत इकाई अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर किसी भी विदेशी नागरिक की नियुक्ति से पहले गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी और ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसी सुरक्षा जांच वार्षिक आधार पर जारी रहेगी।

(3) कोई भी प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए ऐसे व्यक्तियों की तैनाती से पहले गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी।

(4) कोई भी प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में प्रदान की गई सुरक्षा जांच के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से आवेदन करेगी और गृह मंत्रालय का निर्णय ऐसी प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

45. प्रयोक्ता का नामांकन और दूरसंचार सेवाओं का सक्रियण

(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि दूरसंचार सेवाएँ केवल इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित ऐसी सेवाओं के प्रयोक्ता की पहचान के सत्यापन के अधीन ही प्रदान की जाएँ।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु ऐसे प्रयोक्ता का नामांकन करने से पहले प्रयोक्ता की पहचान सत्यापित करेगी और जब मौजूदा प्रयोक्ता दूरसंचार सेवाओं को अद्यतन करने का अनुरोध करेंगे, तो दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2025 के अनुसार और प्रयोक्ता पहचान सत्यापन और पुनः सत्यापन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसी पहचान का पुनः सत्यापन करेगी।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के अलावा अन्य दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु ऐसे प्रयोक्ता का नामांकन करने से पहले प्रयोक्ता की पहचान सत्यापित करेगी और जब विद्यमान प्रयोक्ता दूरसंचार सेवाओं को अद्यतन करने का अनुरोध करेंगे तो ऐसी पहचान को ऐसी इकाई द्वारा निर्धारित सत्यापन पद्धति के माध्यम से और प्रयोक्ता पहचान सत्यापन और पुनः सत्यापन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में पुनः सत्यापित करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई किसी प्रयोक्ता के नामांकन के समय प्रत्येक प्रकार की दूरसंचार सेवा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्रयोक्ता की जानकारी का विवरण एकत्रित और अनुरक्षित करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई किसी प्रयोक्ता के संबंध में दूरसंचार सेवा को सक्रिय करने से पहले इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(6) एक प्राधिकृत इकाई नियमित अंतराल पर दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के उचित और वास्तविक उपयोग के बारे में प्रयोक्ता के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय करेगी।

(7) एक प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ता को सूचित करेगी कि ऐसे प्रयोक्ता को जारी किया गया सिम अहस्तांतरणीय है:

बशर्ते कि सिम दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2025 के अनुसार और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता के रक्त संबंधियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सके।

(8) एक प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ता का एक अद्यतन डेटाबेस उस रूप और तरीके से बनाए रखेगी जैसा कि इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है और केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी को ऐसे डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करेगी।

(9) एक प्राधिकृत इकाई इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेन्सी को प्रत्येक प्रयोक्ता की पता लगाने योग्य पहचान प्रदान करेगी:

बशर्ते कि विदेशी प्रयोक्ता को रोमिंग सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में प्राधिकृत इकाई अपने रोमिंग समझौते के एक भाग के रूप में भारत के बाहर संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से ऐसे प्रयोक्ता की पता लगाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

(10) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं और प्रयोक्ता के दूरसंचार पहचानकर्ताओं से संबंधित दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अंतर्गत किसी भी आदेश या निर्देश का पालन करेगी।

(11) एक प्राधिकृत इकाई इस नियम के प्रावधानों के अतिरिक्त व्यावसायिक प्रयोक्ता के संबंध में नियम 46 के प्रावधानों और प्राकृतिक व्यक्तियों के प्रयोक्ता के संबंध में नियम 47 के प्रावधानों का भी पालन करेगी।

46. व्यावसायिक प्रयोक्ता के लिए दूरसंचार सेवाओं के नामांकन और सक्रियण के लिए अतिरिक्त शर्तें

(1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए:

(क) "व्यावसायिक कनेक्शन" का अर्थ है एक या एक से अधिक प्राधिकृत इकाइयों द्वारा किसी व्यावसायिक प्रयोक्ता को प्रदान की जाने वाली किसी निर्दिष्ट प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक कनेक्शन।

(ख) "व्यावसायिक प्रयोक्ता" का अर्थ है ऐसा प्रयोक्ता जो:

(i) लागू कानून के तहत पंजीकृत एक कंपनी या साझेदारी या एकमात्र स्वामित्व है; या

(ii) लागू कानून के तहत जारी किया गया व्यापार या व्यवसाय लाइसेंस या परमिट, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, रखता है।

(ग) किसी व्यावसायिक कनेक्शन के "अंतिम प्रयोक्ता" का अर्थ है ऐसा प्रयोक्ता जो एक वास्तविक व्यक्ति है जो किसी व्यावसायिक प्रयोक्ता को प्रदान की गई किसी निर्दिष्ट प्रकार की दूरसंचार सेवा का उपयोग करता है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई:

(क) व्यावसायिक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रयोक्ता द्वारा दिए गए कारणों की उचित जाँच करेगी और उन्हें लिखित रूप में दर्ज करेगी;

(ख) किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के प्रावधान से पहले:

- (i) नियम 45 के अनुसार अपेक्षित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसे विवरणों का सत्यापन करेगी और ऐसे दस्तावेज़ एकत्र करेगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (ii) उस परिसर का भौतिक सत्यापन करेगी जहाँ ऐसा व्यावसायिक प्रयोगकर्ता और व्यावसायिक कनेक्शन स्थित है; और
- (iii) नियम 45 के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अनुसार, जैसा भी लागू हो, व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि और प्रत्येक अंतिम प्रयोक्ता की पहचान सत्यापित करेगी;

(ग) व्यावसायिक कनेक्शन सक्रिय होने पर:

- (i) वास्तविक उपयोग को सत्यापित करने के लिए, उस परिसर का, जहाँ व्यवसाय प्रयोक्ता का ऐसा कनेक्शन स्थित है, कम से कम छह-मासिक अंतराल पर निरीक्षण करेगी, तथा ऐसे निरीक्षण के अभिलेख को, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा सत्यापन के लिए, कम से कम दो वर्ष की अवधि तक अनुरक्षित और सुरक्षित रखेगी; और
- (ii) इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से व्यवसाय प्रयोक्ताओं का अपडेटेड डाटाबेस बनाए रखेगी तथा केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसे डाटाबेस तक एक्सेस प्रदान करेगी।

(घ) यदि ऐसा व्यवसायिक प्रयोक्ता अस्तित्व में नहीं रह गया है, तो ऐसे प्रयोक्ता के प्रत्येक व्यवसायिक कनेक्शन को काट दिया जाएगा और उसे लागू नियमों के साथ-साथ अधिसूचनाओं, आदेशों, नियंत्रणों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, प्रासंगिक डेटाबेस में अपडेटेड किया जाएगा:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार प्रयोक्ताओं की विशिष्ट श्रेणियों या दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के संबंध में इस उपनियम में निर्धारित किसी भी उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट निर्दिष्ट कर सकती है।

(3) जहाँ किसी व्यावसायिक कनेक्शन में किसी व्यावसायिक प्रयोक्ता के परिसर में लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड लाइन, एसआईपी ट्रंक, पीआरआई लाइन या एसएमएस गेटवे लिंक का कनेक्शन शामिल है, वहाँ प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के उपबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगी:

- (क) दूरसंचार सेवाओं को सक्रिय करने से पहले, उन सभी दूरसंचार लिंकों का मूल्यांकन करेंगी और उनका व्यौरा दर्ज करेंगी जो पीएसटीएन, एनएलडी, आईएलडी, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस नेटवर्कों, अन्य इंटरनेट लीज्ड लाइनों (आईएलएल) के साथ-साथ अन्य प्रकार के दूरसंचार लिंकों से जुड़े हैं जो ऐसे व्यवसाय प्रयोक्ता के पास उपलब्ध हो सकते हैं, साथ ही ऐसे लिंकों के लिए व्यवसाय प्रयोक्ता द्वारा दिए गए कारणों को भी दर्ज करेंगी;
- (ख) सीएएफ में ऐसे व्यवसायिक प्रयोक्ता के लिए निषिद्ध गतिविधियों को संप्रेषित करेगी और निर्दिष्ट करेगी;
- (ग) ऐसे दूरसंचार लिंक के साथ आईएलएल के दुरुपयोग या अंतर्संबंध की जांच करने के लिए सक्रियण के पंद्रह दिनों के भीतर व्यावसायिक प्रयोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगी; और
- (घ) यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक प्रयोक्ता के परिसर में दूरसंचार लिंक के विवरण के साथ दूरसंचार नेटवर्क का एक डायग्राम प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध है, और इसे केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) यदि कोई प्राधिकृत इकाई भौतिक निरीक्षण के दौरान या अन्यथा लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड लाइन, एसआईपी ट्रंक, पीआरआई लाइन या एसएमएस गेटवे लिंक सहित किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन का दुरुपयोग पाती है, तो वह तुरंत ऐसी दूरसंचार सेवा को डिस्कनेक्ट कर देगी, और ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता के विरुद्ध लागू कानून के तहत उचित कार्यवाही शुरू करेगी, और इस तरह के दुरुपयोग का पता चलने के चौबीस घंटे के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचित करेगी।

47. प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए दूरसंचार सेवाओं के नामांकन और सक्रियण के लिए अतिरिक्त शर्तें

(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, व्यक्तिगत रूप से और अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ सामूहिक रूप से, निर्दिष्ट प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हुए, किसी ऐसे प्रयोक्ता के लिए, जो एक प्राकृतिक व्यक्ति है, दूरसंचार सेवा के किसी निर्दिष्ट प्रकार के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा संख्या से अधिक प्रकार का दूरसंचार सेवा कनेक्शन जारी नहीं करेगी:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं के लिए लागू अलग-अलग सीमाएँ निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) जहां कोई प्राकृतिक व्यक्ति लीजड सर्किट, इंटरनेट लीजड लाइन, एसआईपी ट्रंक, पीआरआई लाइन या एसएमएस गेटवे लिंक चाहता है, वहां नियम 46 के उप-नियम (2), उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

48. डेटा भारत में स्थित होगा

कोई भी प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित जानकारी भारत के बाहर किसी व्यक्ति या स्थान को हस्तांतरित नहीं करेगी:

(क) अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग और बिलिंग को छोड़कर, प्रयोक्ता से संबंधित लेखांकन जानकारी:

परंतु यह कि यह इन नियमों के तहत या लागू कानून के तहत अपेक्षित किसी भी वित्तीय प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

(ख) (i) आईपीएलसी प्रयोक्ता, और (ii) रोमिंग के दौरान प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने वाले विदेशी प्रयोक्ताओं की जानकारी को छोड़कर प्रयोक्ता की जानकारी।

49. अभिलेखों का रखरखाव

(1) प्राधिकृत इकाई:

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सॉफ्टवेयर विवरण सहित सभी दस्तावेज, दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त किए जाएं और ऐसे दस्तावेज को संरक्षित किया जाएगा;

(ख) सभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स और परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, तथा प्रमुख सॉफ्टवेयर अपडेट्स और परिवर्तनों का ब्यौरा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ऐसे अपडेट्स और परिवर्तनों के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध कराना होगा:

परंतु यह कि खंड (ख) दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के तहत महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में प्राधिकृत इकाई के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो।

(ग) उपापन के समय दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों की आपूर्ति शृंखला का विवरण प्राप्त करेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी;

(घ) प्रचालन और रखरखाव प्रक्रिया का रिकॉर्ड मैनुअल के रूप में रखेगी;

(ङ) सभी परिचालनों और कमांड लॉगों के अभिलेखों को बनाए रखना और संग्रहीत करेगी, जिसमें निष्पादन प्राधिकारी, तिथि, समय और स्थान के विवरण के साथ दिए गए कमांड का विवरण शामिल होगा, इस तरह से कि केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों तक पहुंच संभव हो सके: (i) न्यूनतम बारह माह की अवधि के लिए रियल टाइम आधार पर; और (ii) अगले चौबीस माह के लिए डिजिटल मोड में गैर-रियल टाइम आधार पर।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड (एसडीआर), कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) जो किसी भी नाम से संदर्भित हो, जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड (ईडीआर), आईपी डिटेल रिकॉर्ड या आईपी डेटा रिकॉर्ड (आईपीडीआर) और सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी भी अन्य समान रिकॉर्ड को यथानिर्दिष्ट तरीके से कम से कम दो वर्षों तक बनाए रखेगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए:

परंतु यह कि, केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को यथाचिन्हित प्रयोक्ता के संबंध में उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों को दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए रखने का निर्देश दे सकेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई उपनियम (2) के अंतर्गत रखे गए अभिलेखों का ब्यौरा केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को इस प्रयोजन के लिए यथानिर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध कराएगी।

50. घरेलू ट्रैफिक को भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा

कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू ट्रैफिक भारत के बाहर किसी स्थान से होकर न गुजरे:

परंतु यह कि, भारत के अलावा किसी अन्य देश से होकर गुजरने के बिना घरेलू ट्रैफिक की सेवा के लिए सैटेलाइटों और घरेलू पनडुब्बी केवलों का उपयोग, भारत के बाहर घरेलू ट्रैफिक को ढोने या मार्ग देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

51. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन की गई जानकारी को सुरक्षित करना

(1) किसी प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करने होंगे कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संचारित सूचना और संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संदेशों का अनधिकृत अपरोधन नहीं हो।

परंतु यह कि, जब कोई प्राधिकृत इकाई लागू कानून के तहत शक्तियों के प्रयोग में निदेश प्राप्त होने पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क से संदेशों और अन्य डेटा के रिकॉर्ड को केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को प्रदान करती है, तो ऐसे रिकॉर्ड एक बोधगम्य फॉर्मेट में प्रदान किए जाएंगे, न कि एन्क्रिप्टेड तरीके से।

(3) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के तहत दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई प्राधिकृत इकाई बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके उचित धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली को लागू करेगी, ताकि गुप्त या अवैध दूरसंचार नेटवर्क सहित दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग, दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे और धोखाधड़ी से दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रयोक्ताओं का पता लगाया जा सके, और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी भी निदेश का पालन किया जा सके।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई, जब ऐसा अपेक्षित हो, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग या किसी अवैध दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना का पता लगाने के लिए किसी भी जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान करेगी।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई ऐसे धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली के माध्यम से पता लगाए गए सभी प्रयोक्ताओं और दूरसंचार पहचानकर्ताओं का विवरण केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से सूचित करेगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के विरुद्ध पुलिस शिकायत और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने सहित कार्रवाई करेगी।

52. कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन

(1) कोई प्राधिकृत इकाई:

- (क) कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी और बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सीएलआई के साथ छेड़छाड़ न की जाए;
- (ख) पोर्टल पर यथानिर्दिष्ट तरीके से प्रयोक्ताओं के समक्ष सीएलआई प्रस्तुत करेगी; और
- (ग) अपने दूरसंचार नेटवर्क में झूठे या छेड़छाड़ किए गए या नकली सीएलआई वाले कॉलों की पहचान और रोकथाम के लिए आवश्यक प्रणाली स्थापित करेंगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों और मानकों का अनुपालन करेंगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर किसी भी निश्चित समय पर किसी भी प्रयोक्ता की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध कराएगी:

परंतु यह कि स्थलीय मोबाइल सेवाओं के मामले में, बेस ट्रांसीवर स्टेशन के अक्षांश और देशांतर सहित स्थान का विवरण भी प्रदान किया जाएगा।

(3) किसी प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका दूरसंचार नेटवर्क दुर्भावनापूर्ण कॉल पहचान का समर्थन करता है।

53. अनधिकृत या विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग की रोकथाम

कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए और इसका उपयोग किसी भी ऐसी गतिविधि को करने या किसी भी

कार्यवाई को शुरू करने के लिए नहीं किया जाए, जो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 या राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों सहित वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत अपराध है।

54. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का निर्धारण करेगा, जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताएं लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर उन्हें निर्दिष्ट करेगा।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत यथानिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबद्ध विश्वसनीय उत्पादों के साथ-साथ विश्वसनीय स्रोतों को निर्दिष्ट करेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी निर्दिष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण या संबद्ध उत्पादों की खरीद नहीं की जा सकती।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) के तहत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद करेगी, और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल ऐसे उत्पादों का उपयोग या कनेक्शन करेगी।

(6) किसी प्राधिकृत इकाई को, अपने दूरसंचार नेटवर्क को शुरू करने से पहले, इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा, और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रदान करना होगा, जैसा कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

(7) दूरसंचार नेटवर्क में तैनाती से पहले, प्राधिकृत इकाई को दूरसंचार उपकरण और संबद्ध उत्पादों, या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट उनकी श्रेणियों की खरीद के लिए शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(8) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी उन्नयन या विस्तार के लिए दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों, या उसकी श्रेणियों की खरीद से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

- (क) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों को विश्वसनीय उत्पाद और उनके संगत विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहले ही निर्धारित कर लिया है, तो प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तथा केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट रूप और तरीके से निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी: (i) दूरसंचार उपकरण और उन स्रोतों की सूची जिनसे वह खरीद करने की योजना बना रही है; और (ii) दूरसंचार उपकरण, संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों की खरीद की आवधिक रिपोर्ट, तथा उनकी संस्थापना के स्थान;
- (ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के तहत इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों का विवरण, जहां से वह उन्हें प्राप्त करने का इरादा रखती है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी;
- (ग) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों तथा उनके स्रोतों को अनुमोदित कर देता है, तो प्राधिकृत इकाई उन्हें खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और
- (घ) किसी प्राधिकृत इकाई को अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के संबंधित पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए वैसे मार्गदर्शन शामिल है, जैसा कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाए।

(9) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाए गए या लगाए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंधित कोई भी जानकारी, जब भी केंद्रीय सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए, उपलब्ध कराएँगी।

(10) कोई प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस नियम के अनुपालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अर्ध-वार्षिक आधार पर, इस प्रयोजन के लिए यथानिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

(11) ये नियम केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसे वह अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, जो प्राधिकृत इकाईयों पर बाध्यकारी होगा।

(12) लाइसेंसधारक के संबंध में, यह नियम उसके लाइसेंस के अंतर्गत विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद से संबंधित दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उसे रद्द करेगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक लाइसेंस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के तहत नियमों के तहत प्राधिकरण में स्थानांतरित नहीं हो जाता है:

परंतु यह कि, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए इस तरह का स्थानांतरण चालू वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी) या दूरसंचार उपकरणों के उनके अपडेट्स को प्रभावित नहीं करेगा, जो 15 जून 2021 से पहले ही इसके दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं;

परंतु यह और कि लाइसेंसधारी, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए अपने लाइसेंस के स्थानांतरण पर, 15 जून 2021 से पहले तैनात दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन या विस्तार के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमति लेगा, जिसमें विश्वसनीय उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए दूरसंचार उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

55. सुरक्षा उपबंधों का उल्लंघन

(1) सुरक्षा उपबंधों के उल्लंघन के लिए इन नियमों के अंतर्गत लगाई गई कोई भी सिविल शास्ति लागू कानून के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व और दांडिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे विक्रेता या आपूर्तिकर्ता का नाम काली सूची में डाल सकती है, जिसने ऐसे किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सहित दूरसंचार उपकरण की आपूर्ति की हो, जिससे सुरक्षा भंग हुई हो।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते में उप-नियम (2) को प्रभावी करने के लिए उपबंध शामिल करेगी।

56. कतिपय गतिविधियों पर प्रतिषेध

(1) इन नियमों के अंतर्गत स्थापित किसी प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित के प्रसारण के लिए नहीं किया जाएगा:

(क) लागू कानून के अनुसार आपत्तिजनक या अश्वील या अनधिकृत संदेश; या

(ख) किसी भी रूप में कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य सामग्री या संचार या संदेश।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई को केन्द्रीय सरकार से कोई रिपोर्ट, आदेश या निदेश या अदालती आदेश प्राप्त होने पर तुरंत अपने दूरसंचार नेटवर्क में उप-नियम (1) के उल्लंघन में सामग्री या संचार या संदेश के प्रसारण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना होगा।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई, जहां केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अपेक्षित हो, बिना किसी देरी के, आपत्तिजनक, अश्वील, अनधिकृत, उपद्रवी, अप्रिय या दुर्भावनापूर्ण कॉल, संदेशों की जांच के प्रयोजनों के लिए या अपराधों का पता लगाने के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित किसी भी संदेश का पता लगाने में सुविधा प्रदान करेगी:

परंतु यह कि इस संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी क्षति ऐसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगी।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी, विक्रेता, सलाहकार या कोई अन्य प्रासंगिक व्यक्ति, जिसकी दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान से संबंधित किसी भी जानकारी तक एक्सेस हो, वह प्राधिकरण के उचित कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत इकाई को दी गई या उसके पास उपलब्ध किसी भी गोपनीय जानकारी की गुप्तता और गोपनीयता बनाए रखेगा।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं बनेगी तथा किसी कानून और नीति का उल्लंघन नहीं करेगी।

57. दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस प्रदान करना

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, जिसे भारत के बाहर किसी स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट रूप में और तरीके से, निम्नलिखित के संबंध में व्यौरा प्रदान करते हुए, केंद्रीय सरकार से अनुमति मांग सकती है:

- (क) ऐसी रिमोट एक्सेस का प्रयोजन और अवधि तथा उस व्यक्ति का व्यौरा जो इसके दूरसंचार नेटवर्क तक एक्सेस बनाएगा; और
- (ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के विशिष्ट स्थान का विवरण, जिस तक भारत के बाहर विशिष्ट स्थान से रिमोट एक्सेस की मांग की गई है।

(2) केंद्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

- (क) रिमोट एक्सेस भारत के बाहर अनुमोदित स्थानों से भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों तक ही प्रदान की जाएगी, और यह ऐसे अनुमोदन के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन तक ही सीमित होगी;
- (ख) दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस से विधिसम्मत इंटरसेप्शन प्रणाली और विधिसम्मत इंटरसेप्शन एवं निगरानी सुविधाओं, कॉल डेटा रिकॉर्ड, संदेशों की विषय-वस्तु और किसी अन्य ऐसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच संभव नहीं होगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
- (ग) कोई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त तकनीकी प्रणालियां उपलब्ध कराएगी, जो भारत के बाहर अनुमोदित स्थान से जुड़ी होंगी, ताकि केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, भारत के बाहर अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध सूचना की मिरर इमेज तक एक्सेस और निगरानी कर सके।
- (घ) कोई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर छह माह की अवधि के लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित रिमोट एक्सेस गतिविधियों का पूर्ण लेखा परीक्षण बनाए रखेगी, और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी।

(3) यह नियम दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के तहत यथानिर्दिष्ट महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

58. सामान्य सुरक्षा शर्तें

(1) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य विधिविरुद्ध क्रियाकलाप की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई:

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करेगी, ऐसी परिशुद्धता के अधीन रहते हुए जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा के संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (ख) उस क्षेत्र की सटीकता की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित कोई भी सुविधा प्रदान करेगी, जहां किसी प्राधिकृत इकाई ने दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान को निलंबित कर दिया है और ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रयोक्ता टर्मिनल क्रियाकलाप का निरीक्षण या निगरानी करेगी।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई अपने सभी विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित किसी भी निदेश का पालन सुनिश्चित करेगी, जिसमें कोई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसे विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, विकास, विनिर्माण सुविधा और आपूर्ति शृंखलाओं का

निरीक्षण करने के लिए एक्सेस प्रदान करना शामिल है, ताकि ऐसे विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति के दौरान किसी भी समय सुरक्षा जांच और जोखिम मूल्यांकन किया जा सके।

(5) यह नियम केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसे वह अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, जो प्राधिकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा।

भाग ख: बिक्री केन्द्र के विनियमन के संबंध में सुरक्षा शर्तें

59. अध्याय 6 के भाग ख का लागू होना

इन नियमों के अध्याय 6 का भाग ख ऐसे दूरसंचार सेवाओं पर लागू होगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

60. पॉइंट ऑफ सेल

(1) अध्याय 6 के भाग ख के प्रयोजन के लिए -

(क) "कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति से है जो किसी भी या सभी पीओएस सेवाओं के लिए किसी भी तरह से नियोजित या नियुक्त है निम्नलिखित के द्वारा-

- (i) प्राधिकृत इकाई, या
- (ii) किसी प्राधिकृत इकाई का एजेंट, फ्रेंचाइजी या वितरक;

(ख) "पॉइंट ऑफ सेल" या "पीओएस" का तात्पर्य पीओएस सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति है जो निम्नलिखित हो सकता है:

- (i) किसी प्राधिकृत इकाई का एजेंट, फ्रेंचाइजी या वितरक; और
- (ii) खंड (ख) के तहत परिभाषित कर्मचारी।

स्पष्टीकरण: जहां पीओएस उप-खंड (ii) के तहत निर्दिष्ट कर्मचारी है, ऐसे कर्मचारी को एक अलग पीओएस के रूप में माना जाएगा।

(ग) "पीओएस सेवाओं" का अर्थ है निम्नलिखित से संबंधित सेवाएं:

- (i) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता का नामांकन;
- (ii) दूरसंचार सेवाओं को अपडेट किया जाना;
- (iii) सिम या प्रयोक्ता टर्मिनलों का वितरण; और
- (iv) दूरसंचार सेवाओं के संबंध में रिचार्ज और अन्य विलिंग गतिविधियाँ।

(2) पीओएस होगा:

(क) लागू कानून के तहत पंजीकृत कोई कंपनी या साझेदारी या एकमात्र स्वामित्व; या

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसके पास लागू कानून के तहत व्यापार या व्यवसाय लाइसेंस या परमिट, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी किया गया हो।

61. पीओएस के संबंध में प्राधिकृत इकाई के दायित्व

(1) किसी प्राधिकृत इकाई को प्रासंगिक पीओएस सेवाओं के उपबंध के लिए, इस नियम के अनुसार, प्रत्येक पीओएस के साथ रजिस्टर करना होगा और समझौते करने होंगे :

परंतु यह कि प्राधिकृत इकाई इन नियमों के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए ऐसे प्रयोक्ता के नामांकन से पहले प्रयोक्ता का पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है;

परंतु यह कि, किसी पीओएस द्वारा भंग या उल्लंघन के संबंध में अध्याय 6 के इस भाग ख के तहत निर्दिष्ट कोई भी कार्रवाई, किसी ऐसे कार्रवाई के प्रतिकूल नहीं होगी जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के तहत ऐसे भंग या उल्लंघन के लिए प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध शुरू कर सकती है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई पी.ओ.एस. के साथ समझौता करने से पहले, नीचे निर्दिष्ट तरीके से ऐसे पी.ओ.एस. को पंजीकृत करेगी:

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट दस्तावेजों का उपयोग करके प्रत्येक पीओएस को चिन्हित करना;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट तरीके से बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रत्येक पीओएस की पहचान को प्रमाणित करना;
- (ग) पीओएस द्वारा घोषित, तथा जब भी ऐसी जानकारी पीओएस द्वारा अपडेट की जाती है, ऐसे आवास और व्यवसाय के स्थान के पते का भौतिक सत्यापन करना, तथा ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे पतों के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करना; और
- (घ) जहाँ कहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, पीओएस के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया उस तरीके से और सेवा क्षेत्र के संबंध में शुरू करना, जैसा कि ऐसे निदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

(3) किसी प्राधिकृत इकाई को

- (क) पीओएस का व्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से बनाए रखना तथा ऐसे पीओएस के संपर्क व्यौरे या अन्य जानकारी को ऐसे व्यौरे में किसी भी परिवर्तन के सात दिनों के भीतर अद्यतन करना सुनिश्चित करना होगा; और
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण वाले डेटाबेस को रियल टाइम आधार पर केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी के साथ साझा करना होगा।

(4) उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट चरणों के पूरा होने पर, प्राधिकृत इकाई प्रत्येक पीओएस के साथ करार करेगी, जिसमें पीओएस सेवाओं के निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:

- (क) पीओएस का दायरा और कर्तव्य;
- (ख) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने या अपडेट करने के लिए प्रयोक्ता के नामांकन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले पीओएस के मामले में, लागू नियमों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट निदेशों, प्रक्रियाओं या अनुदेशों के अनुरूप प्रयोक्ताओं के नामांकन की प्रक्रिया;
- (ग) प्रयोक्ता की दूरसंचार सेवा के नामांकन और अपडेट के लिए पीओएस के प्रचालन का क्षेत्र प्राधिकृत इकाई के प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र तक सीमित होगा:

परंतु यह कि जहाँ किसी प्राधिकृत इकाई का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र है, वहाँ प्रत्येक पीओएस का प्रचालन क्षेत्र दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के अनुरूप एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होगा, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची (ख) में निर्दिष्ट है;

- (घ) पीओएस का किसी अन्य पीओएस के साथ परस्पर संबंध, यदि कोई हो;
- (ङ) ऐसे किसी करार के हस्तांतरण या समनुदेशन पर प्रतिषेध;
- (च) ऐसे करार के कर्तव्यों और दायित्वों के किसी भी प्रत्यायोजन का प्रतिषेध; और
- (छ) समझौते के किसी भी निबंधन या शर्त के उल्लंघन के परिणाम, जिसमें परिनिर्धारित नुकसान और ऐसे करार की समाप्ति शामिल है।

(5) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (4) के अंतर्गत करार करने के पश्चातः

- (क) प्रत्येक पीओएस को एक विशिष्ट पीओएस आईडी प्रदान करेगा तथा ऐसी आईडी को रियल टाइम में ऐसे पीओएस तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य सभी प्रकार की प्राधिकृत इकाइयों को संप्रेषित करेगा;

परंतु यह कि, प्रत्येक पीओएस को केवल एक विशिष्ट पीओएस आईडी दी जाएगी, जो उन सभी प्राधिकृत इकाइयों के संबंध में समान होगी, जिन्होंने ऐसे पीओएस के साथ अनुबंध किया है;

- (ख) अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ संयुक्त सहयोग से, रियल टाइम में, ऐसी किसी भी मौजूदा आईडी सहित, ऐसी विशिष्ट पीओएस आईडी के सृजन और उसे साझा करने के लिए एक क्रियाविधि करेगा; और
- (ग) सिम और निर्दिष्ट प्रकार के प्रयोक्ता टर्मिनलों की ऑनलाइन आपूर्ति शृंखला प्रबंधन प्रणाली को रियल टाइम आधार पर बनाए रखेगा और अपडेट करेगा, साथ ही ऐसे सिम और प्रयोक्ता टर्मिनलों को प्राधिकृत इकाई से उसके प्रयोक्ताओं तक ले जाने का विवरण, और केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अपेक्षित होने पर ऐसे विवरण प्रदान करेगा।

(6) रिचार्ज और अन्य बिलिंग गतिविधियों तक सीमित पीओएस सेवाएँ प्रदान करने वाले पीओएस के संबंध में, उप-नियम (2), उप-नियम (4) और उप-नियम (5) अनिवार्य नहीं होंगे।

(7) एक प्राधिकृत इकाई ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेगी जो पीओएस या प्रयोक्ता की ओर से किसी भी असामान्य या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए आवश्यक हैं, जो पीओएस के पंजीकरण, पीओएस द्वारा प्रयोक्ता के नामांकन, या पीओएस द्वारा दूरसंचार सेवाओं को अपडेट करने के दौरान हो सकते हैं, और ऐसे पीओएस या प्रयोक्ता के विवरण को केंद्रीय सरकार को यथानिर्दिष्ट रूप और तरीके से सूचित करेगी।

(8) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी के घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर, किसी पीओएस के साथ करार को समाप्त कर देगी, तथा सभी प्राधिकारों में ऐसे पीओएस की विशिष्ट पीओएस आईडी को ब्लॉक कर देगी:

- (क) जहां प्राधिकृत इकाई को पता चलता है कि पंजीकरण या करार में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान पीओएस द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज गलत या जाली पाया जाता है;
- (ख) केंद्रीय सरकार से टर्मिनेशन के लिए प्राप्त किसी भी निदेश पर।

(9) पीओएस आईडी को उप-नियम (8) में ब्लॉक करने वाली प्राधिकृत इकाई:

- (क) ऐसी सूचना को सभी सेवा क्षेत्रों में अन्य सभी प्राधिकृत इकाइयों को रियल टाइम में संप्रेषित करना, तथा ऐसी अन्य प्राधिकृत इकाईएं भी ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे पीओएस के साथ अपने-अपने समझौते समाप्त कर देंगी;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पीओएस किसी भी प्रयोक्ता को नामांकित करने में सक्षम नहीं होंगे; और
- (ग) उन सभी प्रयोक्ताओं को एक निर्दिष्ट अवधि में, पुनः नामांकित करेगी, जो ऐसे पीओएस द्वारा पहले नामांकित किया गया था।

(10) उप-नियम (8) और उप-नियम (9) के तहत टर्मिनेशन के संबंध में सभी संबंधित प्राधिकृत इकाइयां:

- (क) ऐसी समाप्ति के तीन दिन के भीतर, टर्मिनेशन के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयों का विवरण देते हुए, केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण के सभी सेवा क्षेत्रों में इसके बाद तीन वर्ष की अवधि तक ऐसे पीओएस की नियुक्ति के लिए कोई समझौता न किया जाए।

(11) उप-नियम (8) के तहत निर्दिष्ट नियमों के अलावा, केंद्रीय सरकार, किसी पीओएस की कार्रवाइयों के कारण इन नियमों के किसी अन्य उल्लंघन के घटित होने पर, या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, प्राधिकृत इकाई को पीओएस के विरुद्ध प्रासंगिक कार्रवाई करने का निदेश दे सकती है, जिसमें चेतावनी जारी करना, परिनिर्धारित नुकसान वसूलना और ऐसे पीओएस की सेवाएँ समाप्त करना शामिल है।

(12) पीओएस सेवाएँ लेने वाले पीओएस के कर्मचारी को एक अलग पीओएस के रूप में माना जाएगा, और उप-नियम (2) से उप-नियम (11) के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(13) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (11) के तहत जारी निदेशों को क्रियान्वित करेगी तथा इस संबंध में सभी देयताएं वहन करेगी।

(14) प्राधिकृत इकाई इस नियम के अनुसरण में उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, प्रभारों या नुकसानों के संबंध में केंद्रीय सरकार को धन्तिपूर्ति करेगी।

अध्याय 7: सैटेलाइट का उपयोग करके दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए विशिष्ट शर्तें

62. अध्याय 7 की प्रयोज्यता

यह अध्याय गैर स्थलीय नेटवर्क और जीएमपीसीएस नेटवर्क सहित सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग करके दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा, और ऐसी सभी प्राधिकृत इकाईयाँ इस अध्याय में निर्दिष्ट शर्तों के साथ-साथ इन नियमों के तहत प्रदान किए गए ऐसे प्राधिकरण के अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगी।

63. सैटेलाइट प्रणालियों के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं का उपबंध

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, जो सैटेलाइट प्रणालियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार सेवा प्रदान करने को इच्छुक हो, केंद्रीय सरकार की अनुमति के लिए पोर्टल पर यथा निर्दिष्ट रूप में और तरीके से आवेदन करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन करने वाली प्राधिकृत इकाई को:

(क) प्रासंगिक सैटेलाइट या स्पेस सेगमेंट केपेसिटी का स्वामित्व हो; या

(ख) अंतरिक्ष विभाग या इन-स्पेस द्वारा प्राधिकृत स्पेस सेगमेंट प्रवाइडर या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय के साथ ऐसे सैटेलाइट या स्पेस सेगमेंट केपेसिटी को पट्टे पर देने के लिए करार करेगी; और-

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि खंड (ख) के तहत किए गए ऐसे करार में स्पेस सेगमेंट प्रवाइडर को किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है जैसे:

(i) अनधिकृत सैटेलाइट संकेत जो भारत में उत्पन्न या समाप्त हो रहा हो; और

(ii) भारत से किसी ऐसे सैटेलाइट तक अनधिकृत पहुंच जो उसके नियंत्रण या प्रचालन के अधीन हो और जिसका उपयोग भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा हो;

प्राधिकृत इकाई और बदले में प्राधिकृत इकाई ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट तुरंत केंद्रीय सरकार को देगी।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन में प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सैटेलाइट प्रणाली का विवरण, प्रत्येक ऐसी सैटेलाइट प्रणाली के लिए अर्थ स्टेशन गेटवे और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क, उनकी अवस्थिति विवरण के साथ;

(ख) सैटेलाइट या स्पेस सेगमेंट केपेसिटी;

(ग) जहां ऐसी केपेसिटी किसी स्पेस सेगमेंट प्रवाइडर से पट्टे पर ली गई हो, ऐसे करार की प्रमाणित सत्य प्रति; और

(घ) कोई अन्य सूचना जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

(4) केन्द्रीय सरकार, सैटेलाइट नेटवर्क मंजूरी के लिए उत्तरदायी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन के मूल्यांकन और सुरक्षा जांच के अधीन रहते हुए, यदि अपेक्षित हो, तो वह अपने द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन अनुमति प्रदान कर सकती है।

(5) एक प्राधिकृत इकाई एक या अधिक अनुमति सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग कर सकती है, वशर्ते कि प्रत्येक ऐसी सैटेलाइट प्रणाली के लिए सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क भारत में स्थित है।

(6) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट करारों में होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना केंद्रीय सरकार को देगी तथा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे करार की संशोधित प्रति प्रस्तुत करेगी।

(7) प्राधिकृत इकाई को अनुमति प्राप्त सैटेलाइट प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व, जिसमें फ्रीक्लैंसी बैंड, प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट की संख्या, ओर्बिट या ग्राउंड और स्पेस सेगमेंट से संबंधित किसी अन्य कॉफिगरेशन में परिवर्तन शामिल है, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को पूर्व लिखित अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

(8) केंद्रीय सरकार उपनियम (7) के अधीन आवेदन के मूल्यांकन के पश्चात् ऐसी प्राधिकृत इकाई को अपना लिखित अनुमोदन प्रदान कर सकेगी।

64. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) नियम 63 के अंतर्गत सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त प्राधिकृत इकाई को निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन शर्तों का पालन करना होगा:

- (क) यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में स्थित प्रयोक्ता टर्मिनलों से उत्पन्न या समाप्त होने वाला सैटेलाइट नेटवर्क का समस्त ट्रैफ़िक, किसी प्राधिकृत इकाई के सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और भारत में स्थित संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क से होकर गुजरेगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में स्थित प्रयोक्ता टर्मिनल से उत्पन्न या समाप्त होने वाला कोई भी ट्रैफ़िक सीधे या अंतर सैटेलाइट संचार लिंक के माध्यम से भारत के बाहर स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से रूट नहीं किया जाता है, भारत में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की विफलता के दौरान या दूरसंचार नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के रूप समेत;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता ट्रैफ़िक को किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा अंतर-सैटेलाइट संचार लिंक या किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर स्थित किसी सैटेलाइट प्रणाली या सर्वर पर प्रतिविवित नहीं किया जाएगा;
- (घ) उपर्युक्त खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग फेसिलिटी प्रदान करना;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता ट्रैफ़िक को सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से रूट किए विना, एक या अधिक सैटेलाइट के माध्यम से दो या अधिक प्रयोक्ता टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा;
- (च) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को फ्रीक्वेंसी प्लान से संबंधित विवरण प्रदान करेगी, तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित फ्रीक्वेंसी प्लान के अनुसार सैटेलाइट नेटवर्क का प्रचालन करेगी;
- (छ) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, केंद्रीय सरकार को रेडिएशन पैटर्न परिणामों के साथ एंटीना पैरामीटर के स्व-प्रमाणित विवरण, सत्यापन के लिए उपलब्ध कराएगी;
- (ज) इन्टरफ़ेरेंस मॉनिटरिंग के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करेगी और परीक्षण करेगी, तथा इसके शमन के लिए केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठाएगी; और
- (झ) किसी वेस स्टेशन को बैकहॉल लिंक प्रदान करने या किसी इंटरनेट नोड या किसी अन्य दूरसंचार उपकरण या इंटरनेट नोड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वीसैट या कोई अन्य एफएसएस टर्मिनल, ऐसे वेस स्टेशन या इंटरनेट नोड या किसी अन्य दूरसंचार उपकरण वाले प्राधिकृत इकाई के सेवा क्षेत्र में स्थित होगा:

बशर्ते कि, संबंधित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे भारत में कहीं भी स्थित हो सकता है और इस सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे से कनेक्टिंग लिंक ऐसे बैकहॉल लिंक या कनेक्टिविटी का उपयोग करके ऐसी प्राधिकृत इकाई के मुख्य दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच लागू नियमों के अनुसार स्थापित की जा सकती है।

(2) एक प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन, जिसके लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से तथा ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है:

- (क) भारत के बाहर स्थित प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित अपने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग करना, बशर्ते: (i) जहां प्रयोक्ता स्थित है, संबंधित क्षेत्राधिकार में ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी मंजूरी (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) प्राप्त करना, और (ii) ऐसे निदेशों का अनुपालन करना जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है; या
- (ख) भारत के बाहर के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों के साथ, जहां प्रयोक्ता स्थित है, संबंधित क्षेत्राधिकार में ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी मंजूरी (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) प्राप्त करने के बाद समझौता करना, सैटेलाइट से और सैटेलाइट तक संकेतों के अपलिंक और डाउनलिंक के लिए भारत में स्थापित प्राधिकृत इकाई के सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के उपयोग को सक्षम करने के लिए, ऐसे निदेशों के अनुपालन के अधीन, जिन्हें केंद्रीय सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है।

(3) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (2) के तहत किए गए आवेदन के अपने मूल्यांकन के अधीन, और यदि आवश्यक हो, तो सैटेलाइट नेटवर्क मंजूरी के लिए जिम्मेदार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा जांच के अधीन, प्राधिकृत इकाई द्वारा अनुरोध के अनुसार अनुमति दे सकती है, जो कि निम्नलिखित सहित विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है:

- (क) भारत में स्थापित सैटेलाइट अर्थ-स्टेशन गेटवे और राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के बाहर स्थित प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले विदेशी दूरसंचार नेटवर्क के बीच दूरसंचार ट्रैफ़िक केवल सैटेलाइट अर्थ-स्टेशन गेटवे से युक्त उपकरणों तक ही सीमित रहेगा, तथा इसे भारत में स्थित किसी दूरसंचार नेटवर्क या प्रयोक्ता टर्मिनल में प्रेषित या प्राप्त नहीं किया जाएगा; और
- (ख) भारत में स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के बाहर स्थित प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले विदेशी दूरसंचार नेटवर्क के बीच दूरसंचार ट्रैफ़िक को प्राधिकृत आईएलडी गेटवे के माध्यम से रूट किया जाएगा।

(4) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अंतर्गत कवर की गई व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को ध्वनिपूर्ति करेगी।

65. रोलआउट दायित्व

(1) दूरसंचार सेवा के प्रावधान के लिए एक प्राधिकृत इकाई या तो अपना स्वयं का सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित कर सकती है या अन्य प्राधिकृत इकाइयों द्वारा स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग कर सकती है, जो अपने-अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत ऐसे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को साझा करने के लिए पात्र हैं।

(2) एक प्राधिकृत इकाई, प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित, ऐसे स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से बारह महीने के भीतर सैटेलाइट प्रणालियों और आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए दूरसंचार नेटवर्क शुरू करेगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई को, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची परीक्षण प्रक्रिया (टीएसटीपी) के अनुसार, रोलआउट दायित्वों के अनुपालन के सत्यापन के लिए, विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, केंद्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा।

(4) उप-नियम (3) के तहत सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तिथि माना जाएगा।

(5) उप-नियम (3) के तहत सत्यापन में विफलता के मामले में, एक प्राधिकृत इकाई को आवश्यक सुधारों के बाद पुनः पंजीकरण करना होगा, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर केंद्रीय सरकार के साथ पुनः पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्व के अनुपालन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(6) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में किसी भी प्रकार की विफलता को प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार निपटान किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि रोलआउट दायित्वों का अनुपालन ऐसे दायित्वों के अनुपालन हेतु नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे प्राधिकरण के निवंधनों और शर्तों का उल्लंघन माने बिना, रोलआउट दायित्व की पूर्ति मानेगी।

(7) रोलआउट दायित्वों का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में, दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार सिविल जुर्माना लगाने के अलावा, सैटेलाइट प्रणालियों के लिए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार वापस लिया जा सकता है।

66. सुरक्षा शर्तें

(1) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, प्रयोक्ता टर्मिनल और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क प्रचालन, रखरखाव और नियंत्रण सुविधा की भारत में स्थित हों।

(2) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अनुमति प्राप्त सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए, जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है और ऐसी सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित किसी भी अनधिकृत गतिविधियों के लिए या ऐसे तरीके से नहीं किया जाए जिससे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा हो।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि लक्ष्य अपरोधन सूची (टीआईएल) आधारित अपरोधन और निगरानी, भौगोलिक स्थान-आधारित अपरोधन और निगरानी के अलावा भी संभव है।

(4) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के बाहर पंजीकृत और अनुमति प्राप्त सैटेलाइट प्रणाली के प्रयोक्ता टर्मिनल का उपयोग करने वाला प्रयोक्ता, भारत में प्रचालन करते समय ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनल को प्राधिकृत इकाई के साथ पंजीकृत कराएगा।

(5) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ताओं को उसकी दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच केवल प्राधिकृत इकाई के उपकरण पहचान रजिस्टर (ईआईआर) पर उनके प्रयोक्ता टर्मिनलों को पंजीकृत करने के बाद ही प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि भारत के बाहर से लाया गया प्रयोक्ता टर्मिनल, ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनल के संबंध में प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क निकासी के सत्यापन के बाद ही ऐसे ईआईआर पर पंजीकृत किया जाएगा।

(6) प्राधिकृत इकाई अपने सैटेलाइट प्रणाली तक पहुंच और उपयोग की निगरानी करेगी, तथा उप-नियम (5) के तहत पंजीकृत नहीं किए गए प्रयोक्ता टर्मिनल तक पहुंचने और उसे प्रचालित करने के किसी भी प्रयास की घटना की सूचना तुरंत केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से देगी, साथ ही ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनल और उसके स्थान के बारे में जानकारी भी देगी।

(7) केंद्रीय सरकार देश में कानूनी रूप से लाए गए सैटेलाइट प्रणालियों के प्रयोक्ता टर्मिनलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए वायु, भूमि और समुद्री सीमा शुल्क तथा प्राधिकृत इकाई के बीच नियमित आधार पर ऑनलाइन समन्वय के लिए उपयुक्त तंत्र को अलग से अधिसूचित कर सकती है, जिससे प्राधिकृत इकाई को भारत में गुप्त रूप से लाए गए सैटेलाइट प्रणालियों के प्रयोक्ता टर्मिनलों की पहचान करने और उन्हें अलग करने में सुविधा होगी, ताकि सैटेलाइट प्रणाली तक उनकी पहुंच को रोका जा सके।

(8) प्राधिकृत इकाई भारत के भीतर सैटेलाइट प्रणालियों के प्रयोक्ता टर्मिनलों के प्रचालन की निगरानी, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करेगी, और केंद्रीय सरकार के निर्देशों पर, ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनलों की पहचान और स्थान से संबंधित विवरण प्रदान करेगी।

(9) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता टर्मिनलों के वास्तविक स्थान को छिपाने के लिए प्रयोक्ता टर्मिनलों में कोई स्थान स्पूफिंग उपकरण, चाहे वह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, शामिल न किया जाए तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क में ऐसे किसी उपकरण की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

(10) एक प्राधिकृत इकाई स्थिर प्रकार की फिक्स्ड सैटेलाइट सेवा (एफएसएस) प्रयोक्ता टर्मिनलों को प्रयोक्ता के परिसर की भौगोलिक स्थिति से जोड़ेगी, जिसमें किसी भी स्थानांतरण के संबंध में भी शामिल है।

(11) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रयोक्ता, प्राधिकृत इकाई से पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, स्थिर प्रकार के एफएसएस प्रयोक्ता टर्मिनल को स्थानांतरित न करे।

(12) कोई प्राधिकृत इकाई, उस प्रयोक्ता को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगी जो उसके पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपने एफएसएस प्रयोक्ता टर्मिनल को स्थानांतरित करने का प्रयास करता है या स्थानांतरित करता है।

(13) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रयोक्ता टर्मिनल की दूरसंचार सेवाएं, चाहे वह निष्क्रिय मोड में हो या उपयोग में हो, तब बंद कर दी जाएं जब ऐसा प्रयोक्ता टर्मिनल नियम 38 के उप-नियम (2) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है।

(14) प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ता टर्मिनलों में भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली-आधारित स्थिति निर्धारण प्रणाली के प्रावधान के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों और समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(15) प्राधिकृत इकाई, निर्दिष्ट तरीके से, एक समयबद्ध कार्य योजना विकसित करेगी और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसका लक्ष्य सेवाओं के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, सैटेलाइट नेटवर्क के भू-खंड के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के कम से कम बीस प्रतिशत की खरीद, स्वदेशीकरण और भारत से प्राप्ति करना होगा।

(16) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (15) के तहत निर्दिष्ट कार्य योजना के अनुसार वार्षिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करेगी।

अध्याय 8: दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

67. अध्याय 8 की प्रयोज्यता

(1) अध्याय 1 से अध्याय 7 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम इस अध्याय के प्रासंगिक भाग के दायरे में निर्दिष्ट विशिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 7 और अध्याय 8 के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अध्याय 8 के प्रावधान प्रचलित होंगे।

भाग क: एकीकृत सेवा प्राधिकरण

68. एकीकृत सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) भाग क के प्रावधान एकीकृत सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) एनएसओ के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) एनएसओ के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकरण;
- (ख) एनएसओ के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण; और
- (ग) एनएसओ के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण।

(3) वीएनओ के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वीएनओ के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकरण
- (ख) वीएनओ के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण; और
- (ग) वीएनओ के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण।

(4) एकीकृत सेवा प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं, जैसा भी मामला हो, वायरलाइन या वायरलेस स्थलीय नेटवर्क, गैर-स्थलीय नेटवर्क और जीएमपीसीएस नेटवर्क या सबमरीन नेटवर्क सहित सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कर सकती है।

(5) इन नियमों के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्राधिकरण, इंटरनेट सेवा प्राधिकरण और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट निवंधन और शर्तें एकीकृत सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि अध्याय 8 के इस भाग क में एकीकृत सेवा के लिए अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(6) एकीकृत सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य सेवा, जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

69. वित्तीय शर्तें

इन नियमों के अध्याय 4 में उल्लिखित वित्तीय स्थितियों के बावजूद, सकल राजस्व, एपीजीआर और एजीआर की गणना करने के लिए, एक प्राधिकृत इकाई प्रत्येक दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र स्तर के लिए अलग-अलग खाते बनाएंगी, बनाए रखेंगी और प्रस्तुत करेंगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार या द्वाई द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करेंगी।

70. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) कोई भी एनएसओ किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर दूरसंचार यातायात को सौंपने या लेने के लिए किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अपने दूरसंचार नेटवर्क को जोड़ सकता है, ऐसा न करने पर, इंटरकनेक्शन पर द्वाई के विनियमों में निर्दिष्ट इंटरकनेक्शन के बिंदु पर इंटरकनेक्शन होगा।

(2) कोई भी प्राधिकृत इकाई भारत में कहीं भी अपना कोई भी दूरसंचार उपकरण स्थापित कर सकती है:

बशर्ते कि प्राधिकृत इकाई सुरक्षा शर्तों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में वैध अपरोधन प्रणालियों और वैध अपरोधन और निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करेंगी।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि आपदा प्रबंधन प्लेटफार्म और सार्वजनिक सुरक्षा उत्तर बिंदु (पीएसएपी) से कनेक्टिविटी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपलब्ध कराई जाए और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर अपना ट्रैफ़िक प्रचालित करने की पूर्ण छूट होगी।

(5) केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के तहत निर्धारित नियमों और पोर्टल पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय नंबरिंग योजना (एनएनपी) के अनुसार प्राधिकृत इकाई को दूरसंचार पहचानकर्ता प्रदान करेगी।

71. सुरक्षा शर्तें

प्राधिकृत इकाई को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रासंगिक सुरक्षा शर्तों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैध अपरोधन प्रणालियों और वैध अपरोधन और निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी।

72. एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ

एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ एकीकृत सेवा प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:

- (क) वीएनओ अपने नेटवर्क को अपने मूल एनएसओ के नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पारस्परिक करार में प्रवेश कर सकता है और केंद्रीय सरकार को ऐसे करार का विवरण प्रदान कर सकता है, और पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से सात दिनों के भीतर ऐसे करार में किसी भी संशोधन को अद्यतन कर सकता है।
- (ख) वीएनओ अपने मूल एनएसओ के अलावा किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरकनेक्शन केवल उसके मूल एनएसओ द्वारा ही किया जाएगा।
- (ग) एक्सेस सेवा के लिए वीएनओ, इंटरनेट सेवा के लिए वीएनओ और लंबी दूरी की सेवा के लिए वीएनओ पर लागू अन्य शर्तें संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत सेवा के लिए वीएनओ पर भी लागू होंगी।

भाग ख: एक्सेस सेवा प्राधिकरण

73. एक्सेस सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इसके भाग ख के प्रावधान एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) एनएसओ के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वीडियो संदेशों सहित ध्वनि और गैर-ध्वनि संदेशों का प्रसारण, उत्सर्जन या रिसेप्शन;
- (ख) इंटरनेट सेवा प्राधिकरण का दायरा;
- (ग) विविध दूरसंचार सेवाओं के नियमों के तहत निर्दिष्ट उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण का दायरा ;
- (घ) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा;
- (ङ) इंट्रा-सर्किल लंबी दूरी की कॉल; और
- (च) दूरसंचार सेवा के रूप में कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन)।

(3) वीएनओ के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वीडियो संदेशों सहित ध्वनि और गैर-ध्वनि संदेशों का प्रसारण, उत्सर्जन या रिसेप्शन;
- (ख) वीएनओ के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण का दायरा;
- (ग) विविध दूरसंचार सेवाओं के नियमों के तहत निर्दिष्ट उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण का दायरा;
- (घ) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा; और
- (ङ) इंट्रा-सर्किल लंबी दूरी की कॉल।

(4) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रयोक्ताओं को प्रदान कर सकती है:

- (क) मोबाइल टर्मिनल;
- (ख) फिक्स्ड तार एक्सेस टर्मिनल;
- (ग) फिक्स्ड बेतार एक्सेस टर्मिनल;
- (घ) वीसैट (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) और अर्थ स्टेशन इन मोशन टर्मिनलों सहित एफएसएस (फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस) टर्मिनल;
- (ङ) एमएसएस (मोबाइल सैटेलाइट सेवा) टर्मिनल;
- (च) आईओटी डिवाइस और सेंसर प्रकार टर्मिनल सहित मशीनें;
- (छ) राउटर या स्विच; या
- (ज) इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार के टर्मिनल का उपयोग किया जा सकता है।

(5) एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं, जैसा भी मामला हो, तार या बेतार स्थलीय नेटवर्क, गैर-स्थलीय नेटवर्क और जीएमपीसीएस नेटवर्क सहित सैटेलाइट नेटवर्क, या सबमरीन नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कर सकेगी।

(6) वीएनओ के लिए तार एक्सेस सेवा प्राधिकरण का दायरा तार एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करने वाले वीएनओ के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकरण के प्राधिकरण तक ही सीमित होगा, और ऐसी प्राधिकृत इकाई केवल निश्चित तार एक्सेस टर्मिनलों पर प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकती है।

(7) एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत प्राधिकृत सेवाएं ही प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवाएं, जिनके लिए केंद्रीय सरकार से अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

(8) विशिष्ट निबंधन और शर्तें, तथा विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए नियमों के अंतर्गत उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण, एक्सेस सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगे, जब तक कि अध्याय 8 के इस भाग खं में एक्सेस सेवा के लिए अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

74. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई को निम्नलिखित तकनीकी शर्तों का अनुपालन करना होगा:

- (क) किसी प्राधिकृत इकाई का दूरसंचार नेटवर्क मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के विनियमों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं के प्रारंभ से पहले ट्राई या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा;
- (ख) एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र में अंतर-सर्किल ट्रैफ़िक को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण या लाइसेंस रखने वाली प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा;
- (ग) एनएसओ लागू ट्राई विनियमों के अनुसार सभी पात्र प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के दूरसंचार नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा और इंटरकनेक्शन प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉल सभी गंतव्यों तक पूरी हो जाएं;
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) ट्रैफ़िक को किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर आगे संचरण के लिए आईएलडी गेटवे को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस हो, जैसा भी मामला हो, वशर्ते कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार या ट्राई द्वारा जारी किसी अधिसूचना, आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश या विनियमन का अनुपालन किया जाए:

वशर्ते कि, कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क को सीधे आईएलडी गेटवे के साथ जोड़ने से इनकार नहीं करेगी, ऐसी स्थिति में जहां आईएलडी सेवा प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण या लाइसेंस

रखने वाली प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी का उपस्थिति बिंदु (पीओपी) और एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण या लाइसेंस रखने वाली प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी का पीओपी एक ही स्थेशन पर स्थित हो।

(इ) एक प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रयोक्ताओं को नामांकित करेगी जो उसके दूरसंचार नेटवर्क में प्रदान की जाती हैं, तथा इसके लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित स्पेक्ट्रम और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

(च) प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) और पोर्टल पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय नंबरिंग योजना (एनएनपी) के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार अपने प्रयोक्ताओं को दूरसंचार पहचानकर्ता प्रदान करेगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अपने किसी भी दूरसंचार उपकरण को अपने प्राधिकृत सेवा क्षेत्रों में कहीं भी, संबंधित प्राधिकृत सेवा क्षेत्रों में स्थित और प्रचालित इंटरकेनेक्ट बिंदुओं के अधीन, अंतर-संचालक कॉलों और अंतर-सेवा क्षेत्र लंबी दूरी की कॉलों के लिए, इन नियमों में निर्दिष्ट सुरक्षा शर्तों को पूरा करते हुए, तैनात कर सकती है।

(3) एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाला एक एनएसओ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य एनएसओ के साथ रोमिंग सुविधाओं के लिए आपसी करार कर सकता है:

बशर्ते कि रोमिंग के लिए ऐसा कोई करार किसी प्राधिकृत इकाई को ऐसे प्रकार की दूरसंचार सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के लिए प्रयोक्ताओं को नामांकित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जो उसके घरेलू दूरसंचार नेटवर्क में उपलब्ध नहीं हैं।

(4) एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाला कोई भी एनएसओ अपने प्रयोक्ताओं को रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ आपसी समझौते भी कर सकता है, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

(5) प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्लाइसिंग सहित अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके प्रयोक्ता को दूरसंचार सेवा के रूप में कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) प्रदान कर सकती है।

(6) प्राधिकृत इकाई उसे सौंपे गए एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके प्रयोक्ताओं के लिए पृथक सीएनपीएन स्थापित कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसे पृथक सीएनपीएन की स्थापना करते समय, प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से लागू गुणवत्ता सेवा मानकों को बनाए रखा जाए।

(7) यदि कोई प्राधिकृत इकाई सीएनपीएन के लिए उपयोग किए जा रहे स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का निर्णय लेती है, तो उसे ऐसे स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की प्रभावी तिथि से कम से कम छह महीने पहले अपने सीएनपीएन प्रयोक्ताओं को इस प्रकार के सरेंडर की सूचना देनी होगी।

(8) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क पर इंट्रा-सर्किल लंबी दूरी का ट्रैफिक ले जा सकती है या अपने इंट्रा-सर्किल लंबी दूरी के ट्रैफिक को ले जाने के लिए एक्सेस सेवा या लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण वाली इकाइयों के साथ आपसी समझौते कर सकती है।

(9) जहां किसी प्राधिकृत इकाई के पास एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में एक्सेस सेवा और इंटरनेट सेवा के लिए अलग-अलग प्राधिकरण हैं, वहां प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले, केंद्रीय सरकार को प्राधिकरण के प्रकार की घोषणा करेगी, जिसके तहत ऐसी प्राधिकृत इकाई द्वारा ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

उदाहरण: यदि क. राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई, हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में एक्सेस सेवा प्राधिकरण प्राप्त करती है, तो क. हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले, केंद्रीय सरकार को घोषित करेगा कि क्या क. एक्सेस सेवा प्राधिकरण या इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के तहत इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा।

(10) प्राधिकृत इकाई स्वतंत्र रूप से या अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ किए गए आपसी करारों के माध्यम से, सभी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी प्रदान करेगी, जिसमें पीएसएपी, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी टोल-फ्री सेवाएं शामिल हैं।

(11) केंद्रीय सरकार समय-समय पर किसी सार्वजनिक उपयोगिता या आपातकालीन नंबर को टोल फ्री सेवा घोषित कर सकती है।

(12) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं, आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते समय, प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि संदेश संबंधित प्राधिकरण के नामित नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाए जाएं, जैसा कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(13) इस प्राधिकरण के अंतर्गत इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- (क) एक एनएसओ अपने इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क को पीएसटीएन, पीएलएमएन, या जीएमपीसीएस नेटवर्क के साथ जोड़ सकता है;
- (ख) इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं स्थिर या मोबाइल प्रयोक्ता टर्मिनल वाले प्रयोक्ताओं को प्रदान की जा सकती हैं;
- (ग) मोबाइल और फिक्स्ड टर्मिनल प्रयोक्ताओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करते समय, प्राधिकृत इकाई क्रमशः मोबाइल सेवाओं और फिक्स्ड सेवाओं के लिए आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ता निर्दिष्ट करेगी;
- (घ) प्राधिकृत इकाई किसी प्रयोक्ता को मोबाइल सेवा और मोबाइल इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए एक ही दूरसंचार पहचानकर्ता आवंटित कर सकती है;
- (ङ) प्राधिकृत इकाई किसी प्रयोक्ता को निश्चित सेवा और निश्चित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए समान दूरसंचार पहचानकर्ता आवंटित कर सकती है;
- (च) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में ई.164 से एसआईपी/एच.323 पते और इसके विपरीत टेलीफोन नंबर मैपिंग के लिए निजी ईएनयूएम (ई.164 नंबर से यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफ़ायर मैपिंग) का उपयोग करेगी;
- (छ) इंटरनेट टेलीफोनी के लिए प्रयोक्ता को सौंपा गया आईपी पता इंटरनेट असाइन्ड नंबर्स अथॉरिटी (आईएएनए) की आईपी एड्रेसिंग योजना के अनुरूप होगा और ऐसे आईपी पतों का विवरण केंद्रीय सरकार को, निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ;
- (ज) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से अंतर्राष्ट्रीय आउट-रोमर्स द्वारा शुरू की गई इंटरनेट टेलीफोनी कॉलों को आईएलडी सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई के अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) गेटवे पर सौंप दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क का भुगतान उस टर्मिनेटिंग इकाई को किया जाएगा जिसके पास एक्सेस सेवा प्रदान करने का प्राधिकरण है:

वशर्ते कि जहां कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि भारत के बाहर से उत्पन्न इंटरनेट टेलीफोनी कॉल आईएलडी गेटवे के माध्यम से रूट की जाती है, तो वह अपने इंटरनेट टेलीफोनी प्रयोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय आउट-रोमिंग सुविधा का प्रावधान बंद कर देगी;

- (झ) इंटरनेट टेलीफोनी कॉल शुरू करने या समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक आईपी पते को इंटरनेट टेलीफोनी के मामले में कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा और जहां भी संभव हो, अक्षांश और देशांतर के रूप में स्थान का विवरण प्रदान किया जाएगा;
- (ज) इंटरनेट टेलीफोनी प्रयोक्ताओं के लिए सीएलआई प्रतिबंध (सीएलआईआर) सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी;
- (ट) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई, स्थान सेवाओं का उपयोग करके, राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में निर्दिष्ट आपातकालीन नंबर कॉल तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकती है, हालांकि, ऐसी सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य नहीं है और प्रयोक्ताओं को आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की सीमा के बारे में इंटरनेट टेलीफोनी प्रयोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा;
- (ठ) प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में उसके द्वारा समर्थित क्यूओएस पैरामीटर के बारे में सूचित करेगी; और
- (ड) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई को इन नियमों में निर्दिष्ट सभी अपरोधन और निगरानी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

75. सुरक्षा शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई को संबंधित राज्य और संघ राज्य ध्वेत्रों में प्रासंगिक सुरक्षा शर्तों को पूरा करने के लिए वैध अपरोधन प्रणाली और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी।

(2) प्राधिकृत इकाई, सभी प्रकार के दूरसंचार ट्रैफ़िक के लिए, वैध अपरोधन प्रणाली और वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं के लिए, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, इंटरफेस आवश्यकताओं के साथ-साथ विशेषताओं और सुविधाओं को लागू करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी:

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समकालिक कॉलों की परेशानी मुक्त निगरानी के लिए वैध अपरोधन एवं निगरानी सुविधाओं की पूरी श्रृंखला में उपयुक्त अतिरेकता; और
- (ख) किसी प्राधिकृत इकाई के प्रत्येक प्रासंगिक दूरसंचार उपकरण में निगरानी के लिए न्यूनतम संख्या में दूरसंचार पहचानकर्ताओं का प्रावधान करने की अभिमत होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(3) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के प्रासंगिक दूरसंचार उपकरणों में दूरसंचार ट्रैफ़िक की निगरानी के लिए व्यवस्था करेगी, जिसमें समकालिक कॉल भी शामिल हैं, ताकि प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा निगरानी संभव हो सके, और इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट रूप और तरीके से कॉल संबंधी जानकारी (सीआरआई) भी प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) कॉल किए गए और कॉल करने वाले पक्ष के दूरसंचार पहचानकर्ता, जिसमें प्रयोक्ता के रोमिंग में होने की स्थिति भी शामिल है;
- (ख) कॉल का समय, दिनांक और अवधि;
- (ग) लक्ष्य प्रयोक्ता का स्थान, उप-नियम (5) में विवरण प्रदान करना;
- (घ) बेस स्टेशन साइट के निर्देशांक और नाम;
- (ङ) दूरसंचार पहचानकर्ता, यदि लक्ष्य प्रयोक्ता द्वारा कोई कॉल-अग्रेषण सुविधा लागू की गई है;
- (च) असफल कॉल प्रयासों के लिए डेटा रिकॉर्ड; और
- (छ) रोमिंग प्रयोक्ताओं के कॉल डेटा रिकॉर्ड।

(4) प्राधिकृत इकाई, संबंधित प्राधिकृत एजेंसी से अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्दिष्ट आवधिकता पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क द्वारा संभाले गए सभी निर्दिष्ट कॉलों की सीडीआर उपलब्ध कराएंगी। इस प्रयोजन के लिए, जैसा कि उस रूप और तरीके से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5) प्राधिकृत इकाई को मोबाइल प्रयोक्ताओं के स्थान का विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सटीकता के साथ उपलब्ध कराने की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी, तथा ऐसे विवरण, बेस स्टेशन साइट के निर्देशांकों के साथ, देशांतर और अक्षांश के रूप में कॉल डेटा रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे।

(6) एक्सेस सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई को स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय आउट रोमर (एलआईओआर) रिपोजिटरी बनाए रखनी होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर रहने वाले अपने प्रयोक्ताओं के दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(7) प्राधिकृत इकाई को वास्तविक समय के आधार पर केन्द्रीय अंतर्राष्ट्रीय आउट रोमर (सीआईओआर) प्रणाली को अद्यतन करना होगा तथा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(8) कोई भी प्राधिकृत इकाई, इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ही प्रयोक्ताओं को सीएलआई प्रतिबंध (सीएलआईआर) सुविधा प्रदान करेगी।

(9) प्राधिकृत इकाई सीएलआईआर सुविधा वाले अपने प्रयोक्ताओं को उनके पूर्ण पते और विवरण के साथ पासवर्ड संरक्षित वेबसाइट पर सूचीबद्ध करेगी, तथा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को ऐसी वेबसाइट तक पहुंच प्रदान करेगी।

(10) उपयोगकर्ताओं को सीएलआईआर सुविधा प्रदान करते समय, एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क पर सीएलआई को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जाए:

बशर्ते कि व्यावसायिक कनेक्शन, कॉल सेंटर या टेलीमार्केटिंग सेवाओं के मामले में सीएलआईआर सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(11) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सिम वैयक्तिकरण इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

76. एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ

एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ एक्सेस सेवा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के साथ निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों का पालन करेगा:

- (क) वीएनओ अपने नेटवर्क को अपने मूल एनएसओ के नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट आपसी करारों में भाग ले सकता है और ऐसे करारों तथा ऐसे करारों में किसी भी संशोधन को अद्यतन करने का विवरण, सात दिनों के भीतर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से प्रदान करेगा।
 - (ख) वीएनओ अपने मूल एनएसओ के अलावा किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगा और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरकनेक्शन केवल इसके मूल एनएसओ द्वारा किया जाएगा;
 - (ग) वीएनओ एक एनएसओ से दूसरे एनएसओ तक ट्रैफिक के रूट के लिए विभिन्न एनएसओ से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क को एकीकृत नहीं करेगा;
 - (घ) वीएनओ अपने मूल एनएसओ से केंद्रीय सरकार द्वारा अपने मूल एनएसओ को आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ताओं में से दूरसंचार पहचानकर्ताओं की एक शृंखला प्राप्त करेगा:
- बशर्ते, कि वीएनओ केंद्रीय सरकार से स्थान रूटिंग नंबर प्राप्त कर सकता है।
- (ङ) वीएनओ को कोई स्पेक्ट्रम नहीं सौंपा जाएगा, तथापि, ऐसा वीएनओ अपने मूल एनएसओ के साथ पारस्परिक करार के अनुसार अपने मूल एनएसओ के बैकहॉल स्पेक्ट्रम और एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए अपना रेडियो एक्सेस नेटवर्क स्थापित कर सकता है।
 - (च) वीएनओ अपने दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं पर लागू ऐसी सुरक्षा शर्तों का पालन करेगा।
 - (छ) सीमित इंटरनेट टेलीफोनी और विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए नियमों के तहत उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण, को छोड़कर वीएनओ हेतु इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के लिए इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों वीएनओ हेतु एक्सेस सेवा प्राधिकरण के तहत संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगे जब तक कि अध्याय 8 के इस भाग खं में एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ के लिए अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

77. वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ

वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाले वीएनओ को वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के प्रावधान के लिए यथा लागू संगत निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा।

भाग ग: इंटरनेट सेवा प्राधिकरण

78. इंटरनेट सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग ग के प्रावधान इंटरनेट सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) एनएसओ के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) इंटरनेट सेवा;
- (ख) पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) या आईपी आधारित ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) का उपयोग करके सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम से सीमित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा केवल निम्नलिखित को जोड़ती हो:
 - (i) पीसी से पीसी, भारत के भीतर या बाहर;
 - (ii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप पीसी, डिवाइस या एडाप्टर भारत के बाहर सार्वजनिक स्वच्छ दूरसंचार नेटवर्क (पीएसटीएन) या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) उपयोगकर्ता टर्मिनल; और

(iii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप कोई भी पीसी, डिवाइस या एडाप्टर जो भारत के भीतर या बाहर समान पीसी, डिवाइस या एडाप्टर से स्थिर इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते का उपयोग करते हुए इंटरनेट नोड के साथ जुड़ा हो।

- (ग) घरेलू लीज्ड सर्किट;
- (घ) इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल);
- (ङ) एम 2 एम सेवा;
- (च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा; और
- (छ) विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए नियमों के तहत केवल इंटरनेट सेवा तक सीमित आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण का दायरा।

(3) वीएनओ के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) इंटरनेट सेवा;
- (ख) पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) या आईपी आधारित ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) का उपयोग करके सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम से सीमित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा केवल निम्नलिखित को जोड़ती है:
 - (i) पीसी से पीसी, भारत के भीतर या बाहर;
 - (ii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप पीसी, डिवाइस या एडाप्टर भारत के बाहर सार्वजनिक स्वच्छ दूरसंचार नेटवर्क (पीएसटीएन) या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) उपयोगकर्ता टर्मिनल; और
 - (iii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप कोई भी पीसी, डिवाइस या एडाप्टर जो भारत के भीतर या बाहर समान पीसी, डिवाइस या एडाप्टर से स्थिर इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते का उपयोग करते हुए इंटरनेट नोड के साथ जुड़ा हो।
- (ग) घरेलू लीज्ड सर्किट;
- (घ) इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल);
- (ङ) एम 2 एम सेवा; और
- (च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं निश्चित उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकती है:

- (क) फिक्स्ड वायरलाइन एक्सेस टर्मिनल;
- (ख) फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस टर्मिनल;
- (ग) एफएसएस (फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस) टर्मिनल जिसमें वीसैट (वेरी स्माँल एपर्चर टर्मिनल) और अर्थ स्टेशन इन मोशन टर्मिनल शामिल हैं;
- (घ) आईओटी उपकरणों और सेंसर प्रकार के टर्मिनलों सहित मशीनें;
- (ङ) राउटर या स्विच; या
- (च) इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार का टर्मिनल।

(5) एनएसओ प्रदान कर सकता है:

- (क) बैकहॉल कनेक्टिविटी सहित अपने दूरसंचार नेटवर्क उपकरण को जोड़ने के लिए अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों को बैंडविड्थ; और
- (ख) इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी को इंटरनेट बैंडविड्थ।

(6) प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी को एम2एम सेवा प्रदान कर सकती है, जो लागू नियमों के तहत एम2एम संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है।

(7) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2), उप-नियम (3), उप-नियम (5), या उप-नियम (6) के तहत विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं, जैसा भी मामला हो, वायरलाइन या वायरलेस ट्रेस्ट्रियल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कर सकती है।

(8) एनएसओ प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिये इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकता है।

(9) प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे (आईआईजी) की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने के लिए एनएसओ, केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से आवेदन करेगा और इस संबंध में अलग सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (9) के तहत आवेदन का मूल्यांकन करने पर, ऐसे एनएसओ को लिखित अनुमोदन प्रदान करेगी।

(11) अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के साथ प्राधिकृत इकाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले अन्य एनएसओ को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ बेच सकती है।

(12) प्राधिकृत इकाई वेतार स्थलीय नेटवर्कों का उपयोग करके एम2एम सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत असाइनमेंट की आवश्यकता से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क (एलपीडब्ल्यूएएन) अथवा समकक्ष नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण अथवा विस्तार कर सकती है।

(13) इंटरनेट सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के तहत प्राधिकृत सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य सेवा(एं) जिन्हें केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

(14) विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए लागू नियमों के तहत विनिर्दिष्ट नियंत्रण और शर्तें, जैसा कि एम2एम सेवा या आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण के लिए लागू है, इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के तहत एम2एम सेवा या आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि अध्याय 8 के इस भाग ग में इंटरनेट सेवा के लिए अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

79. तकनीकी और प्रचालन की स्थिति

(1) इंटरनेट सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को इस नियम के तहत निर्धारित तकनीकी और प्रचालन शर्तों का पालन करना होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टिविटी या पीयरिंग स्थापित कर सकती है, और अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने या पीयरिंग के लिए आवश्यक संसाधन ऐसी इकाइयों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

(3) आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए, प्राधिकृत इकाई इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका दूरसंचार नेटवर्क भारत में पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस नेटवर्क जैसी एक्सेस सेवा से संबंधित दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा नहीं है।

(5) भारत में पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस नेटवर्क से जुड़े टेलीफोन से सीमित इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से वॉइस संचार, और सीमित इंटरनेट टेलीफोनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ई.164 नंबरिंग योजना का उपयोग इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के तहत स्वीकार्य नहीं है।

(6) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:

(क) सीमित इंटरनेट टेलीफोनी के लिए एड्रेसिंग स्कीम इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी (आईएएनए) की आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप है, और

(ख) ई.164 नंबर या निजी नंबर का किसी भी दूरसंचार उपकरण को आवंटित आईपी पते में बदलना या या इसका विपरीत नहीं किया जा सकता है।

(7) प्राधिकृत इकाई इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए आईपी पते, डोमेन नाम या किसी अन्य प्रासंगिक आवश्यकताओं को सीधे प्राधिकृत इंटरनेट रजिस्ट्रियों से प्राप्त करेगी और ऐसे आईपी पते का विवरण केंद्रीय सरकार को ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जैसा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(8) यदि प्राधिकृत इकाई स्पेक्ट्रम का उपयोग करके इंटरनेट सेवा प्रदान करती है जिसे अधिनियम के तहत असाइनमेंट की आवश्यकताओं से छूट दी गई है, तो इकाई इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(9) प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करेगी, सिवाय ऐसी सामग्री के जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं।

(10) प्राधिकृत इकाई नहीं करेगी:

- (क) सामग्री के किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार, जिसमें प्रेषक या प्राप्तकर्ता के आधार पर या उपयोग किए जा रहे प्रोटोकॉल या उपयोगकर्ता टर्मिनल के आधार पर शामिल हैं; और
- (ख) किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी नाम से कोई व्यवस्था, समझौता या अनुबंध करना, जिसका प्रभाव सामग्री के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार का हो:

(11) उप-नियम (10) के बावजूद, प्राधिकृत इकाई:

- (क) निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशेष सेवाएं प्रदान करें:

- (i) विशेष सेवाएं इंटरनेट सेवा के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करने योग्य या प्रस्तावित नहीं हैं; और
- (ii) ऐसी विशेष सेवाओं का प्रावधान इंटरनेट सेवा की उपलब्धता और समग्र गुणवत्ता के लिए हानिकारक नहीं है।

- (ख) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी उपाय को अपनाना जो आनुपातिक, क्षणिक और पारदर्शी प्रकृति का हो:

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उचित यातायात प्रबंधन पद्धतियां;
- (ii) केंद्रीय सरकार या ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल के दौरान आवश्यक आपातकालीन सेवाओं या किसी भी अन्य सेवाओं का प्रावधान;
- (iii) कानून के अनुसार अदालत के किसी आदेश या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश का कार्यान्वयन;
- (iv) दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार उपकरणों की अखंडता और सुरक्षा के संरक्षण के लिए उपाय; और
- (v) अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसरण में उचित उपाय, जैसा इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

स्पष्टीकरण: इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए:

- (क) "सामग्री" में सभी सामग्री, एप्लीकेशन, सेवाएं और कोई भी अन्य डेटा शामिल होगा, जिसमें इसकी अंतिम-बिंदु जानकारी शामिल है, जिसे इंटरनेट पर एक्सेस या प्रेषित किया जा सकता है।
- (ख) "भेदभावपूर्ण व्यवहार" में सामग्री के व्यवहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव, प्रतिबंध या हस्तक्षेप शामिल होगा, जिसमें किसी भी सामग्री को अवरुद्ध करने, उसका स्तर कम करना, धीमा करने या अधिमान्य गति या व्यवहार प्रदान करना देने जैसी पद्धतियां शामिल हैं।
- (ग) "विशेष सेवाओं" का अर्थ इंटरनेट एक्सेस सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से होगा जो विशेष सामग्री, प्रोटोकॉल या उपयोगकर्ता उपकरण के लिए अनुकूलित हैं, जहां सेवा आवश्यकताओं की विशेष गुणवत्ता को पूरा करने के लिए अनुकूलन आवश्यक है;

80. सुरक्षा की स्थिति

(1) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि आईएलएल उपयोगकर्ता, एक ही आईएलएल पर कई उपयोगकर्ताओं के मामले में, आईपी पते या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन (एनएटी) सिस्टम के उपयोग विवरण को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखें।

(2) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) में आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिसमें आईएलएल उपयोगकर्ताओं को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने या इस आवश्यकता के अनुपालन के लिए आवश्यक कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता होगी, और रिपोर्टिंग आवश्यकता के अनुपालन के मामले में, ऐसी प्राधिकृत इकाई ऐसे आईएलएल उपयोगकर्ता से सेवा वापस ले लेगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अपने स्वयं के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए अपस्ट्रीम इंटरनेट बैंडविड्थ का अनुरोध करने वाली एक अन्य प्राधिकृत इकाई के पास इंटरनेट सेवा के लिए वैध प्राधिकरण है।

(4) प्राधिकृत इकाई, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के हित में, इंटरनेट साइटों, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल), यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफ़ायर (यूआरआई) या व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करेगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पहचाना और निर्देशित किया गया है।

(5) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा महत्व के स्थानों में इंटरनेट नोड्स के ट्रैफ़िक को इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अलग किया जाएगा और रूट किया जाएगा।

(6) प्राधिकृत इकाई, ट्रैफ़िक के इंटरसेप्शन और निगरानी के उद्देश्य से, एम2एम डिवाइस सहित ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) से उत्पन्न या समाप्त होने वाले सभी पैकेटों की प्रतियां केंद्रीय सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगी।

(7) प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट, अपनी लागत पर अपने इंटरनेट गेटवे और इंटरनेट नोड्स के माध्यम से इंटरनेट टेलीफोनी ट्रैफ़िक सहित इंटरनेट ट्रैफ़िक के लिए अपेक्षित क्षमताओं की वैध इंटरसेप्शन सिस्टम और वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाएं स्थापित करेगी।

(8) प्राधिकृत इकाई अपने परिसर में स्थित निगरानी दूरसंचार उपकरण और अवसंरचना की संस्थापना और रखरखाव की लागत वहन करेगी।

(9) प्राधिकृत इकाई, जो किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत लाइसेंसधारी को इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि उसके पास अपने दूरसंचार नेटवर्क में ऐसी डाउनस्ट्रीम प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के सभी दूरसंचार ट्रैफ़िक की निगरानी करने की क्षमता है।

(10) केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को ऐसे नोड्स पर वैध इंटरसेप्शन प्रणाली और वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्देशित कर सकती है, जिनके पास केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से कई प्राधिकृत इकाइयों से अपस्ट्रीम बैंडविड्थ है:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, इस तरह के अपस्ट्रीम इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों को इस बैंडविड्थ की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(11) यदि किसी प्राधिकृत इकाई के पास कई नोड या उपस्थिति के बिंदु हैं और एक केंद्रीकृत निगरानी स्थान से सभी इंटरनेट नोड्स पर ट्रैफ़िक की निगरानी करने की क्षमता है, तो केंद्रीय सरकार उक्त केंद्रीकृत निगरानी स्थान से ट्रैफ़िक की निगरानी करना स्वीकार कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसी प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को प्रदर्शित करने में सक्षम है कि सभी इंटरनेट नोड केंद्रीकृत निगरानी स्थान से पहुंच योग्य हैं।

(12) प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क की टोपोलॉजी या कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के बारे में, केंद्रीय सरकार को ऐसी आवधिकता पर जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो, सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के परिवर्तन केंद्रीकृत निगरानी स्थान से किसी भी इंटरनेट नोड को दुर्गम नहीं बनाते हैं।

(13) प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क में उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट कोई भी परिवर्तन करने पर, यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय सरकार को निगरानी की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी।

(14) प्राधिकृत इकाई, अपनी लागत पर, प्रत्येक निगरानी प्रणाली स्थान पर, पर्यास और निर्वाध बिजली आपूर्ति और एयर कंडीशनिंग के साथ एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र का स्थान प्रदान करेगी, जो भौतिक रूप से सुरक्षित और केवल प्राधिकृत एजेंसियों के लिए सुलभ होगी।

(15) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एड्रेस रिजोल्यूशन के लिए उपयोग की जाने वाली डोमेन नेम सिस्टम(डीएनएस) भारत में स्थित होगी।

(16) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी एड्रेस का ब्यौरा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से उपलब्ध कराएगी।

81. इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ

इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एक वीएनओ निम्नलिखित विशेष शर्तों के साथ जैसा लागू हो इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के निवंधनों और शर्तों का पालन करेगा,:

- (क) वीएनओ अपने नेटवर्क को अपने मूल एनएसओ के नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट आपसी करारों में भाग ले सकता है और ऐसे करारों तथा ऐसे करारों में किसी भी संशोधन को अध्यतन करने का विवरण, सात दिनों के भीतर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से प्रदान करेगा।
- (ख) वीएनओ अपने मूल एनएसओ के अलावा किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरकनेक्शन केवल इसके मूल एनएसओ द्वारा किया जाएगा।
- (ग) वीएनओ अपने एनएसओ या प्राधिकृत इंटरनेट रजिस्ट्री से आईपी पते, डोमेन नाम और कोई अन्य प्रासंगिक आवश्यकताएं प्राप्त कर सकता है और यह अपने मूल एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क में कॉन्फिगर किए गए प्राधिकृत इंटरनेट रजिस्ट्री से प्राप्त आईपी पते प्राप्त कर सकता है और ऐसे आईपी पते का विवरण केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (घ) वीएनओ अपने दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं पर लागू ऐसी सुरक्षा शर्तों का पालन करेगा।
- (ङ) कई एनएसओ से कनेक्टिविटी रखने वाले वीएनओ को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वैध इंटरसेप्शन प्रणाली और वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाएं संस्थापित करने की आवश्यकता होगी और ऐसे मामलों में अपस्ट्रीम बैंडविड्थ प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों को ऐसे इंटरनेट बैंडविड्थ की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (च) वीएनओ अपने प्रयोक्ताओं को घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान कर सकता है:
 - (i) अपने दूरसंचार उपकरणों को अपने मूल एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ते हुए; या
 - (ii) अपने मूल एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करते हुए।

भाग घ: लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण

82. लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग घ के प्रावधान लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) एनएसओ के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भारत के भीतर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
- (ii) इंट्रा-सर्कल और इंटर-सर्कल लंबी दूरी की कॉलों का वहन;
- (iii) घरेलू लीज्ड सर्किट; और

(iv) घरेलू कॉलिंग कार्ड।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भारत के बाहर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
- (ii) विदेशी वाहकों से या उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों का वहन;
- (iii) इंटरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी); और
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड।

(3) वीएनओ के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) निम्नलिखित प्रकार की राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा:

- (i) भारत के भीतर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
- (ii) इंट्रा-सर्कल और इंटर-सर्कल लंबी दूरी की कॉलों का वहन;
- (iii) घरेलू लीज्ड सर्किट; और
- (iv) घरेलू कॉलिंग कार्ड।

(ख) निम्नलिखित प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा:

- (i) भारत के बाहर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
- (ii) विदेशी वाहकों से या उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों का वहन;
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी); और
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड।

(4) एक एनएसओ प्रदान कर सकता है:

- (क) अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों को लीज पर घरेलू बैंडविड्थ, जिन्हें उनके संबंधित प्राधिकरण के तहत ऐसी कनेक्टिविटी की अनुमति है; और
- (ख) अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों को लीज पर अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ, जिन्हें उनके संबंधित प्राधिकरण के तहत ऐसी कनेक्टिविटी रखने की अनुमति है।

(5) एनएसओ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणालियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी और केंद्रीय सरकार से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) या केबल लैंडिंग स्टेशन-प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (सीएलएस-पीओपी) की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकता है।

(6) एनएसओ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार से अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी और पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) गेटवे या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे (आईआईजी) की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकता है।

(7) प्राधिकृत इकाई वायरलाइन या वायरलेस टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, उप-नियम (2), उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के तहत विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकती है।

(8) एक प्राधिकृत इकाई घरेलू लीज्ड सर्किट, घरेलू कॉलिंग कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी), या इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड के प्रावधान के लिए सीधे उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकती है।

(9) एक प्राधिकृत इकाई केबल अपने प्राधिकरण के दायरे के तहत प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य सेवा जिसे केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

83. तकनीकी और प्रचालन की स्थिति

(1) प्राधिकृत इकाई का दूरसंचार नेटवर्क दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले ट्राई या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के संबंध में नियमों का अनुपालन करेगा।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों, दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों के अनुपालन में भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्कों से और उनके संचरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को आईएलडी गेटवे के माध्यम से रूट किया जाएगा।

(3) एक प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क को सीधे किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के पीओपी के साथ इंटरकनेक्ट करने से इनकार नहीं करेगी, जिसके पास एक्सेस सेवा के लिए प्राधिकरण है, जहां आईएलडी सेवा के लिए प्राधिकरण रखने वाली ऐसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी पीओपी का एक ही स्टेशन पर स्थित हैं।

(4) कॉलिंग कार्ड सेवाओं के प्रावधान के लिए इंटरकनेक्शन के निबंधन और शर्तों पर प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारकों के बीच इस प्रयोजनार्थ ट्राई अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों, दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों के ढांचे के भीतर परस्पर सहमति होगी।

(5) वाहक दूरसंचार ट्रैफिक के वहन के प्रयोजन हेतु एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईयों या लाइसेंसधारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईयों या लाइसेंसधारियों को इंटरकनेक्शन प्रदान करें।

(6) ट्राई के विनियमों के अनुरूप इंटर-सर्कल वाहक दूरसंचार ट्रैफिक को दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के आरंभिक या समाप्त होने में स्थित किसी प्राधिकृत इकाई को पीओपी पर सौंपा या लिया जाएगा।

(7) इंट्रा-सर्कल वाहक दूरसंचार ट्रैफिक के लिए प्राधिकृत इकाई संबंधित प्राधिकृत इकाई के साथ पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों के तहत व्यवस्था कर सकती है, जो दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के भीतर दूरसंचार ट्रैफिक के उठाने, वहन और वितरण के लिए एक्सेस सेवा प्रदान करती है।

(8) प्राधिकृत इकाई सभी प्रकार के वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन सुनिश्चित करेगी ताकि प्रयोक्ताओं को एक्सेस सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाईयों द्वारा एंड-टू-एंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(9) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसार प्राप्त केंद्रीय सरकार से पूर्व लिखित अनुमोदन और अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी के साथ, अपेक्षित वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाओं के साथ आईएलडी गेटवे स्थापित करेगी:

बशर्ते कि ऐसा अनुमोदन वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाओं के परीक्षण और निरीक्षण के सफल समापन के बाद दिया जाएगा।

(10) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में दूरसंचार नेटवर्क से उत्पन्न या समाप्त होने वाला सभी प्रकार का आईएलडी ट्रैफिक केवल उप-नियम (9) के तहत लिखित अनुमोदन और अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी के अनुसार स्थापित आईएलडी गेटवे के माध्यम से गुजरता है।

(11) अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) सेवा सहित एंड टू एंड आईएलडी सेवाओं के प्रावधान के लिए विदेशी वाहकों के साथ करार या व्यवस्था करते समय आईएलडी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईयां यह सुनिश्चित करेंगी कि विदेशी वाहक भारत में प्रयोक्ताओं का अधिग्रहण नहीं करता है और भारत में आईएलडी सेवाओं के किसी प्रयोक्ता से बिल न बनाए अथवा उनसे राजस्व एकत्र न करे।

(12) केवल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस):

(क) प्राधिकृत इकाई भारत में सीएलएस और पनडुब्बी केवल (केवलों) की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से आवेदन करेगी और अलग-अलग अनुमति और मंजूरी मांगेगी:

बशर्ते कि सीएलएस-पीओपी स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने वाली प्राधिकृत इकाई को भारत में बिछाने वाली पनडुब्बी केवल (केवलों) के लिए अलग से अनुमति और मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय सीएलएस और सीएलएस-पीओपी के लिए अनुमति केवल ऐसी प्राधिकृत इकाई को दी जाएगी जिसे आईएलडी गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

बशर्ते कि घरेलू सीएलएस के लिए अनुमति प्राधिकृत इकाई को दी जाएगी जो लंबी दूरी की सेवाओं में से कोई भी सेवा प्रदान कर रही है।

(घ) केंद्रीय सरकार खंड (क) के तहत किए गए आवेदन के अपने मूल्यांकन और सुरक्षा पुनरीक्षण के अध्यधीन, यदि आवश्यक हो तो, निम्नलिखित सहित अपने द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान कर सकती है:

(i) सीएलएस के संबंध में, सीएलएस का स्वामित्व रखने वाली प्राधिकृत इकाई ऐसे सीएलएस में सबमरीन लाइन टर्मिनिंग उपकरण (एसएलटीई) स्थापित कर सकती है अथवा मुख्य सीएलएस से सीएलएस-पीओपी तक पनडुब्बी केबल में अपने डार्क फाइबर पेयर, चाहे वे स्वामित्व वाले हों अथवा लीज पर दिए गए हों, का विस्तार कर सकती हैं और सीएलएस-पीओपी पर एसएलटीई स्थापित कर सकती हैं।

बशर्ते कि ऐसी प्राधिकृत इकाई जिसके पास पनडुब्बी केबल में फाइबर पेयर हैं लेकिन जो सीएलएस की मालिक नहीं है, सीएलएस से अपने सीएलएस-पीओपी तक पनडुब्बी केबल में अपने डार्क फाइबर पेयर, चाहे स्वामित्व या लीज पर हो, का विस्तार कर सकती है और सीएलएस-पीओपी पर एसएलटीई स्थापित कर सकती है;

(ii) घरेलू पनडुब्बी केबल घरेलू ट्रैफिक ले जाने के लिए भारतीय टटरेखा पर दो या अधिक शहरों को जोड़ेंगी और जहाँ कहीं आवश्यक हो, तकनीकी और सुरक्षा कारणों से घरेलू पनडुब्बी केबल भारतीय प्रादेशिक जल (आईटीडब्ल्यू) या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे जा सकती है;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल समर्पित फाइबर पेयर पर घरेलू ट्रैफिक ले जा सकती है जिनका प्रावधान दो भारतीय शहरों के बीच किया गया है;

बशर्ते कि इस तरह के घरेलू ट्रैफिक का भारत के बाहर किसी अन्य देश के माध्यम से पारगमन या रूट नहीं किया जाता है;

(iv) यदि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय केबल अलग-अलग हैं और प्रत्येक केबल के पास अपने अलग पावर फीडिंग उपकरण (पीएफई) और एसएलटीई हैं, तो वे एक ही सीएलएस पर समाप्त हो सकते हैं;

(v) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक के लिए समाप्त होने वाले उपकरणों का भौतिक पृथक्करण बनाए रखा जाए;

(vi) पारगमन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक, जो भारत में दूरसंचार नेटवर्क पर समाप्त होने के लिए है, को स्थलीय और पनडुब्बी केबल लिंक के माध्यम से अन्य पनडुब्बी केबलों में पारगमन की अनुमति दी जाएगी;

(vii) एक प्राधिकृत इकाई स्टब-केबल (पूर्व-निर्धारित डार्क फाइबर) बिछा सकती है और या तो उन्हें अपने मौजूदा सीएलएस में समाप्त कर सकती है या केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसी स्टब-केबल के लिए नई सीएलएस स्थापित कर सकती है;

(viii) लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने वाली अन्य प्राधिकृत इकाइयों की पनडुब्बी केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित सीएलएस में सुविधाओं तक समाप्त पहुंच ट्राई के विनियमन या निर्देशों के अनुसार गैर-भेदभाव के आधार पर दी जाएगी;

(ix) सीएलएस का स्वामित्व रखने वाली प्राधिकृत इकाई सीएलएस-पीओपी के स्वामित्व वाली प्राधिकृत इकाई को ट्राई के विनियमन या निर्देशों के अनुसार गैर-भेदभाव के आधार पर अपने फाइबर पेयरों का विस्तार करने की अनुमति देगी; और

(x) सीएलएस या सीएलएस-पीओपी पर एक्सेस या सह-स्थान ट्राई द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों या विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(13) सीएलएस धारक प्राधिकृत इकाई को भारत में अतिरिक्त पनडुब्बी केबल लैंडिंग के लिए अलग अनुमति और मंजूरी लेनी होगी।

(14) सीएलएस स्थापित करने वाली प्राधिकृत इकाई पनडुब्बी केवल में किसी भी खराबी के मामले में, दूरसंचार सेवाओं की शीघ्र बहाली के लिए ऐसी पनडुब्बी केवल की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करेगी।

(15) प्राधिकृत इकाई स्वयं अथवा पनडुब्बी केवल मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ करारों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी कि पनडुब्बी केवल में ऐसी खराबी की मरम्मत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर की जाए।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार ऐसी सभी प्राधिकृत कंपनियों या लाइसेंसधारियों को, जिन्होंने भारत में सीएलएस स्थापित किया है, संघ बनाने के लिए कोई अनुदेश या निर्देश जारी कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित केवल मरम्मत सेवा दल के साथ केवल मरम्मत पोत भारतीय प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र के भीतर हमेशा उपलब्ध रहे और ऐसा पोत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केवलों की समय पर मरम्मत के लिए संघ के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

84. सुरक्षा की स्थिति

(1) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सीएलआई के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और अन्य प्राधिकृत इकाईयों या विदेशी वाहकों से प्राप्त सीएलआई का पारगमन करेगी:

बशर्ते कि अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई अपने गेटवे पर बिना सीएलआई या अनुचित सीएलआई या नकली सीएलआई के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल छोड़ देगी और अनुचित सीएलआई की पहचान करने के लिए, ई.164 नंबरिंग स्कीम पर आईटीयू-टी सिफारिशों को संदर्भित किया जाएगा:

बशर्ते कि नकली इनकमिंग इंटरनेशनल कॉलों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई लोकल इंटरनेशनल आउट रोमर (एलआईओआर) और सेंट्रल इंटरनेशनल आउट रोमर (सीआईओआर) प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली को लागू करेगी जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए;

बशर्ते कि एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क या एक्सेस सेवा दूरसंचार नेटवर्क को प्राधिकृत इकाई द्वारा सौंपी गई सभी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों पर सीसीएस7 के मामले में नेचर ऑफ एड्रेस इंडीकेटर(एनएआई) फ़िल्ड या एसआईपी या आईपी सिग्नलिंग को “अंतर्राष्ट्रीय नंबर” के रूप में समकक्ष फ़िल्ड अंकित होना चाहिए।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी वाहक के साथ किसी भी करार में उप-नियम (1) के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए गैर-अनुपालन के मामले में विदेशी वाहक को अवरुद्ध करने के प्रावधानों सहित आवश्यक प्रावधान होंगे।

(3) प्राधिकृत इकाई अपनी लागत पर पर्याप्त और निर्बाध विजली आपूर्ति और एयर कंडीशनिंग के साथ विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान करेगी, जो प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय गेटवे स्थान पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कर्मियों के लिए भौतिक रूप से सुरक्षित और सुलभ होगी।

(4) प्राधिकृत एजेंसियां प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सहित दूरसंचार नेटवर्क के संगत दूरसंचार उपकरणों में दूरसंचार ट्रैफिक की निगरानी कर सकती हैं और ऐसी प्राधिकृत इकाई ऐसी एजेंसियों द्वारा समकालिक कॉलों की निगरानी की व्यवस्था करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वैध अपरोधन प्रणालियों एवं वैध अपरोधन और निगरानी सुविधाओं के लिए सभी प्रकार के दूरसंचार ट्रैफिक के लिए इंटरफेस आवश्यकताओं के साथ-साथ सुविधाओं को लागू करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समकालिक कॉलों की परेशानी मुक्त निगरानी के लिए वैध अपरोधन प्रणालियों एवं वैध अपरोधन और निगरानी सुविधाओं की पूरी शृंखला में उपयुक्त अतिरेकता; और

(ख) प्राधिकृत इकाई के प्रत्येक संगत दूरसंचार उपकरण में निगरानी के लिए न्यूनतम संख्या में दूरसंचार पहचानकर्ताओं का प्रावधान करने की क्षमता होगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

(6) प्राधिकृत इकाई संबंधित प्राधिकृत एजेंसी से अनुरोध प्राप्त करने पर इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से अपने दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रबंधित सभी विनिर्दिष्ट कॉलों के कॉल डेटा रिकॉर्ड को विनिर्दिष्ट आवधिकता पर प्रदान करेगी।

85. लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ

लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वीएनओ निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा:

- (क) वीएनओ अपने नेटवर्क को अपने मूल एनएसओ के नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट आपसी करारों में भाग ले सकता है और ऐसे करारों तथा ऐसे करारों में किसी भी संशोधन को अद्यतन करने का विवरण, सात दिनों के भीतर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से प्रदान करेगा।
- (ख) वीएनओ अपने मूल एनएसओ के अलावा किसी अन्य एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगा और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरकनेक्शन केवल इसके मूल एनएसओ द्वारा किया जाएगा।
- (ग) वीएनओ अपने दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं पर लागू ऐसी सुरक्षा शर्तों का पालन करेगा।
- (घ) वीएनओ अपने उपयोगकर्ताओं को घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान कर सकता है:
 - (i) अपने दूरसंचार उपकरणों को अपने मूल एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ते हुए; या
 - (ii) अपने मूल एनएसओ के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करते हुए।

अनुसूची क: प्रसंस्करण शुल्क, प्रवेश शुल्क और दूरसंचार सेवाओं के प्राधिकरण के लिए प्रारंभिक गारंटी

क्र.सं.	सेवा प्राधिकारों की श्रेणी	सेवा प्राधिकरण	प्रसंस्करण शुल्क (रु. में)	प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रारंभिक गारंटी (रु. में)
1.	मुख्य दूरसंचार सेवा प्राधिकरण (एनएसओ)	एकीकृत सेवा प्राधिकरण	1 लाख	12 करोड़	44 करोड़
2.		एक्सेस सेवा प्राधिकरण	10,000	50 लाख (पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 25 लाख)	2 करोड़
3.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र)	10,000	10 लाख	4 लाख
4.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (दूरसंचार सर्किल /मेट्रो एरिया)	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 25,000)	20,000
5.		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण	10,000	1 करोड़	1 करोड़
6.	मुख्य दूरसंचार सेवा प्राधिकरण (वीएनओ)	एकीकृत सेवा प्राधिकरण	1 लाख	3 करोड़	4.4 करोड़
7.		एक्सेस सेवा प्राधिकरण	10,000	12.5 लाख (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के लिए 6.25 लाख)	20 लाख
8.		वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकरण	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 25,000)	10,000
9.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र)	10,000	10 लाख	1 लाख
10.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (दूरसंचार सर्किल / मेट्रो एरिया)	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 25,000)	10,000
11.		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण	10,000	25 लाख	50 लाख

अनुसूची खः सेवा क्षेत्र

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	कवर किए गए क्षेत्र
1.	पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
2.	आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र	आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
3.	असम सेवा क्षेत्र	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
4.	बिहार सेवा क्षेत्र	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) दिनांक 25 अगस्त, 2000 के अनुसार पुनर्गठित बिहार राज्य और नव निर्मित झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
5.	गुजरात सेवा क्षेत्र	गुजरात राज्य और दमन और दीव, सिलवासा (दादरा और नगर हवेली) संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
6.	हरियाणा सेवा क्षेत्र	पंचकूला शहर और फरीदाबाद तथा गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
7.	हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
8.	जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
9.	कर्नाटक सेवा क्षेत्र	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
10.	केरल सेवा क्षेत्र	केरल राज्य और लक्ष्मीनारायण और मिनिकॉय संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
11.	मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) दिनांक 25 जून, 2000 के अनुसार पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य तथा नव निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
12.	महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र	मुंबई सेवा क्षेत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
13.	उत्तर पूर्वी सेवा क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
14.	ओडिशा सेवा क्षेत्र	ओडिशा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
15.	पंजाब सेवा क्षेत्र	पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और हरियाणा का पंचकूला शहर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
16.	राजस्थान सेवा क्षेत्र	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
17.	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर इसके सीमावर्ती जिले निम्नलिखित हैं: पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज (कांशीराम नगर), एटा, मैनपुरी, इटावा और औरैया। इसमें गाजियाबाद और नोएडा का स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होगा। तथापि इसमें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) दिनांक 25 अगस्त, 2000 के तहत नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य भी शामिल होगा।
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर इसके सीमावर्ती जिले निम्नलिखित हैं: शाहजहाँपुर, कश्मीर, फरुखाबाद, लखीमपुर, कानपुर गाँव और जालौन (उरई)।
20.	दिल्ली सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्र
21.	कोलकाता सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्र
22.	मुंबई सेवा क्षेत्र	मुंबई, नई मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्र

अनुसूची ग: न्यूनतम दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण हेतु इक्किटी, न्यूनतम नेटवर्क

क्र.सं.	सेवा प्राधिकरणों की श्रेणी	सेवा प्राधिकरण	न्यूनतम इक्किटी (रु. में)	न्यूनतम इक्किटी (रु. में)
1.	मुख्य सेवा प्राधिकरण (एनएसओ)	एकीकृत सेवा प्राधिकरण	25 करोड़	25 करोड़
2.		एक्सेस सेवा प्राधिकरण	2.5 करोड़	2.5 करोड़
3.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र)	10 लाख	शून्य
4.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (दूरसंचार संकिल/मेट्रो एरिया)	1 लाख	शून्य
5.		लॉन्ग डिस्टेन्स सेवा प्राधिकरण	2.5 करोड़	2.5 करोड़
6.	मुख्य सेवा प्राधिकरण (वीएनओ)	एकीकृत सेवा प्राधिकरण	10 करोड़	10 करोड़
7.		एक्सेस सेवा प्राधिकरण	1 करोड़	1 करोड़
8.		वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकरण	1 लाख	शून्य
9.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र)	10 लाख	शून्य
10.		इंटरनेट सेवा प्राधिकरण (दूरसंचार संकिल/मेट्रो एरिया)	1 लाख	शून्य
11.		लॉन्ग डिस्टेन्स सेवा प्राधिकरण	1 करोड़	1 करोड़

अनुसूची घ: दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण का प्रारूप

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 (1) (क)

- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए मैं, _____ (नाम और पदनाम), दूरसंचार विभाग, _____ (पता), दिनांक के आवेदन संख्या पर विचार करते हुए, (आवेदक का नाम), _____ (पता) (जिसे इस दस्तावेज में आगे 'प्राधिकृत इकाई' कहा गया है) को (प्राधिकरण र का नाम) प्रदान करता हूँ।
- यह सेवा प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम, 2023 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, जिसे समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया गया हो, या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम; और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
- इस प्राधिकरण की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:
 - प्राधिकरण की प्रभावी तिथि: (विनिर्दिष्ट की जाए)
 - प्राधिकरण की वैधता की अवधि: प्रभावी तिथि से ____ वर्ष, जब तक कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं किया जाता है।
 - प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: जैसा कि दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अध्याय 8 के भाग “____” में विनिर्दिष्ट है।
 - प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: (विनिर्दिष्ट किया जाए)
 - दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार और अन्य प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

- (च) यह प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में समय-समय पर, समान सेवा क्षेत्र में समान या अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए, समान या भिन्न प्रवेश शर्तों वाली प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, अतिरिक्त प्राधिकरण जारी किए जा सकते हैं।
- (छ) यह प्राधिकरण स्पेक्ट्रम के आवंटन का कोई अधिकार नहीं देता है। प्राधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार से एक अलग विनिर्दिष्ट फ्रीक्लैंसी आवंटन की आवश्यकता होगी।
- (ज) प्राधिकरण की वैधता अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई गलत विवरण या गलत अभ्यावेदन पाए जाने पर प्राधिकरण को रद्द किया जा सकता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित पाया गया कोई अन्य जुर्माना लगाया जा सकता है।

तारीखः

केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर
(भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

सेवा में,

(इकाई का नाम और पता)

[फा. सं. 24-07/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2025

G.S.R. 606(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public,

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), which shall continue in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
- (a) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network, and the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly;

- (b) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-voice messages between user terminal (UT) and base station;
- (c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (d) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the authorisation as specified in these rules;
- (e) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and (ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;
- (f) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user terminal and core telecommunication network;
- (g) “bearer service” means a telecommunication service that allows transmission of message between network interfaces, that provide users the capacity required to transmit messages between certain access points referred to as user network interfaces and the phrase “bearer telecommunication traffic” shall be construed accordingly;
- (h) “broadcasting services” means the dissemination of any programme(s) through terrestrial or satellite communication medium or a combination of both, intended to be received by users either directly or indirectly, and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (i) “cable landing station” or “CLS” means the station where fibers of the international or domestic submarine cable gets terminated and it houses the Submarine Line Terminating Equipment (SLTE) and Power Feeding Equipment (PFE);
- (j) “cable landing station-point of presence” or “CLS-PoP” means a type of CLS, where some fiber pairs of the submarine cable extended from the CLS are terminated and it houses SLTE;
- (k) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;
- (l) “calling line identification” or “CLI” means the identity of the calling or originating user in terms of the telecommunication identifier assigned or any other identification as may be specified by the Central Government from time to time;
- (m) “captive non-public network” or “CNPN” means a terrestrial wireless telecommunication network established for captive use within a specified geographical area, which cannot be used for providing commercial or public telecommunication services to users.
- (n) “captive telecommunication services” means captive telecommunication services as identified and authorised under the Telecommunications (Authorisation For Provision of Captive Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (o) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
- (p) “cloud-hosted telecommunication network” or “CTN” shall have the same meaning as provided in the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
- (q) “cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider” shall have the same meaning as provided in the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
- (r) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be;
- (s) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner:
Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to have control over an authorised entity merely by virtue of holding such position;
- (t) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs).

- (u) “critical telecommunication infrastructure” means any telecommunication network, or part thereof, notified under sub-section (3) of section 22 of the Act;
- (v) “Customer Application Form” or “CAF” means the form as may be specified by the Central Government, for recording the user information for the purpose of providing telecommunication services;
- (w) “domain name” means the address of a computer, organization, or entity on a TCP/IP network such as Internet;
- (x) “domestic leased circuit” means a leased circuit within the boundaries of the national service area;
- (y) “earth station in motion” or “ESIM” means a Fixed Satellite Service (FSS) user terminal of satellite system, installed on a moving platform like ship, aircraft or land vehicle, while in motion or on pause and connected with satellite, essentially providing access to telecommunication service;
- (z) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the authorisation;
- (aa) “emergency response services” means telecommunication services to address emergencies of any kind, including major accidents, natural or man-made disasters and incidents involving toxic or radio-active materials, or any other emergency declared by the Central Government or State Government from time to time;
- (bb) “emergency services” means the relevant public, police, fire, ambulance, coast guard or any other services so declared by the Central Government;
- (cc) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to provide telecommunication services in a service area of authorisation;
- (dd) “exclusive economic zone” means the area identified under section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act, 1976;
- (ee) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event, which are:
 - (i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity, and not brought about at the instance of such entity, or
 - (ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.Illustrative list of “force majeure events” includes natural phenomena or calamities or any act of God, earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments and facilities of the authorised entity).
- (ff) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
- (gg) “form” means a form specified by the Central Government from time to time;
- (hh) “global mobile personal communications by satellite (GMPCS) system” means any satellite system which is fixed or mobile, broad-band or narrow-band, global or regional, geo-stationary or non-geo-stationery, existing or planned providing telecommunication services directly to end users from a single or constellation of satellites, and the phrase ‘GMPCS network’ and ‘GMPCS service’ shall be construed accordingly;
- (ii) “home network” means the telecommunication network established by an authorised entity in its service area of authorisation;
- (jj) “IN-SPACe” means the Indian National Space Promotion and Authorisation Center, which is the autonomous agency within the Department of Space that regulates space sector activities of non-government entities;
- (kk) “inter-circle traffic” means the telecommunication traffic originating in one Telecom Circle or Metro service area and terminating in another Telecom Circle or Metro service area;
- (ll) “interconnection” means the commercial and technical arrangements under which authorised entities or licensees, as the case may be, connect their telecommunication equipment, telecommunication network

- and telecommunication services to enable their users to have access to users, telecommunication services and telecommunication networks of other authorised entities or licensees;
- (mm) “international long distance (ILD) network” means a type of telecommunications network for interconnecting with telecommunication networks of foreign carriers;
- (nn) “international long distance (ILD) service” means a type of telecommunication service provisioned over the ILD network;
- (oo) “international private leased circuit (IPLC)” means an international leased circuit connecting a user in India and a user outside India;
- (pp) “internet” is a global system that:
- (a) is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its subsequent enhancements or upgradations; and
 - (b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols;
- (qq) “internet exchange point” or “IXP” means a telecommunication equipment at a physical location containing ethernet switches where multiple telecommunication networks connect to exchange internet traffic;
- (rr) “internet exchange point (IXP) service” means a telecommunication service provided using IXP;
- (ss) “internet leased line” or “ILL” means any dedicated link, on wireline or wireless media, from a port on Internet node to user premises and having un-contended capacity;
- (tt) “Internet of Things” or “IoT” means M2M communications over the internet;
- (uu) “internet service” is a type of telecommunication service accessing the internet;
- (vv) “internet telephony” means transfer of message(s) including voice signal(s) through internet and internet telephony network shall be construed accordingly;
- (ww) “intra circle traffic” means the telecommunication traffic originating and terminating within boundaries of the same Telecom Circle or Metro service area;
- (xx) “leased circuit” means a private dedicated circuit that links two or more locations using physical connections, transmission bandwidth, circuit switched technology, or packet switched technology;
- (yy) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 10 of these rules;
- (zz) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word “licensee” shall be construed accordingly;
- (aaa) “long distance call” means a call terminating in an area other than the local area in which it is originated;
- (bbb) “long distance network” is a telecommunication network of transmission and switching telecommunication equipment connected in a predetermined fashion to provide switched bearer interconnection between different local networks;
- (ccc) “Low Power Wide Area Network” or “LPWAN” is a type of wide area network which provides wireless connectivity to low-power devices over large distances that is suited for M2M communication;
- (ddd) “Machine to Machine (M2M) communication” is a type of telecommunication between two or more devices that do not necessarily need any direct human intervention;
- (eee) “Machine to Machine (M2M) service” means a type of telecommunication service using Machine to Machine (M2M) communication;
- (fff) “main telecommunication services” means the telecommunication services listed in sub-rule (2) of rule 4 of these rules;
- (ggg) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025;
- (hhh) “migration rules” means the Telecommunications (Migration from License to Authorisation) Rules, 2025;

- (iii) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services that are identified under and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (jj) “mobile number portability” or “MNP” means the facility which allows users to retain their existing telecommunication identifier when they switch from one authorised entity or licensee providing access service to another;
- (kkk) “national long distance (NLD) network” is a type of telecommunication network which carries bearer telecommunication traffic between two telecom circle or metro service areas or provides domestic bandwidth or leased circuit within the boundaries of the national service area;
- (lll) “national long distance (NLD) service” means a type of telecommunication service provisioned over the NLD network;
- (mmm) “network service operator” or “NSO” means an authorised entity or licensee providing telecommunication service by establishing, operating, maintaining, or expanding telecommunication network for the relevant telecommunication service;
- (nnn) “networth” shall have the meaning given to the term in sub-section (57) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (ooo) “Non-terrestrial networks (NTN)” means telecommunication networks or its segments that use either Uncrewed Aircraft Systems (UAS), including High Altitude Platforms (HAPs), or satellites in different constellations, to carry a transmission equipment relay node or a base station;
- (ppp) “parent NSO” in relation to a VNO means the NSO with which such VNO seeks to enter into, or has entered into, an agreement for providing its telecommunication services;
- (qqq) “peering” means a process by which two or more internet networks connect and exchange traffic, either directly or through IXP, and without having to involve a third internet network;
- (rrr) “point of interconnection” or “POI” has the same meaning as defined in the interconnection regulations under the TRAI Act;
- (sss) “point of presence” or “POP” means a system of telecommunication networks of appropriate capacity established by the authorised entity to provide authorised telecommunication services;
- (ttt) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;
- (uuu) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories:
- (i) a person debarred from accessing the capital market by SEBI;
 - (ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or expedient so to do in the interest of national security;
 - (iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in compliance with the terms and conditions of its authorisation or license;
 - (iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the cancellation; and
 - (v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised entity or licensee, as the case may be;
- (vvv) “public land mobile network” or “PLMN” means a land based public mobile network;
- (www) “public switched telephone network” or “PSTN” means a fixed public telephone network providing a two-way switched telecommunication service;
- (xxx) “public utility service” means a telecommunication service, as declared by the Central Government from time to time, for use of general public by access through telecommunication network;
- (yyy) “roaming” means a telecommunication service that allows mobile terminal users to continue to use the telecommunication services subscribed in its home network, while travelling outside the geographical coverage area of the home network, by means of using a visited network;
- (zzz) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system

control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to land networks through feeder links;

- (aaaa) “service area” means the geographical area for which the authorisation for provision of telecommunication service is granted, which can be of two types:
 - (i) National Service Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with the Section 55 of the Act; and
 - (ii) Telecom circle or metro service area which refers to service areas listed in Schedule B to these rules;
- (bbbb) “SIM” means Subscriber Identity Module (SIM), by whatever name called and it includes embedded SIM (e-SIM), Integrated SIM (iSIM), soft SIM, or any other equivalent SIM, available in any form factor, used for securely storing a unique telecommunication identifier and its related authentication keys to identify and authenticate user on the telecommunication network of the authorised entity;
- (cccc) “stub-cable” means pre-laid, open-ended submarine cable placed from a cable landing station into sea waters;
- (dddd) “Subscriber Data Record” or “SDR” means a comprehensive repository of user information maintained by each authorised entity, in the format as may be specified by the Central Government;
- (eeee) “tariff” shall have the same meaning as provided in the Telecommunication Tariff Orders issued under the TRAI Act;
- (ffff) “Telecom cyber security” shall have the same meaning as specified in the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
- (gggg) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;
- (hhhh) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (iiii) “updating of telecommunication services” means the process of replacing or upgrading an existing SIM or telecommunication services, or changing the details of the user, without any change to the unique telecommunication identifier assigned to such user;
- (jjjj) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a user to avail telecommunication service provided by an authorised entity;
- (kkkk) “virtual network operator” or “VNO” means an authorised entity or licensee providing telecommunication service by entering into mutual agreement with a parent NSO which may provide for: (a) connecting its telecommunication equipment or system to the telecommunication network of such NSO, or (b) using the telecommunication network of such NSO; and
- (llll) “VSAT” means Very Small Aperture Terminal.

- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- (3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of rules under the Act.

3. Applicability

These rules shall apply to any person, intending to provide or providing the telecommunication services specified in sub-rule (2) of rule 4, within the service area of authorisation.

CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR MAIN TELECOMMUNICATION SERVICES

4. Categories of authorisations

- (1) Telecommunication service authorisations are classified into the following four broad categories: (a) main telecommunication services, (b) miscellaneous telecommunication services, (c) captive telecommunication service, and (d) broadcasting services.
- (2) Main telecommunication services authorisation shall comprise of the following sub-categories:
 - (a) unified service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part A (Unified Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules;

- (b) access service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part B (Access Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules;
- (c) internet service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part C (Internet Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules; and
- (d) long distance service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part D (Long Distance Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules.

(3) The scope of these rules relates to main telecommunication services and reference to telecommunication services in the provisions set forth below shall mean main telecommunication services.

5. Types of authorisations

- (1) An authorisation for main telecommunication services may be granted for providing the relevant telecommunication service as a NSO or a VNO.
- (2) A NSO may establish, operate, maintain or expand telecommunication network as may be required within the scope of its authorisation, and may interconnect its telecommunication network in accordance with applicable rules and regulations.
- (3) A VNO may establish, operate, maintain or expand telecommunication network as may be required within the scope of its authorisation and enter into mutual agreements with one or more parent NSOs as specified below:
 - (a) a VNO authorised to provide unified service may enter into agreement with an NSO that holds an authorisation for unified service;
 - (b) a VNO authorised to provide access service may enter into agreement with an NSO that holds an authorisation for unified service or access service or license for access service.
 - (c) a VNO authorised to provide wireline access service may enter into agreement with an NSO that holds an authorisation for unified service or access service, or license for access service;
 - (d) a VNO authorised to provide internet service may enter into agreement with an NSO that holds an authorisation for unified service, access service or internet service, or license for access service or internet service, as applicable; and
 - (e) a VNO authorised to provide long distance service may enter into agreement with an NSO that holds an authorisation for unified service or long distance service or license for NLD or ILD service, as applicable.

Provided that in respect of each of the agreements specified above, the service area in which the VNO can provide telecommunication services shall be the smaller of either its own service area or the service area of its parent NSO.

- (4) A VNO may enter into agreements specified under sub-rule (3), with more than one parent NSO for all types of telecommunication services in a given service area, except for wireless access service, where such an agreement shall be with only one parent NSO. *Explanation:* In circumstances where the same VNO seeks to provide both wireless and wireline access service in a service area, such VNO may enter into an agreement with one parent NSO in respect of the wireless access service, while for wireline access service, it may enter into agreements with more than one parent NSO.
- (5) Any access by a parent NSO to a VNO shall be on the basis of a mutual agreement between the relevant VNO and NSO:

Provided that, the Central Government or TRAI may provide relevant notifications, orders, directions, or guidelines, to protect the interest of users.
- (6) Each parent NSO and its VNOs shall provide updates to each other in advance in respect of any change in the status of their respective authorisations, including with respect to revocation, surrender or expiry of such authorisations, and further comply with the provisions of sub-rule (7) and (8) below.
- (7) In the event of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of a NSO, such NSO shall notify its VNO, if any, clearly stating the options available to such VNOs, by issuing a notice of at least thirty days, prior to the effective date of revocation or surrender or expiry of its authorisation.
- (8) In the event of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of a VNO, such VNO shall notify its NSO, by issuing a notice of at least thirty days, prior to the effective date of revocation or surrender or expiry of its authorisation, and for the telecommunication services other than mobile, all users of the VNO shall be migrated to any of the tariff plans of the parent NSO without any extra charges to the user:

Provided that the parent NSO shall ensure such migration as per the tariff plan opted by each user:

Provided further that the users of mobile telecommunication services of the VNO shall have the option to port their telecommunication services, using MNP facility, to the authorised entity of their choice.

- (9) The conditions set forth under sub-rule (6), sub-rule (7) and sub-rule (8) shall be made part of the mutual agreement between a parent NSO and its VNO, and such agreement shall stand terminated upon the effective date of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of either VNO or NSO.

6. Service area of authorisation

The service area of authorisation for each category of main telecommunication service, shall be as follows:

- (a) The service area of authorisation for unified service shall be the national service area;
- (b) The service area of authorisation for access service shall be the telecom circle or metro service area;
- (c) The service area of authorisation for internet service shall be either the national service area, or telecom circle or metro service area; and
- (d) The service area of authorisation for long distance service shall be the national service area.

7. Duration of Authorisation

(1) The initial validity period of an authorisation for provision of telecommunication services shall be twenty years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.

(2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 18.

8. Eligibility criteria for grant of an authorisation

(1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies Act having minimum paid up equity capital and minimum networth, as specified in Schedule C to these rules:

Provided that where an applicant possesses one or more authorisations or applies for one or more new authorisations:

- (a) the requirement of minimum paid up equity capital shall be equal to the sum total of the minimum paid up equity capital requirement for each such authorisation as specified under Schedule C.
- (b) the requirement of minimum networth shall be equal to the sum total of the minimum networth requirement for each such authorisation as specified under Schedule C.

Provided further that where an applicant possesses one or more authorisations or applies for one or more new authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act, for any type of telecommunication service or telecommunication network, the requirement of minimum networth and minimum paid up equity capital shall be equal to the sum total of the minimum networth and minimum paid up equity capital requirement for each such authorisation, respectively.

(2) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 9:

Provided that direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and policies of India as applicable.

(3) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a prohibited investor.

(4) The applicant shall ensure that its beneficial interest in another authorised entity, is in compliance with requirements of rule 15 and shall provide a certificate from a practicing company secretary or chartered accountant of such compliance to the Central Government, along with its application under sub-rule (1) of rule 9.

(5) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, and which license had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier terminated or surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.

(6) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following circumstances apply:

- (a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule 23;
 - (b) it had been subject to revocation under rule 21 and is submitting an application for authorisation under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an application for authorisation, but has pending dues payable thereof; or
 - (c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable;
- then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, to be considered as eligible to apply for an authorisation under these rules.

9. Application for obtaining an authorisation

- (1) Any person intending to provide telecommunication services shall submit an application on the portal, in the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.
- (2) If the applicant for authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application for authorisation:
 - (a) apply for migration of all its existing licenses for all categories of telecommunication services to the corresponding authorisation for telecommunication service, in accordance with the migration rules, and submit proof of such application; or
 - (b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:

Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (5).
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee as stipulated in Schedule A to these rules.
- (4) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different service areas.
- (5) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific telecommunication service in the same service area:

Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license in a service area, as the case may be, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication service or obtains an authorisation for a telecommunication service in accordance with the merger rules, the scope and service area of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring as per the merger rules, and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled.

Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license:

- (a) shall not result in any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation or license, as the case may be, and
- (b) such dues, penalties, liabilities or obligations shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the new authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central Government.

10. Grant of Authorisation

- (1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 9, the Central Government may seek clarifications or further documents, as may be required.
- (2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued to the applicant through the portal.
- (3) An applicant shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of the entry fee, as specified for such authorisation in Schedule A, and submission, in the form and manner as specified on the portal, of an initial guarantee, of the amount as specified for such authorisation in Schedule A, of any of the following:
 - (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
 - (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a minimum validity period of one year, or

- (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government; and submit evidence of the same on the portal.
- (4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand rejected:
- Provided that* the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified in the letter of intent.
- (5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by the applicant, a unique authorisation number shall be generated on the portal and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule D to these rules.
- (6) Each application for authorisation shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rules 21 and 22 shall apply.
- (7) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under rule 9 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1):
- Provided that* any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (8) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act 1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such authorisation:
- Provided that* the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of grant of authorisation under the Act.

11. Non-Exclusive authorisation

Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of authorised entities:

Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, provide telecommunication services anywhere in India.

CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS

12. Compliance with the Act

- (1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules thereunder, including all notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government under the provisions of the Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.
- (2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

13. Compliance with the TRAI Act

An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be addressed under the TRAI Act.

14. Continuing Compliance with Eligibility Conditions

- (1) An authorised entity shall maintain, at all times during the term of authorisation, the minimum paid up equity capital as specified in sub-rule (1) of rule 8 read with Schedule C to these rules.
- (2) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.

- (3) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control in such entity, at all times during the duration of authorisation.

15. Limitations on Cross Holdings

- (1) An authorised entity, holding access spectrum or offering a type of telecommunication service or network, as may be specified by the Central Government, or its material shareholder, directly or indirectly, shall not have any beneficial interest in another authorised entity or licensee holding access spectrum or offering such specified type of telecommunication service or network in the same service area:

Provided that the limitation under this rule shall not be applicable:

- (a) between a VNO and its parent NSO; and
- (b) between VNOs that have the same parent NSO.

- (2) An authorised entity holding an authorisation to provide unified service or access service or long distance service under the Act, or its material shareholder, shall not hold any equity, either directly or indirectly, in another authorised entity holding an authorisation to provide mobile number portability service.

- (3) For the purpose of this rule:

- (a) “material shareholder” shall mean a person, other than Central Government, financial institutions and scheduled banks, which hold ten percent or more equity in the authorised entity;
- (b) “beneficial interest” shall mean holding of any equity or control, directly or indirectly, including through chain of companies, over the affairs of the relevant authorised entity, whether or not such person is a shareholder, or director or holding any position in the management of the company.

16. Reporting and Disclosure Obligations

- (1) An authorised entity shall submit to the Central Government by 15th January of every year:

- (a) details of its Indian and foreign equity holders, both direct and indirect, as of 1st January of that year;
- (b) compliance report regarding foreign direct investment pursuant to sub-rule (2) of rule 8; and
- (c) compliance report regarding beneficial interest in another authorised entity pursuant to rule 15;

in the form and manner as may be specified on the portal for this purpose along with a certification by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013 or a practicing company secretary, confirming the same.

- (2) An authorised entity shall submit to the Central Government by 15th January of every year, a compliance report on minimum paid up equity capital requirement, as of 1st January of that year, in the form and manner as may be specified on the portal for this purpose along with a certification by the company secretary or its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, confirming the same, countersigned by the duly authorised director of such authorised entity:

Provided that the Central Government may exempt authorised entities, having a turnover not exceeding an amount as may be specified by the Central Government, from the requirement of such submission.

- (3) An authorised entity shall:

- (a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with any statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;
- (b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate;
- (c) submit to the Central Government any change in details, relating to ownership, control, address and contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days of such change.
- (d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as directed within specified timelines, in the form and manner, as may be specified on the portal.

- (4) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person who shall be

responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required under these rules.

17. Restrictions on transfer of authorisation

- (1) An authorised entity shall not:
 - (a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government;
 - (b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; or
 - (c) create any interest in favour of a third party in such authorisation, except to the extent and in the manner permitted in the rules prescribed under section 45 of the Act.
- (2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to:
 - (a) any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules; or
 - (b) exercise of security interest by any lender financing the relevant authorised entity holding such authorisation in accordance with the rules prescribed under section 45 of the Act.

18. Renewal of Authorisation

- (1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as specified on the portal for this purpose, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules:

Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.

- (2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal of duration of authorisation by a term of twenty years, subject to such terms and conditions as may be specified by the Central Government, as well as compliance with law and policy applicable at the time of such renewal:

Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

- (3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of the validity period of an existing authorisation, and the authorised entity shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, including that of MNP, by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of expiry of its authorisation by efflux of time and ensure quality of telecommunication network and telecommunication service, till the effective date of expiry.

19. Assignment and Use of Spectrum

- (1) The grant of an authorisation under the Act or a permission under an existing authorisation to use satellite systems for providing telecommunication services, does not confer any right to assignment and use of spectrum.
- (2) An authorised entity may apply for assignment of the spectrum under the rules prescribed under sub-section (3) of section 4 of the Act.
- (3) Where an authorised entity holds spectrum, or applies for assignment of spectrum under the relevant rules, the terms and conditions of such assignment, and where applicable, the terms and conditions of the relevant Notice Inviting Applications (NIA) for auction of spectrum, shall be deemed to be incorporated into the terms and conditions of the authorisation, and an authorised entity shall use the spectrum for provision of telecommunication services in conformity with the terms and conditions of assignment, including, where applicable, the terms and conditions of the relevant NIA, as well as the terms and conditions of authorisation.

20. Force Majeure event

- (1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the duration of such event.
- (2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of

occurrence of such event:

Provided that telecommunication service under the authorisation shall be resumed as soon as practicable, after such force majeure event comes to an end or ceases to exist and the decision of the Central Government as to whether the telecommunication service may be so resumed and the time frame within which such telecommunication service may be resumed or not, shall be final and binding.

- (3) Any force majeure event shall not result in the extension of the duration of the authorisation:

Provided that the Central Government may, on a case by case basis, taking into consideration the circumstances of the force majeure event, reduce or waive the authorisation fee for the inoperative period caused due to such event.

- (4) An authorised entity shall not be entitled to claim any compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government's obligations by reason of the force majeure event.

21. Default by an authorised entity

- (1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025:

Explanation:

- (a) In the event an authorised entity against whom corporate insolvency resolution process has been initiated under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and a resolution professional is appointed for such authorised entity and such authorised entity fails to comply with terms and conditions of authorisation, then such breach shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025;
- (b) In the event an authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; then the Central Government without prejudice to any other remedy available to it, for breach of terms and conditions of authorisation, may revoke the authorisations granted to such authorised entity and sub-rule (5) to sub-rule (11) of this rule shall become applicable.

- (2) The Central Government may specify the gradation of penalties imposed pursuant to such adjudicatory process as applicable for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed under sub-section (3) of section 32 of the Act.

- (3) Where recommendations regarding suspension, revocation or curtailment of the duration of the authorisation under clause (b) to sub-section (1) of section 32 of the Act have been made, the Central Government shall issue a show cause notice to an authorised entity, specifying a period of up to twenty-one days to reply to the same.

- (4) The Central Government may, after due consideration of the reply submitted by an authorised entity, suspend or curtail, in whole or in part, or revoke the authorisation of such entity:

Provided that in the event an authorised entity does not submit its reply within the time period specified in the show cause notice, the Central Government shall proceed to take a decision on suspension, revocation or curtailment of authorisation based on the material on record.

- (5) Any order of suspension or revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.

- (6) An authorised entity shall make public any order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of such order being made available on the portal:

Provided that the suspension of authorisation shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation.

- (7) Pursuant to the order under sub-rule (5) published on the portal, an authorised entity shall also give notice of at least thirty days to all its users within thirty days from the date of such order, clearly stating the options available to such users, including that of MNP.

- (8) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (5).

- (9) An authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked.

Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.

- (10) An authorised entity whose authorisation is revoked as well as its promoters shall not be eligible to apply for authorisation for any of the telecommunication services under the Act for a period, as may be determined by the Central Government, which shall not exceed three years.
- (11) The terms and conditions provided in the rules for security interest notified under section 45 of the Act, shall apply in respect of any revocation of authorisation.

22. Reversal of suspension, revocation or curtailment

- (1) An authorised entity whose authorisation has been suspended, curtailed or revoked under sub-rule (4) of rule 21, may, within fifteen days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, submit to the Central Government the remedial measures it has undertaken to address the underlying breach of terms and conditions of authorisation, with evidence thereof.
- (2) The Central Government may, after due consideration of such submission, and if it is satisfied that the substantial violation has been remedied, within thirty days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, reinstate the authorisation.

23. Surrender of authorisation

- (1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on the portal:

Provided that a NSO or VNO seeking to surrender the authorisation and applying to the Central Government under this sub-rule shall also comply with their respective obligations specified under sub-rule (7) and sub-rule (8) of rule 5.

- (2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from the date of receipt of such application by the Central Government:

Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

- (3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.

- (4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government and the same shall be made public by an authorised entity, within forty-eight hours of being made available on the portal.

- (5) Pursuant to the acceptance under sub-rule (2) or deemed acceptance under sub-rule (3), an authorised entity shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, including that of MNP, by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of surrender of its authorisation and ensure quality of telecommunication network and telecommunication service till effective date of surrender.

- (6) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (2).

- (7) An authorised entity surrendering its authorisation under this rule, shall be responsible for the payment of all dues payable till the effective date of surrender as determined by the Central Government, including in respect of authorisation fees.

- (8) The terms and conditions provided in the rules for security interest notified under section 45 of the Act shall apply in respect of any surrender of authorisation.

24. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest

- (1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:

Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out of such actions.

- (2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such directions for suspension or revocation.
- (3) Any suspension of authorisation under this rule shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation.
- (4) An authorised entity shall not be entitled to any refund of fees or any other charges paid:

Provided however that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.

25. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation

- (1) Where the telecommunication network of an authorised entity or a licensee has interconnection or peering with the telecommunication network of any other authorised entity or licensee, whose authorisation or license is subject to revocation or surrender or has expired, or where an authorised entity or licensee has provided telecommunication resources to any other authorised entity or licensee whose authorisation or license is revoked or surrendered or expired, then such authorised entity or licensee shall, upon the effective date of revocation or surrender or expiry of such authorisation or license, disconnect such interconnection or peering, and withdraw such telecommunication resources.
- (2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.
- (3) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant authorised entity shall manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025.

CHAPTER 4: FINANCIAL CONDITIONS

26. Fee and charges:

- (1) In this Chapter 4, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), Adjusted Gross Revenue (AGR), IUC and Presumptive AGR, shall have the respective meanings specified below:
 - (a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way of all operations and activities and all income from any source including on account of interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses.
 - (b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue (AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
 - (i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
 - (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of Information and Broadcasting;
 - (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
 - (iv) revenue falling under the following items:
 - (a) income from dividend;
 - (b) income from interest;
 - (c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (e) income from property rent;
 - (f) insurance claims;
 - (g) bad debts recovered; and
 - (h) excess provisions written back;

Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR”:
- (i) In respect of a NSO, AGR shall be calculated by excluding the following from the ApGR:

- (a) interconnection usage charges (IUC), related to calls and SMS, paid to other authorised entities or licensees; and
 - (b) roaming revenues paid to other authorised entities or licensees within India and telecommunication service providers outside India; and
 - (ii) In respect of a VNO, AGR shall be calculated by excluding from the ApGR, charges paid by the VNO to one or more NSOs under an agreement for provision of telecommunication network, including bandwidth, leased circuits, call minutes and SMSs, as may be necessary for a VNO to provide telecommunication services to its users, subject to submission to the Central Government the copy of the agreement, specifying such charges, along with proof(s) of actual payment of such amounts.
 - (d) “IUC” refers to the charges as defined in the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulations, 2003 and the Short Message Service (SMS) Termination Charges Regulations, 2013, issued by TRAI, as amended from time to time.
 - (e) “Presumptive AGR” means an amount that is equal to five per cent of sum of the amount payable by an authorised entity for right to use of access spectrum and in case an authorised entity acquires the right to use of access spectrum at different times, the presumptive AGR shall be five percent of the cumulative sum of all such amounts payable by an authorised entity for right to use of access spectrum.
- (2) An authorised entity shall pay an annual authorisation fee for each authorisation, payable from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent of the AGR:
- Provided that* from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A.
- Provided further that* in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the effective date of renewal.
- Provided also that* in case of migration of an existing license to a relevant authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the effective date of migration.
- (3) Where an authorised entity has the right to use of access spectrum, the authorisation fee shall be the higher of: (a) eight per cent of the presumptive AGR, or (b) the amount specified under sub-rule (2); or (c) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A:
- Provided that* where the authorisation fee is based on clause (a), it shall be calculated from the date of acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the authorisation, whichever is later.
- (4) A VNO shall pay the spectrum charges as per the rates applicable for its parent NSO.
 - (5) The authorisation fee under sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
 - (6) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.
 - (7) In case an authorised entity acquires the right to use of spectrum under section 4 of the Act, in addition to the authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, if any, as per the rate specified in the rules prescribed under sub-section (3) of section 4 of the Act, shall be payable in accordance with rule 27.

27. Schedule of Payment

- (1) The authorisation fee or spectrum charges linked to AGR determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
- (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum charges linked to AGR in the following manner:
 - (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and

- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee and spectrum charges linked to AGR paid for the previous quarter:

Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

- (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.

- (4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:

- (a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may be specified on the portal for this purpose; and
- (b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to AGR, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 26, as applicable.

- (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to AGR or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

- (6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central Government.

- (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.

28. Guarantee requirements for authorisation

- (1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
 - (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution;
 - (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
 - (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
- (2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.
- (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

- (i) authorisation fee for two quarters;
 - (ii) spectrum charges linked to AGR for two quarters; and
 - (iii) any other dues that are not otherwise secured.
- (4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
- (5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity:
- Provided that* no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.
- (6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim, or appropriation:
- Provided that* the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.
- (7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee in the following cases:
- (a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
 - (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
 - (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.
- (8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

29. Assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to AGR

- (1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, spectrum charges linked to AGR, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.
- Explanation:* For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.
- (2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from ApGR to arrive at AGR in the form and manner, as specified on the portal.
- (3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall maintain and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation and comply with notifications, orders, directions or guidelines, issued by the Central Government, as well as orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by the TRAI, for this purpose.

- (4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose.
- (5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:
- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of an authorised entity's business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity's business for the quantification of revenue or any other purpose;
 - (b) pay the IUC related to calls and SMS, and roaming charges to other authorised entities and telecommunication service providers outside India for international roaming, as applicable;
 - (c) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations of TRAI, where applicable;
 - (d) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities, or with telecommunication service providers outside India for international roaming, shall be conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
 - (e) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other authorised entities, including in respect of IUC, charges for usage of network and facilities, and charges for domestic and international roaming, as well as details of the actual settlements.
- (6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited and approved accounts of an authorised entity:
- Provided that*, if the authorisation fee, spectrum charges linked to AGR or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.
- (7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.
- (8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, spectrum charges linked to AGR, and any other charges.
- (9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
- (10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, to undertake special audit of an authorised entity's accounts and records, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
- (11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rule (4) and (6) of rule 27 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to AGR, on best judgement basis:
- Provided that*, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
- (12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13).
- (13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that

the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

- (14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
- (15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee or of spectrum charges linked to AGR may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.
- (16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, spectrum charges linked to AGR and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of any telecommunication service, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

30. Set Off

- (1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or assignment at any time thereafter, including any guarantee, which can be converted into money.
- (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity of such set-off.

31. Recovery of dues

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

CHAPTER 5: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

32. Telecommunication Network

- (1) An authorised entity having an authorisation to provide main telecommunication service, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (b) of sub-section (1) of section 3 or under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act respectively:

Provided that in respect of right to assignment and use of spectrum, rule 19 of these rules shall apply.

- (2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology for providing telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network used, and telecommunication services provided are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI regulations relating to standards of Quality of Service (QoS):

Provided that the Central Government or the relevant authorised agency may carry out performance tests on authorised entity's telecommunication network or systems to ascertain that such telecommunication network or systems meets the specified Quality of Service (QoS) standards.

- (3) An authorised entity shall synchronise its telecommunication network's system clock with the national clock as may be specified by the Central Government, and any standards notified by the Central Government in this regard.
- (4) Notwithstanding any other provision of these rules, the authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network and provide telecommunication services, at any time, in specified geographical area, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict, as may be directed by the Central Government.
- (5) An authorised entity shall, in the manner as may be specified on the portal, provide the details of the technology proposed to be deployed by it for provision of telecommunication services, to the Central Government.
- (6) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication services and the associated telecommunication network, to the Central Government or the relevant authorised agency, in such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

(7) An authorised entity shall supply all tools, test instruments, and other accessories and extend necessary support to the Central Government, or the relevant authorised agency, for conducting tests on the telecommunication network and of the telecommunication services, at any time within the duration of authorisation.

(8) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that, an authorised entity may take telecommunication network, telecommunication infrastructure, or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other authorised entities holding the relevant authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act;

Provided further that, an authorised entity may share the telecommunication infrastructure and telecommunication network, as permitted under these rules.

Provided also that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity, shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations, or non-compliance with any other obligations under these rules.

(9) Where an authorised entity requires RoW for establishing its telecommunication network, it shall not, either directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of RoW with the person having the right to grant such RoW.

(10) An authorised entity shall adhere to any plans as notified by the Central Government, from time to time, including the National Numbering Plan and the National Frequency Allocation Plan.

(11) The telecommunication network taken: (a) as a service from other authorised entities, authorised under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Act, or (b) on lease or hire from any other authorised entity or space segment provider authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose, or (c) on sharing basis from any other authorised entity, as per the applicable rules, shall be treated as part of the telecommunication network of an authorised entity for the purposes of provisioning of telecommunication services and compliance of the terms and conditions of the authorisation.

(12) An authorised entity while establishing, operating, maintaining or expanding wireless telecommunication network shall conform to the electromagnetic field (EMF) exposure norms notified by the Central Government for this purpose and shall conduct self-assessment of each base station for EMF exposure compliance in accordance with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified by the Central Government under section 19 of the Act and provide self-certification, in the form and manner as specified on the portal, to the Central Government.

(13) An authorised entity shall make available on its website the coverage details, including geographical area wise details of availability, of all types of its telecommunication networks, including wireline telecommunication network, and telecommunication services to users in such manner, as may be specified.

(14) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government in respect of the following:

- (a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;
- (b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
- (c) reduction of carbon footprint;
- (d) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment;
- (e) IPv6 implementation;
- (f) enrolment of test users and testing of its telecommunication network, before the commercial launch of telecommunication services;
- (g) strengthening of the telecommunication network security; and
- (h) disposal of the radio equipment.

33. Location of Telecommunication Network Elements

- (1) An authorised entity shall provide location details of all telecommunication network elements to the Central Government, in the form and manner as may be specified on the portal, along with their mapping on Geographic Information System (GIS).
- (2) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal.
- (3) An authorised entity shall ensure that:
 - (a) all systems of its telecommunication network,
 - (i) either owned, or taken as a service from an entity authorised under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Act, or
 - (ii) on lease or hire or sharing basis from an entity authorised under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act,

are located within its service areas of authorisation for the purpose of provisioning of telecommunication service permitted under the scope of the authorisation:

Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider, satellite earth station gateway provider, or satellite communication network provider authorised under clause (b) of sub-section (1) section 3 of the Act, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and

- (b) all data and information associated with its telecommunication network specified in clause (a), shall be stored within India.
- (4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining service area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written approval of the Central Government.

34. Sharing of telecommunication network and infrastructure

- (1) An authorised entity having different authorisations under section 3 of the Act may share its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network for providing telecommunication services under such authorisations subject to the prior approval requirement, as applicable, under these rules.
- (2) An authorised entity may enter into mutual agreements with any other authorised entity for sharing its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network, except for core telecommunication network, and lawful interception and monitoring (LIM) facilities and the lawful interception system (LIS):

Provided that, such authorised entity shall, prior to entering into such agreement, ensure that the other authorised entity is eligible to obtain such telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network:

Provided further that any such mutual agreement shall not absolve either of the authorised entities from complying with the terms and conditions of their respective authorisations.

- (3) An authorised entity may be permitted to share its core telecommunication network elements pertaining to access service with other authorised entities, with the prior written permission of the Central Government, obtained by such authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal:

Provided that the Central Government shall consider granting such permission subject to the condition *inter-alia* that such permission shall not result in less than two core telecommunication networks in a given service area.

- (4) An authorised entity may be permitted to share its own lawful interception and monitoring (LIM) facilities and the lawful interception system (LIS) with other authorised entities with the prior written approval of the Central Government.

35. Telecommunication Network Interconnection and Peering among NSOs

- (1) A NSO may interconnect or peer its telecommunication network with the telecommunication network of any other NSO.
- (2) A NSO shall ensure that interconnection and peering with the telecommunication network of any other NSO is undertaken and maintained in accordance with the terms and conditions of interconnections and peering under applicable rules or regulations.
- (3) A NSO, while undertaking interconnection or peering with the telecommunication network of any other NSO, shall ensure:
 - (a) that transmission links for interconnection or peering meet relevant standards and interface requirements (IR), including those notified under section 19 of the Act;
 - (b) that interconnection and peering, as required, with the telecommunication networks of another NSO, is established on IP interface for carrying IP based traffic, as per the standards, including those notified under section 19 of the Act:

Provided that a NSO shall convert circuit switched traffic to IP based traffic before sending circuit switched traffic to the telecommunication networks of another NSO;
 - (c) establishment and maintenance of one or more points of interconnection (POIs) and peering of sufficient capacity as are reasonably required for transmission and reception of messages in conformity with the QoS regulations prescribed by TRAI or standards and conformity assessment measures as may be notified by Central Government for this purpose; and
 - (d) that interconnection and peering is technically compatible and effective and is in compliance with all applicable orders, directions, guidelines, and regulations, as may be issued by TRAI under the TRAI Act.
- (4) The interconnection agreements between NSOs, including the charges for accessing other telecommunication networks for inter-network calls or messages, shall be based on mutual agreements between such NSOs and shall conform to the applicable orders, directions, guidelines, and regulations, issued by the TRAI under the TRAI Act.
- (5) A NSO shall update the details of points of interconnection (POIs) and interconnection and peering agreements in the form and manner, as may be specified on the portal.
- (6) Where a NSO's authorisation is the subject of revocation, surrender or expiry, the NSO which has an agreement for interconnection and peering with such NSO, shall disconnect any interconnection or peering, and withdraw such telecommunication resources on the effective date of revocation, surrender or expiry.
- (7) Interconnection of leased circuits with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, GMPCS network, Internet, or internet telephony network shall not be permitted.

36. Monitoring facilities and suspension of telecommunication services

- (1) An authorised entity shall establish all necessary means and facilities at its own cost for the application of provisions of sub-section (2) of section 20 of the Act.
- (2) Nothing contained in these rules shall be deemed to adversely affect anything provided or laid pursuant to the Act or any other applicable law.

37. Commercial launch of telecommunication services

- (1) An authorised entity shall notify to the Central Government and TRAI the proposed date of commencement of provision of telecommunication service.
- (2) An authorised entity shall charge the tariff for the telecommunication service in accordance with the tariff orders, directions, guidelines, or decisions, issued by TRAI for this purpose and shall fulfil requirements including publication of tariff, notification of tariff to TRAI and provision of information to users, as directed by TRAI.
- (3) An authorised entity shall conduct self-audit of lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, as per the specified test schedule and test procedure (TSTP), and provide a self-certification of such testing, in the form and manner as specified on the portal, to the Central Government, before commencement of any telecommunication service in the service area of authorisation.
- (4) An authorised entity shall intimate to the Central Government and TRAI the date of commencement of telecommunication service within fifteen days of such commencement.

(5) An authorised entity shall, within ninety days from the date of commencement of telecommunication service to users, successfully demonstrate the requisite monitoring facilities to the Central Government or the relevant authorised agency.

38. Provisioning of Telecommunication Service

(1) An authorised entity shall:

- (a) prior to commencement of telecommunication service to users, notify and publicise the details of process and procedure through which any user can register the demand or make a request for telecommunication services;
 - (b) without any discrimination, register the demand for telecommunication services from any user in the service area and where feasible, provide telecommunication services to such user, unless otherwise directed by the Central Government;
 - (c) not discriminate between users registered for its telecommunication services with regard to commercial principles for provision of telecommunication services;
 - (d) maintain a transparent and open to inspection, waiting list of users, whose request for provision of telecommunication services is pending, in the form and manner as may be specified on the portal;
 - (e) clearly define the scope of each type of telecommunication service to user(s), at the time of registration of demand and enrolment of user(s);
 - (f) ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by Central Government for this purpose;
 - (g) issue or cause to be issued, in its own name, bills to its users for use of the telecommunication service with adequate details to ensure satisfaction of the users about the genuineness of the bill, collection of revenue, ensure timely treatment of user complaints, and attending to claims;
 - (h) maintain necessary records of the itemised bills for the billing cycles as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose;
 - (i) offer regular itemised billing to its users wherever applicable and shall be responsible to its users, fulfilling their obligations in this regard;
 - (j) notify to users in writing, all the policies and arrangements with respect to repair, fault rectification, compensation, or refunds; and
 - (k) ensure the Quality of Service (QoS) in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI regulations relating to standards of Quality of Service (QoS).
- (2) The Central Government may specify restrictions on the use of main telecommunication services in areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India, or any other areas as may be specified by the Central Government:
- Provided that* in such restricted areas, the Central Government may allow the use of main telecommunication services to specified users and the authorised entity shall facilitate the same based on directions from the Central Government.
- (3) An authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users shall be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified under section 19 of the Act, in this regard by the Central Government.
 - (4) For the provisioning of telecommunication services to its users, an authorised entity may obtain telecommunication identifiers pursuant to sub-section (8) or sub-section (9) of section 3 of the Act.
 - (5) An authorised entity may, for the last mile linkage, use the cable network of a cable operator registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).
 - (6) An authorised entity shall ensure availability of telecommunication network and telecommunication services, in any area of public importance and for such duration, as specified in notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government, from time to time.
 - (7) An authorised entity shall ensure continuity of the telecommunication services that it is offering to its users unless the authorisation is revoked, suspended or curtailed, to the extent of such curtailment, by the Central Government.

- (8) Where an authorised entity seeks to discontinue provision of one or more, but not all, telecommunication services to its users, the following provisions shall apply:
- An authorised entity shall submit an application to the Central Government in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the intended date of discontinuation of the relevant telecommunication service, together with reasons for such intended discontinuation;
 - the Central Government may, within a period of thirty days of receipt of such application: (i) approve such application; or (ii) reject such application on grounds of public interest or national security or due to occurrence of national emergency or war;
 - in the event the Central Government does not either approve or reject such application within the time specified, the application shall be deemed to have been approved;
 - pursuant to an approval under sub-clause (b) or (c), an authorised entity shall issue a notice of discontinuation of the relevant telecommunication service, to users of such telecommunication service, at least thirty days in advance of the intended date of discontinuation, clearly stating the options available to such users, including that of MNP, wherever applicable; and
 - the effective date of discontinuation of the relevant telecommunication service shall be the thirty-first day counted from the date of issuance of notice under sub-clause (d), and an authorised entity shall refund to the user the balance amount including security deposit, if any, available with an authorised entity within a period of thirty days from the effective date of discontinuation of telecommunication service:

Provided that this sub-rule (8) shall not be applicable for any discontinuation of telecommunication services pursuant to revocation or suspension of telecommunication services by the Central Government under the Act or rule 21 of these rules or surrender of the authorisation under rule 23 of these rules.

- An authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to enable users to register any grievance pertaining to the telecommunication service and to redress such grievances, in such manner as may be specified by TRAI and prescribed by the Central Government under sub-section (3) of section 28 of the Act.
- Any dispute with regard to the provision of telecommunication service shall be a matter only between the user and an authorised entity and an authorised entity shall duly notify this to the user before providing the telecommunication service, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.
- An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages arising from any claims from users for any reason whatsoever.
- An authorised entity shall, while providing any telecommunication resource to another authorised entity or the entity exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) of section (3) of the Act, satisfy itself that such entity is eligible to obtain such telecommunication resource.
- An authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another authorised entity, satisfy itself that such authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource.

39. Relaxations and exemptions

- Where an authorised entity provides some, but not all, telecommunication services within the scope of its authorisation, it may apply to the Central Government, with justification, for appropriate exemptions or relaxations from the applicability of specified rules.
- The Central Government may, after consideration of the application received under sub-rule (1), communicate to the authorised entity such exemptions or relaxations from such rules as it may determine are not applicable to the relevant telecommunication services specified in such application.

40. Right to inspect and undertake assessments

- The Central Government, may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to an authorised entity in this regard:
 - access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established for provision of telecommunication service, including within a user's premises;
 - audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:

Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest.

Provided further that the Central Government, may appoint an authorised agency to audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules.

- (2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

41. Confidentiality of information

- (1) An authorised entity shall not employ bulk encryption equipment for telecommunication in its telecommunication network.
- (2) The Central Government may evaluate any encryption equipment connected to an authorised entity's telecommunication network.
- (3) An authorised entity shall, prior to commencement of telecommunication service, confirm in writing to the Central Government that an authorised entity has taken all necessary steps to ensure compliance with all applicable laws and policy to protect data privacy and confidentiality of user information, including by its employees and consultants.
- (4) An authorised entity shall, subject to the terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business, to whom it provides the telecommunication service or from whom it has acquired such information by virtue of the telecommunication service being provided and shall endeavour to ensure that:
 - (a) no authorised entity or any person acting on its behalf, seeks such information other than what is necessary, for the purpose of providing telecommunication;
 - (b) no authorised entity or any person acting on its behalf, divulges or uses any such information except as may be necessary in the course of providing telecommunication service to the user;

Provided that sub-rule (4) shall not apply where:

- (i) the information relates to a specific user and that user has consented in writing to such information being divulged or used, and such information is divulged or used in accordance with the terms of that consent; or
- (ii) the information is already accessible to the public and otherwise known.
- (5) Notwithstanding anything stated in sub-rule (4), an authorised entity shall, upon being directed by the Central Government in the public interest, or for telecom cybersecurity, enable the Central Government access to and utilization of such data in the manner, as may be specified, for this purpose.
- (6) An authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any other person except with the prior written approval of the Central Government:

Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network, as may be required by its telecommunication equipment suppliers.

42. Services during Public Emergency, Public Safety and Disaster Management

- (1) The Central Government shall, in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 20 of the Act, provide for appropriate mechanism to ensure that messages of a user or group of users authorised for response and recovery during public emergency are routed on priority.
- (2) An authorised entity shall, for the purposes of disaster management, ensuring public safety, or providing emergency response services, follow the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government.
- (3) An authorised entity shall:
 - (a) facilitate dissemination of alert messages through SMS or cell broadcast or any other means as may be directed by Central or State Government or any officer authorised in this behalf by the Central or State Government;
 - (b) implement intra-circle roaming and national roaming for disaster management services, emergency services, public safety services, public utility services or any other type of user messages as per the guidelines or directions of the Central Government or the relevant authorised agency.
- (4) The Central Government may issue such notifications, orders, directions, or guidelines, to authorised entities as are necessary to establish disaster resilient telecommunication network and facilitate study on the resilience of the telecommunication network, including information related to the resilience of such telecommunication network.

CHAPTER 6: SECURITY CONDITIONS

Part A: General Security Conditions

43. Lawful Interception and Monitoring

- (1) An authorised entity shall, at its own cost provide suitable lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities in accordance with the instructions specified for this purpose by the Central Government.
- (2) An authorised entity shall ensure provision of necessary hardware and software in its lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities to enable the relevant authorised agency to undertake lawful interception and monitoring from a central location, if so, required by the relevant authorised agency.
- (3) An authorised entity shall ensure that the lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities are integrated with the Centralised Monitoring System (CMS) or Internet Monitoring System (IMS), as applicable, prior to the commercial launch of telecommunication services.
- (4) An authorised entity shall, at its own cost, provide appropriately dimensioned bandwidth up to designated points as specified by the Central Government for establishing connectivity to the Centralised Monitoring System.
- (5) The relevant authorised agency may maintain monitoring centre for lawful interception either within its own premises or in the premises of an authorised entity:

Provided that, in cases where the monitoring centre is located at the premises of the relevant authorised agency, such authorised agency shall bear the cost of its end hardware and bandwidth from the location of relevant telecommunication equipment of the telecommunication network of an authorised entity, or any other designated points, as the case may be, to its monitoring centre.

Provided further that in cases where the monitoring centre is located at the premises of an authorised entity, such authorised entity shall extend the support as may be required by the relevant authorised agency, including provision of space and access to the authorised representatives of such authorised agency.

- (6) An authorised entity shall comply with the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, and notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under such rules.
- (7) An authorised entity shall familiarize and train the officers of the Central Government and authorised agencies in respect of relevant operations and features of its lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, as directed from time to time by the Central Government.
- (8) An authorised entity shall provide access to its telecommunication network and other facilities as well as to books of accounts to the relevant authorised agency for the purpose of monitoring traffic.

44. Management of an authorised entity

- (1) An authorised entity shall ensure the following:
 - (a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;
 - (b) The chief officer in charge of telecommunication network, officers in charge of core telecommunication network, and system administrators shall be resident Indian citizens.
 - (c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen;
 - (d) The nodal officers notified under the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, and Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, as well as any other officer dealing with the subject matter of these rules, shall be resident Indian citizens.
- (2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer (CEO) or Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for the duration of such appointment.
- (3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

- (4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding on such authorised entity.

45. Enrolment of users and activation of telecommunication services

- (1) Each authorised entity shall ensure that telecommunication services are provided only subject to verification of the identity of users of such services, as set forth under these rules.
- (2) In respect of telecommunication services notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, an authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning of telecommunication services, and shall re-verify such identity when existing users request updating of telecommunication services, in accordance with the Telecommunications (User Identification) Rules, 2025, and in compliance with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government for user identity verification and re-verification.
- (3) In respect of telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, an authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning of telecommunication services, and shall re-verify such identity when existing users request updating of telecommunication services, through a method of verification as determined by such entity, and in compliance with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government for user identity verification and re-verification.
- (4) An authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information of the user in the form and manner as may be specified by the Central Government for each type of telecommunication service.
- (5) An authorised entity shall, prior to activation of telecommunication service in respect of a user, comply with the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (6) An authorised entity shall take measures to create awareness among users, at regular intervals, about the proper and *bona fide* use of the telecommunication services and telecommunication identifiers.
- (7) An authorised entity shall inform a user that the SIM issued to such user, is non-transferable:

Provided that the SIM may be transferred to the blood relatives or legal heirs of the user in accordance with the Telecommunications (User Identification) Rules, 2025 and as per the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government.

- (8) An authorised entity shall maintain an updated database of its users in the form and manner as may be specified for this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant authorised agency.
 - (9) An authorised entity shall provide the traceable identity of each user pursuant to directions in this regard, to the Central Government or the relevant authorised agency:
- Provided that*, in case of providing roaming services to foreign users, the authorised entity shall endeavour to obtain traceable identity of such users from the relevant telecommunication service provider outside India, as a part of its roaming agreement.
- (10) An authorised entity shall comply with any order or direction under the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, relating to telecommunication services and telecommunication identifiers of users.
 - (11) An authorised entity shall, in addition to the provisions of this rule, also comply with the provisions of rule 46 in respect of business users, and rule 47 in respect of users who are natural persons.

46. Additional conditions for enrolment and activation of telecommunication services for business users

- (1) For the purposes of this rule:
 - (a) “business connection” means one or more connections for a specified type of telecommunication services, provided by one or more authorised entities to a business user.
 - (b) “business user” means a user who:
 - (i) is a company or a partnership or sole proprietorship registered under applicable law; or
 - (ii) possesses a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under applicable law.

- (c) “end user” of a business connection means a user who is a natural person who uses a specified type of telecommunication service provided to a business user.
- (2) An authorised entity shall:
- (a) undertake due diligence and record in writing the reasons provided by the business user for seeking a business connection;
 - (b) prior to provision of any business connection:
 - (i) verify such details and collect such documents, in addition to those required pursuant to rule 45, as may be specified by the Central Government for this purpose;
 - (ii) conduct physical verification of the premises where such business user and business connection is located; and
 - (iii) verify the identity of the authorised representative of the business user, and of each end user, in accordance with the sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 45, as applicable;
 - (c) upon activation of a business connection:
 - (i) inspect, at a minimum of six-monthly intervals, the premises where such connection of the business user is located, to verify the *bona fide* use of the business connections, and maintain and preserve for a minimum period of two years, the record of such inspection, for verification by the Central Government or the relevant authorised agency; and
 - (ii) maintain an updated database of business users, in the form and manner as may be specified for this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant authorised agency.
 - (d) in the event that such business user has ceased to exist, disconnect each of the business connections of such user and update the same in the relevant database in accordance with the applicable rules, as well as notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government:
- Provided that* the Central Government may specify exemptions from applicability of any of the provisions set forth in this sub-rule in respect of specific categories of users or types of telecommunication services.
- (3) Where a business connection involves connection of leased circuit, internet leased line, SIP trunks, PRI lines or SMS gateway links at the premises of a business user, the authorised entity shall, in addition to the provisions of sub-rule (2), also comply with the following:
- (a) prior to activation of telecommunication services, undertake an assessment and record the details of all telecommunication links that are connected with PSTN, NLD, ILD, PLMN, GMPCS networks, other internet leased lines (ILL), as well as other types of telecommunication links as may be available with such business user, along with the reasons provided by the business user for such links;
 - (b) communicate and specify the activities that are prohibited for such business user, in the CAF;
 - (c) inspect the premises of the business user within fifteen days of activation to check misuse or interconnection of ILL with such telecommunication links; and
 - (d) ensure that a diagram of the telecommunication network along with details of telecommunication links at the premises of each user is available with the authorised entity, and provide the same for inspection as may be required by the Central Government or the relevant authorised agency.
- (4) If an authorised entity detects any misuse of any business connection, including leased circuit, internet leased line, SIP trunks, PRI lines or SMS gateway links, during physical inspection or otherwise, it shall immediately disconnect such telecommunication service, and initiate appropriate proceedings under applicable law against such business user, and shall communicate to the Central Government in writing of action taken in this regard within twenty-four hours of detection of such misuse.

47. Additional conditions for enrolment and activation of telecommunication services for natural persons

- (1) Each authorised entity, individually and collectively with other authorised entities, providing specified type of telecommunication services, shall not issue a type of telecommunication service connection for a user who is a natural person, in excess of the threshold number, as may be specified by the Central Government, in respect of a specified type of telecommunication service:

Provided that the Central Government may specify different thresholds applicable for users in different service areas.

- (2) Where a natural person seeks leased circuit, internet leased line, SIP trunks, PRI lines or SMS gateway links, the provisions of sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 46 shall apply *mutatis mutandis*.

48. Data to be located in India

An authorised entity shall not transfer the following information to any person or place outside India:

- (a) Accounting information relating to a user, except for international roaming and billing;

Provided that this shall not restrict any financial disclosure as may be required under these rules or as under applicable law.

- (b) User information, except in respect of information pertaining to: (i) IPLC users, and (ii) foreign users using authorised entity's telecommunication network while roaming.

49. Maintenance of records

- (1) An authorised entity shall:

(a) ensure that all documentation, including software details, are obtained from manufacturer, vendor, or supplier of telecommunication equipment and systems in english language and preserve such documentation;

(b) maintain a record of all software updates and changes, and details of major software updates and changes, as determined by the Central Government, shall be provided to the Central Government within fifteen days of completion of such updates and changes, in the manner as may be specified on the portal for this purpose:

Provided that clause (b) is without prejudice to the obligations of an authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

(c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor, or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same;

(d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual;

(e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or authorised agencies: (i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty four months.

- (2) An authorised entity shall maintain all commercial records, Subscriber Data Record (SDR), Call Data Record (CDR) by any name referred, including Call Detail Record, Exchange Detail Record (EDR), IP Detail Record or IP Data Record (IPDR) and any other similar records for all types of telecommunication services, in the manner as may be specified, for at least two years unless directed otherwise by the Central Government:

Provided that, the Central Government may direct an authorised entity to maintain the records specified in sub-rule (2), for a period longer than two years, in respect of user, as may be identified.

- (3) An authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2), to the Central Government, or the relevant authorised agency, in the manner as may be specified, for this purpose.

50. Domestic traffic not to be routed outside India

An authorised entity shall ensure that domestic traffic is not hauled or routed through any place outside India:

Provided that, usage of satellites and domestic submarine cables for serving domestic traffic without transiting through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India.

51. Securing information transacted through telecommunication network

- (1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information and messages communicated through the telecommunication network is secure and protected.

- (2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place:

Provided that, when an authorised entity provides records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government or authorised agencies, upon receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law, then such records shall be provided in an intelligible format and not in an encrypted manner.

- (3) Without prejudice to the obligations under the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, an authorised entity shall implement appropriate fraud management and prevention system using the latest available technologies, including Big Data Analytics and Artificial Intelligence (AI), to detect misuse of telecommunication resources including clandestine or illegal telecommunications networks, any threat to telecom cyber security, and users obtaining telecommunication services fraudulently, and shall comply with any directions, as may be specified by the Central Government, for this purpose.
- (4) An authorised entity shall, when so required by the Central Government or the relevant authorised agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of misuse of telecommunication resources or establishment of any illegal telecommunication network.
- (5) An authorised entity shall provide the details of all users and telecommunication identifiers detected through such fraud management and prevention system to the Central Government in the form and manner as may be specified on the portal and shall take action including filing of police complaints and First Information Reports against those found involved in such activities.

52. Calling line identification

- (1) An authorised entity shall:
- provide for and maintain facility for ensuring provision of Calling Line Identification (CLI) and ensure that the CLI is not tampered with;
 - present the CLI to users in the manner as may be specified on the portal; and
 - put in place necessary system for identification and prevention of calls with false or tampered or spoofed CLI in their telecommunication network and comply with the directions and standards specified by the Central Government in this regard.
- (2) An authorised entity shall provide the geographical location of any user at a given point of time on request by the Central Government or the relevant authorised agency:
- Provided that*, in case of terrestrial mobile services, location details including latitude and longitude of base transceiver station shall also be provided.
- (3) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network supports malicious call identification.

53. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities

An authorised entity shall ensure that its telecommunication network be used only for providing authorised telecommunication services to bona fide users only and is not used for undertaking any activities, or commissioning any action, that is an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

54. Trusted Sources and Trusted Products

- For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.
- The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
- The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products.
- The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment or associated products can be undertaken.
- An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated authority under sub-rule (2), and use or connect only such products in its telecommunication network.
- An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website

specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.

- (7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with conditions for procurement of telecommunication equipment and associated products, or categories thereof as specified by the designated authority.
- (8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process:
 - (a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
 - (b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
 - (c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and install the same; and
 - (d) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be issued by the designated authority or the Central Government.
- (9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the designated authority.
- (10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency compliance reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.
- (11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities.
- (12) In respect of a licensee, this rule shall be without prejudice to and does not override nor negate the obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the Act:

Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its telecommunication network prior to 15th June 2021;

Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product.

55. Breach of security provisions

- (1) Any civil penalty imposed under these rules for breach of security provisions on the authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law.
- (2) The Central Government may blacklist such vendor or supplier who supplied the telecommunication equipment, including hardware or software, that caused the security breach, from doing business in India.
- (3) An authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with vendors or suppliers.

56. Prohibition of certain activities

- (1) A telecommunication network of an authorised entity established under these rules shall not be used for transmission of:
 - (a) objectionable or obscene or unauthorised message as per applicable law; or
 - (b) any other content or communication or message infringing copyright and intellectual property right in any form.
- (2) An authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of content or communication or message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network immediately upon receipt of any report, order, or direction from the Central Government, or a court order.
- (3) An authorised entity shall facilitate, without any delay, where so required by the Central Government, or the relevant authorised agency, tracing of any messages transmitted through its telecommunication network for purposes of investigation into objectionable, obscene, unauthorised, nuisance, obnoxious or malicious calls, messages, or for detection of crimes, or in the interest of national security:

Provided that any damages arising on account of an authorised entity's failure in this regard shall be payable by such authorised entity.
- (4) An authorised entity shall ensure that its employees, vendors, consultants or any other relevant person having access to the telecommunication network or any information relating to provision of telecommunication services, shall maintain secrecy and confidentiality of any confidential information divulged to, or available with an authorised entity for proper implementation of the authorisation.
- (5) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not become a safety or health hazard and is not in contravention of any law and policy.

57. Providing remote access to the telecommunication network

- (1) An authorised entity may, requiring to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India, seek the permission of the Central Government, in the form and manner specified for this purpose, providing details with regard to:
 - (a) purpose and duration of such remote access and details of the person going who shall access its telecommunication network; and
 - (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.
- (2) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (1), grant written approval subject to the following conditions:
 - (a) the remote access shall be provided only to approved locations within India from approved locations outside India, and shall be limited to the purpose as specified under such approval;
 - (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages, and any other such sensitive data, as may be specified by the Central Government for this purpose.
 - (c) the authorised entity shall provide suitable technical systems as specified by the Central Government, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the relevant authorised agency, to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government.
 - (d) the authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the relevant authorised agency, in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government.
- (3) This rule shall be without prejudice to the obligations of an authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure as specified under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

58. General Security Conditions

- (1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.

- (2) An authorised entity shall provide facilities as may be required by the Central Government to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.
- (3) An authorised entity shall:
 - (a) ensure capability to suspend provision of telecommunication services in areas specified by the Central Government, subject to an accuracy as may be specified by the Central Government in respect of the boundary of the area so specified; and
 - (b) provide any facility as may be required by the Central Government to check the accuracy of the area where an authorised entity has suspended provision of telecommunication services and inspect or monitor user terminal activity within such area.
- (4) An authorised entity shall ensure adherence by all its vendors or suppliers of any directions relating to security of the telecommunication network, including providing access to an authorised entity, the Central Government or the relevant authorised agency, to inspect the hardware, software, design, development, manufacturing facility and supply chains of such vendors or suppliers, for the purpose of conducting security checks and risk assessments at any time during the supply of telecommunication equipment by such vendors or suppliers.
- (5) This rule shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities.

-Part B: Security Conditions in respect of regulation of Point of Sale

59. Applicability of Part B of Chapter 6

Part B of Chapter 6 of these rules shall apply to telecommunication services as may be specified by the Central Government from time to time.

60. Point of Sale

- (1) For the purpose of Part B of Chapter 6 -
 - (a) “employee” means any person employed, or engaged in any manner for any or all of the PoS services, by:
 - (i) the authorised entity, or
 - (ii) an agent, franchisee or distributor of an authorised entity;
 - (b) “Point of Sale” or “PoS” means a person providing PoS services who may be:
 - (i) an agent, franchisee or distributor of an authorised entity; and
 - (ii) an employee as defined under clause (b).

Explanation: Where the PoS is an employee as specified under sub-clause (ii), such employee shall be treated as a distinct PoS.
 - (c) “PoS services” means the services relating to:
 - (i) enrolment of a user for availing of telecommunication services;
 - (ii) updating of telecommunication services;
 - (iii) distribution of SIM or user terminals; and
 - (iv) recharge and other billing activities in respect of telecommunication services.
- (2) A PoS shall be:
 - (a) a company or a partnership or sole proprietorship registered under applicable law; or
 - (b) any person possessing a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under applicable law.

61. Obligations of authorised entity in respect of PoS

- (1) An authorised entity shall register and enter into agreements with each PoS, in accordance with this rule, for the provision of relevant PoS services:

Provided that the authorised entity shall be solely responsible for ensuring compliance with the terms and conditions set forth under these rules, including ensuring adequate verification of user prior to enrolment of such user for telecommunication services;

Provided further that, any action specified under this Part B of Chapter 6, with respect to breach or contravention by a PoS, shall be without prejudice to any action that the Central Government may initiate under the Telecommunications (Adjudication and Appeals) Rules, 2025, against an authorised entity for such breach or contravention.

(2) The authorised entity shall, prior to entering into an agreement with a PoS, register such PoS, in the manner specified below:

- (a) identify each PoS using documents as may be specified by the Central Government for this purpose;
- (b) authenticate the identity of each PoS, using biometrics, in the manner as specified by the Central Government for this purpose;
- (c) undertake physical verification of the addresses of the residence and place of business declared by a PoS, and as and when such information is updated by a PoS, and record the location coordinates of such addresses, during such physical verification; and
- (d) where directed by the Central Government, undertake the process of police verification of a PoS, in the manner and in respect of the service area, as may be specified in such direction.

(3) The authorised entity shall:

- (a) maintain the details of each PoS in the form and manner as specified by the Central Government and ensure updating the contact details or any other information of such PoS, within seven days of any change in such details; and
- (b) share the database containing details as specified in clause (a) with the Central Government or the relevant authorised agency, on a real time basis.

(4) Upon completion of the steps specified under sub-rule (2), the authorised entity shall enter into agreement with each PoS, specifying the terms and conditions of PoS services, including:

- (a) scope and duties of the PoS;
- (b) the process of enrolment of users in conformity with the applicable rules as well as directions, procedures or instructions as may be specified by the Central Government, in case of PoS providing services relating to enrolment of a user for availing or updating of telecommunication services;
- (c) area of operations of the PoS for enrolment and updating of telecommunication services of a user, which shall be limited to the service area of authorisation of the authorised entity;

Provided that where the service area of an authorised entity is the national service area, the area of operation of each PoS shall be limited to a specific geographical area, corresponding to the telecom circle or metro service area, as specified in Schedule B to these Rules;

- (d) inter-se relationship of the PoS with another PoS, if any;
- (e) prohibition of any transfer or assignment of such agreement;
- (f) prohibition of any delegation of duties and obligations of such agreement; and
- (g) consequences for violation of any term or condition of the agreement, including liquidated damages and termination of such agreement.

(5) The authorised entity shall, subsequent to entering into an agreement under sub-rule (4):

- (a) assign a unique PoS ID to each PoS and communicate such ID, in real time, to such PoS and all other such type of authorised entities as specified by the Central Government;

Provided that, each PoS shall be assigned only one unique PoS ID, which shall be common in respect of all authorised entities who have entered into agreements with such PoS;

- (b) develop a mechanism for generation and sharing of such unique PoS IDs, including any such existing IDs, in real time, in a joint collaboration with other authorised entities; and
- (c) maintain and update on a real time basis an online supply chain management system of SIM and specified type of user terminals, as well as details of movement of such SIM and user terminals from

authorised entity to its users, and provide such details when so required by the Central Government or the relevant authorised agency.

- (6) In respect of a PoS providing PoS services limited to recharge and other billing activities, sub-rule (2), sub-rule (4) and sub-rule (5), shall not be mandatory.
- (7) An authorised entity shall use such information technology tools as are necessary to detect and prevent any unusual or suspicious activities on part of either the PoS or the user, which may occur during the registration of PoS, enrolment of users by the PoS, or updating of telecommunication services by the PoS, and inform the details, in the form and manner as may be specified, of such PoS or user to the Central Government.
- (8) An authorised entity shall terminate the agreement with a PoS, and block the unique PoS ID of such PoS, across all authorisation, within twenty-four hours of occurrence of any of the following circumstances:
 - (a) where the authorised entity becomes aware that any information or document provided by the PoS during the process of registration or entering into the agreement, is found to be false or forged;
 - (b) upon any direction for termination received from the Central Government.
- (9) The authorised entity that blocks a unique PoS ID under sub-rule (8) shall:
 - (a) communicate such information to all other authorised entities across all service areas, in real time, and such other authorised entities shall also terminate their respective agreements with such PoS, within twenty-four hours of receipt of such information;
 - (b) ensure that such PoS shall not be able to enrol any user; and
 - (c) re-enrol all users that had been previously enrolled by such PoS during a specified period.
- (10) All relevant authorised entities, in respect of termination under sub-rule (8) and sub-rule (9), shall:
 - (a) submit a report to the Central Government, detailing all actions taken in respect of termination, within three days of such termination; and
 - (b) ensure that no agreement for engagement of such PoS is made for a duration of three years thereafter, across all service areas of authorisation.
- (11) The Central Government may, upon occurrence of any other contravention of these rules on account of actions of a PoS, other than those specified under sub-rule (8), or in the interest of national security, direct the authorised entity to take relevant action against the PoS, including issuing warnings, levying liquidated damages and terminating the services of such PoS.
- (12) An employee of a PoS undertaking PoS services, shall be treated as a distinct PoS, and the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (11) shall apply mutatis mutandis.
- (13) The authorised entity shall implement directions issued under sub-rule (11) and shall bear all liabilities in this regard.
- (14) The authorised entity shall indemnify the Central Government in respect of all claims, costs, charges, or damages that may arise in furtherance of this rule.

CHAPTER 7: SPECIFIC CONDITIONS FOR PROVISION OF TELECOMMUNICATION SERVICES USING SATELLITE SYSTEM

62. Applicability of Chapter 7

This chapter shall apply to an authorised entity providing telecommunication service using satellite networks including non-terrestrial networks and GMPCS networks, and all such authorised entities shall comply with the conditions specified in this chapter, as well as other terms and conditions of such authorisation as provided under these rules.

63. Provision of telecommunication services through satellite systems

- (1) An authorised entity intending to provide telecommunication service using satellite systems, shall apply for permission of the Central Government, in the form and manner, as specified on the portal.
- (2) An authorised entity making an application under sub-rule (1) shall:
 - (a) own the relevant satellite or space segment capacity; or

- (b) enter into an agreement with a space segment provider authorised by the Department of Space or IN-SPACE, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose, for leasing such satellite or space segment capacity; and-
 - (c) ensure that such agreement entered into under clause (b) has a provision obligating the space segment provider to report any incident such as:
 - (i) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and
 - (ii) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide service outside India;
 to the authorised entity and in-turn, the authorised entity shall immediately report such incidents to the Central Government.
- (3) The information along with supporting documents to be provided by an authorised entity in the application made under sub-rule (1) shall include:
- (a) details of the satellite system, the earth station gateway for each such satellite system and the associated telecommunication network, along with their location details;
 - (b) satellite or space segment capacity;
 - (c) where such capacity is leased from a space segment provider, a certified true copy of such agreement; and
 - (d) any other information as may be required by the Central Government.
- (4) The Central Government may, subject to its assessment of the application and security vetting, if required, by the appropriate authority responsible for satellite network clearance, grant permission, subject to terms and conditions as it may specify.
- (5) An authorised entity may use one or more permitted satellite systems, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite system and the associated telecommunication network is located in India.
- (6) An authorised entity shall inform the Central Government of any changes that may occur to the agreements specified under clause (b) of sub-rule (2), and submit the revised copy of such agreement, within fifteen days of such change.
- (7) An authorised entity shall, prior to undertaking any change in the permitted satellite system, including change in frequency band, technology, number of satellites, orbits or any other configuration related to ground and space segments, apply to the Central Government for its prior written approval, in the form and manner as specified on the portal.
- (8) The Central Government may, on assessment of the application under sub-rule (7), grant its written approval to such authorised entity.

Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity permitted to use satellite systems under rule 63 shall comply with the following technical and operating conditions:
 - (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals located in India, shall pass through an authorised entity's satellite earth station gateway and associated telecommunication network located in India;
 - (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India either directly or through inter satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway in India or as part of telecommunication network optimization;
 - (c) ensure that the user traffic shall not be mirrored by an authorised entity to any satellite system or server located outside India through inter satellite communication links or through any other means;
 - (d) provide real time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clause (a) to (c) above;
 - (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the user traffic through satellite earth station gateway;
 - (f) provide details relating to frequency plan to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, and operate the satellite network as per the frequency plan approved by the

Central Government;

- (g) provide to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, self-certified details of the antenna parameters along with radiation pattern results, for validation of the same;
- (h) provide any information of and conduct tests, for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation; and
- (i) the VSAT or any other FSS terminal used for providing backhaul link to a base station or connectivity to an internet node or any other telecommunication equipment, shall be located in the service area of an authorised entity having such base station or internet node or any other telecommunication equipment:

Provided that, the corresponding satellite earth station gateway may be located anywhere in India and the connecting link from this satellite earth station gateway to the core telecommunication network of such authorised entity using such backhaul link or connectivity may be established as per the applicable rules.

- (2) An authorised entity may, subject to the prior written approval of the Central Government, for which an application may be submitted in the form and manner, and subject to such terms and conditions, as may be specified on the portal:
 - (a) use its satellite earth station gateway established in India for providing telecommunication services to users located outside India, subject to: (i) obtaining all clearances (by whatever name called) as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, and (ii) compliance with such directions as the Central Government may issue, from time to time; or
 - (b) enter into arrangements with entities providing telecommunication services, in areas outside India, after obtaining all clearances (by whatever name called) as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, for enabling use of the authorised entity's satellite earth station gateway established in India for uplink and downlink of signals to and from satellites, subject to compliance with such directions as the Central Government may issue, from time to time.
- (3) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under sub-rule (2), and security vetting, if required, by the appropriate authority responsible for satellite network clearance, grant permission as requested by the authorised entity, subject to terms and conditions as it may specify, including the following:
 - (a) the telecommunication traffic between the satellite earth station gateway established in India and foreign telecommunication network, serving the users located outside national service area, shall be confined to only the equipment comprising the satellite earth station gateway, and shall not to be transmitted into or received from a telecommunication network or user terminal located in India; and
 - (b) the telecommunication traffic between the satellite earth station gateway established in India and foreign telecommunication network, serving the users located outside national service area, shall be routed through authorised ILD gateway.
- (4) The authorised entity shall indemnify the Central Government against any and all claims that may arise from the implementation of the arrangements covered under sub-rule (2).

65. Rollout Obligations

- (1) An authorised entity, for provision of telecommunication service, may either establish its own satellite earth station gateway or use the satellite earth station gateway established by other authorised entities that are eligible for sharing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisations.
- (2) An authorised entity shall rollout the telecommunication network using satellite systems and assigned spectrum, within twelve months from the date of assignment of such spectrum, as required for providing telecommunication services to users.
- (3) An authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be specified, for verification of the compliance of rollout obligations, as per the test schedule test procedure (TSTP) specified by the Central Government.
- (4) On successful verification under sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be

treated as the date of compliance of the rollout obligations.

- (5) In case of failure upon verification under sub-rule (3), an authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.

- (6) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025:

Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.

- (7) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for satellite systems, may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.

66. Security conditions

- (1) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway, user terminals and associated telecommunication network, shall be located in India.
- (2) An authorised entity shall ensure that the permitted satellite systems be used for providing telecommunication services for which it has been authorised and such satellite systems are not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may jeopardize the sovereignty and security of India.
- (3) An authorised entity shall ensure that in addition to the Target Intercept List (TIL) based interception and monitoring, geographic location-based interception and monitoring is also possible.
- (4) An authorised entity shall ensure that a user, registered outside India and using a user terminal of the permitted satellite system, shall register such user terminal with the authorised entity when operating in India.
- (5) An authorised entity shall ensure that any access to its telecommunication services to users shall be provided only after registering their user terminals on Equipment Identity Register (EIR) of the authorised entity:

Provided that a user terminal, brought from outside India, shall be registered on such EIR only after verifying the customs clearance obtained by the user in respect of such user terminal.

- (6) An authorised entity shall monitor the access to and use of its satellite system, and immediately report to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, any occurrence of an attempt to access and operate a user terminal not registered under sub-rule (5), along with the information about such user terminal and its location.
- (7) The Central Government may separately notify suitable mechanism for online co-ordination on a regular basis between the air, land and sea customs and an authorised entity for exchange of information in respect of user terminals of satellite systems legally brought into the country which would facilitate the authorised entity in identification and segregation of user terminals of satellite systems clandestinely brought into India, to prevent their access to the satellite system.
- (8) An authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite systems within India, in the manner as specified by the Central Government or the relevant authorised agency, and shall upon directions by the Central Government, provide details relating to the identity and location of such user terminals.
- (9) An authorised entity shall ensure that no location spoofing device, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals and put in place a mechanism for identification and reporting of any such device in its telecommunication network.
- (10) An authorised entity shall bind stationary type Fixed Satellite Service (FSS) user terminals to the geo-location of the premises of the user, including in respect of any relocation.
- (11) An authorised entity shall ensure that no user relocates the stationary type FSS user terminal except with the prior written approval from such authorised entity.
- (12) An authorised entity shall discontinue the provision of telecommunication services to a user who attempts to, or relocates its FSS user terminal, without its prior written approval.
- (13) An authorised entity shall ensure that the telecommunication services of any user terminal, either in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the areas restricted under sub-rule (2)

of rule 38.

- (14) An authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines issued by the Central Government in respect of provision of Indian navigation satellite system-based positioning system in its user terminals.
- (15) An authorised entity shall develop and submit to the Central Government, in the manner as may be specified, a time-bound action plan aiming to achieve, within a period of five years from the date of commercial launch of services, indigenisation and procurement of at least twenty per cent of the value of the goods, required for the ground segment of satellite network, from India.
- (16) An authorised entity shall submit annual implementation plans pursuant to the action plan specified under sub-rule (15).

CHAPTER 8: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION SERVICES

67. Applicability of Chapter 8

- (1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 7, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to an authorised entity providing specific telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.
- (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 7 and Chapter 8, the provisions of Chapter 8 shall prevail.

Part A: Unified Service Authorisation

67. Scope of Unified Service Authorisation

- (1) The provisions of this Part A shall apply to authorised entities holding unified service authorisations.
- (2) The scope of unified service authorisation for NSO comprises the scope of:
 - (a) access service authorisation for NSO;
 - (b) internet service authorisation for NSO; and
 - (c) long distance service authorisation for NSO.
- (3) The scope of unified service authorisation for VNO comprises the scope of:
 - (a) access service authorisation for VNO
 - (b) internet service authorisation for VNO; and
 - (c) long distance service authorisation for VNO.
- (4) An authorised entity holding a unified service authorisation may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks including non-terrestrial networks and GMPCS networks, or submarine networks.
- (5) The specific terms and conditions specified under these rules for access service authorisation, internet service authorisation and long-distance service authorisation, shall be applicable for providing the respective telecommunication services under the unified service authorisation, unless specified otherwise for unified service in this Part A of Chapter 8.
- (6) An authorised entity holding a unified service authorisation, shall only provide services under the scope of its authorisation, and not any other service(s) which requires a separate authorisation from the Central Government.

69. Financial Conditions

Notwithstanding the financial conditions mentioned in Chapter 4 of these rules, for arriving at Gross Revenue, ApGR, and AGR, an authorised entity shall draw, maintain and furnish separate accounts for each telecom circle or metro service area level and shall comply with notifications, orders, directions, guidelines, and regulations as may be specified by the Central Government or TRAI, in this regard.

70. Technical and operating conditions

- (1) A NSO may interconnect its telecommunication network with the telecommunication network of any other NSO for handing over the telecommunication traffic at any mutually agreed location, failing

which, the interconnection shall take place at the point of interconnection, as specified in TRAI's regulations on interconnection.

- (2) An authorised entity may deploy any of its telecommunication equipment anywhere in India:

Provided that an authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities in the respective State or Union Territories for meeting the requirements specified under the security conditions.

- (3) An authorised entity shall ensure that the connectivity to disaster management platform and Public Safety Answering Point (PSAP) is made available at the State or Union Territory level and follow the instructions issued by the Central Government in this regard.
- (4) An authorised entity shall have complete flexibility to carry its own traffic within its national service area.
- (5) The Central Government shall assign telecommunication identifiers to the authorised entity in accordance with the rules as may be prescribed under sub-section (8) of section 3 of the Act and National Numbering Plan (NNP) as specified on the portal.

71. Security conditions

An authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities in the respective State and Union Territories for meeting the requirement of relevant security conditions.

72. VNO authorised to provide unified service

A VNO authorised to provide unified service shall follow the terms and conditions of the unified service authorisation along with the following specific conditions:

- (a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to connect its network to its parent NSO's network and provide the details of such agreements to the Central Government, and update any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal.
- (b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent NSO.
- (c) the other conditions as applicable to VNO for access service, VNO for internet service and VNO for long distance service shall also be applicable to the VNO for unified service for providing the respective telecommunication services.

Part B: Access Service Authorisation

73. Scope of Access Service Authorisation

- (1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding access service authorisation.

- (2) The scope of access service authorisation for NSO comprises of the following:

- (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
- (b) scope of the internet service authorisation;
- (c) scope of the enterprise communication service authorisation, as specified under the rules for miscellaneous telecommunication services;
- (d) internet telephony service;
- (e) intra-circle long distance calls; and
- (f) Captive Non-Public Network (CNPN) as a telecommunication service.

- (3) The scope of access service authorisation for VNO comprises of the following:

- (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
- (b) scope of the internet service authorisation for VNO;
- (c) scope of the enterprise communication service authorisation, as specified under the rules for miscellaneous telecommunication services;

- (d) internet telephony service; and
 - (e) intra-circle long distance calls.
- (4) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3) to users over:
- (a) mobile terminals;
 - (b) fixed wireline access terminals;
 - (c) fixed wireless access terminals;
 - (d) FSS (Fixed Satellite Service) terminals including VSAT (Very Small Aperture Terminal) and Earth Station in Motion terminals;
 - (e) MSS (Mobile Satellite Service) terminals;
 - (f) machines including IoT devices and sensor type terminals;
 - (g) routers or switches; or
 - (h) any other type of terminal as specified on the portal, for this purpose.
- (5) An authorised entity holding an access service authorisation may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks including non-terrestrial networks and GMPCS network, or submarine networks.
- (6) The scope of the wireline access service authorisation for VNO shall be restricted to the scope of the access service authorisation for VNO using the wireline access network, and such authorised entity may provide the telecommunication services to users over fixed wireline access terminals only.
- (7) An authorised entity holding an access service authorisation, shall only provide services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which may require a separate authorisation from the Central Government.
- (8) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for limited internet telephony, and enterprise communication service authorisation under the rules for miscellaneous telecommunication services, shall be applicable for providing the respective telecommunication services under the access service authorisation, unless specified otherwise for access service in this Part B of Chapter 8.

74. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity shall comply with the following technical conditions:
- (a) An authorised entity's telecommunication network shall be compliant with the regulations on Mobile Number Portability (MNP) as well as notifications, orders, directions, or guidelines, issued by TRAI or the Central Government, before commencement of telecommunication services;
 - (b) Inter-circle traffic from one service area to another shall be routed through the telecommunication network of authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide national long distance (NLD) service;
 - (c) A NSO shall interconnect and provide interconnection, to the telecommunication network of all eligible authorised entities or licensees, as per applicable TRAI regulations, to ensure that the calls are completed to all destinations;
 - (d) International long distance (ILD) traffic shall be routed through the telecommunication network of an authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide national long distance (NLD) service to the ILD gateway for onward transmission to international networks

subject to compliance with any notifications, orders, directions, guidelines, or regulations issued by the Central Government or TRAI in this regard:

Provided that, an authorised entity shall not refuse to interconnect its telecommunication network directly with the ILD gateway, in situations where Point of Presence (PoP) of authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide ILD service and PoP of an authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide access service, are located at the same station.

- (e) An authorised entity shall enrol users only for such telecommunication services which are offered in its telecommunication network, using the spectrum held and technology deployed by the authorised entity.
 - (f) An authorised entity shall assign telecommunication identifiers to its users in accordance with the rules as may be prescribed under sub-section (8) of section 3 of the Act and National Numbering Plan (NNP) as specified on the portal.
 - (2) An authorised entity may deploy any of its telecommunication equipment anywhere within its service areas of authorisations, subject to the points of interconnection, located and operated in the respective service areas of authorisations, for inter-operator calls and inter-service area long distance calls, meeting the security conditions as specified in these rules.
 - (3) A NSO holding access service authorisation may enter into mutual agreements for roaming facilities with other NSO's providing telecommunication services:
- Provided that* any such agreement for roaming shall not authorise an authorised entity to enrol users for such type of telecommunication services or technologies which are not offered in its home telecommunication network.
- (4) A NSO holding access service authorisation may also enter into mutual agreements with telecommunication service providers outside India to provide roaming facility to its users, unless otherwise directed by the Central Government.
 - (5) An authorised entity may provide Captive Non-Public Network (CNPN) as a telecommunication service to user by using its telecommunication network including through telecommunication network slicing.
 - (6) An authorised entity may establish isolated CNPN for users, using access spectrum assigned to it:

Provided that while establishing such isolated CNPNs, an authorised entity shall ensure that the applicable QoS standards through public telecommunication network are maintained.

- (7) In case an authorised entity decides to surrender the spectrum, which is being used for CNPNs, it shall give notice of such surrender, at least six months before the effective date of surrender of such spectrum, to its CNPN users.
- (8) An authorised entity may carry intra-circle long distance traffic on its telecommunication network or may enter into mutual agreements with the entities having authorisation to provide access service or long distance service, for carrying its intra-circle long distance traffic.
- (9) Where an authorised entity has separate authorisations for access service and internet service in a common geographical area, the authorised entity shall declare to the Central Government, prior to commencement of telecommunication service, the type of authorisation, under which such services shall be provided by such authorised entity.

Illustration: If A, an authorised entity having authorisation to provide internet services in national service area, obtains access service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide internet services under access service authorisation or internet service authorisation.

- (10) An authorised entity shall provide, independently or through mutual agreements entered into with other authorised entities, all public utility services as well as emergency services, including toll-free services like PSAP, police, fire, ambulance.
- (11) The Central Government may declare any public utility or emergency number as toll free service from time to time.
- (12) While providing access to public utility services, emergency services, emergency response services, services for relief and rescue on occurrence of disaster, an authorised entity shall take all measures to ensure that messages are delivered to the designated control room of the concerned authority, as specified by the Central Government in this regard.

(13) For provision of internet telephony service under this authorisation, the following conditions shall be applicable:

- (a) A NSO may interconnect its internet telephony network with PSTN, PLMN, or GMPCS network;
- (b) Internet telephony services may be provided to users having fixed or mobile user terminals;
- (c) While providing internet telephony services to mobile and fixed terminal users, an authorised entity shall assign the telecommunication identifiers allocated for mobile services and fixed services, respectively;
- (d) An authorised entity may allocate the same telecommunication identifier for mobile service and mobile internet telephony service, to a user;
- (e) An authorised entity may allocate the same telecommunication identifier for fixed service and fixed internet telephony service, to a user;
- (f) An authorised entity shall use private ENUM (E.164 Number to Uniform resource identifier Mapping) in its telecommunication network for telephone number mapping from E.164 to SIP/H.323 addresses and vice versa;
- (g) IP address assigned to a user for internet telephony shall conform to the IP addressing Scheme of Internet Assigned Numbers Authority (IANA) and the details of such IP addresses shall be submitted to the Central Government, in the form and manner, as may be specified;
- (h) Internet telephony calls originated by international out-roamers from international locations shall be handed over at the international long distance (ILD) gateway of authorised entity providing ILD service and international termination charges shall be paid to the terminating entity having authorisation to provide access service:
Provided that where an authorised entity is not able to ensure that the internet telephony call originated outside India is routed through ILD gateway, it shall cease provision of international out-roaming facility to its internet telephony users;
- (i) The public IP address used for originating or terminating internet telephony calls shall be made a mandatory part of call data record (CDR) in case of internet telephony and the location details in the form of latitude and longitude shall be provided, wherever feasible;
- (j) CLI restriction (CLIR) facility shall not be provided for internet telephony users;
- (k) An authorised entity providing internet telephony service may facilitate access to emergency number calls as specified in the National Numbering Plan, using location services, however, it is not mandated to provide such services and the users shall be informed about the limitation of providing access to emergency services, to internet telephony users, in unambiguous terms;
- (l) An authorised entity shall inform its users of QoS parameter supported by it in respect of internet telephony; and
- (m) An authorised entity providing internet telephony service shall comply with all the interception and monitoring related requirements as specified in these rules.

75. Security conditions

- (1) An authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities in the respective State and Union Territories for meeting the relevant security conditions.
- (2) An authorised entity shall implement the interface requirements as well as features and facilities, for all types of telecommunication traffic, for lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, as specified by the Central Government, and shall ensure:
 - (a) suitable redundancy in the complete chain of lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities for trouble free monitoring of simultaneous calls, as specified by the Central Government; and
 - (b) each relevant telecommunication equipment of an authorised entity shall have the capacity for provisioning the minimum number of telecommunication identifiers for monitoring, as specified by the Central Government.

- (3) An authorised entity shall make arrangements for monitoring of telecommunication traffic, including simultaneous calls, in the relevant telecommunication equipment of its telecommunication network, to enable monitoring by authorised agencies, and also supply call related information (CRI), in the form and manner as may be specified for this purpose, which shall include the following:
- (a) called and calling party telecommunication identifiers, including when user is roaming;
 - (b) time, date and duration of call;
 - (c) location of target user, providing the details in sub-rule (5);
 - (d) co-ordinates and name of base station site;
 - (e) telecommunication identifiers, if any call-forwarding feature has been invoked by target user;
 - (f) data records for failed call attempts; and
 - (g) call data records of roaming users.
- (4) An authorised entity shall, upon receiving a request from the relevant authorised agency, provide the CDRs of all specified calls handled by its telecommunication network, at specified periodicity, in the form and manner, as may be specified, for this purpose.
- (5) An authorised entity shall ensure facility to provide location details of mobile users with accuracy as specified by the Central Government, and such details shall be a part of call data record in the form of longitude and latitude, along with the co-ordinates of the base station site.
- (6) An authorised entity providing access services shall maintain Local International Out Roamer (LIOR) repository which shall be updated on real time basis with telecommunication identifiers of its users, who are on international roaming.
- (7) An authorised entity shall update the Central International Out Roamer (CIOR) system on real time basis and abide by the instructions issued by the Central Government in this regard.
- (8) An authorised entity shall not provide CLIR restriction (CLIR) facility to users except in accordance with the standard operating procedure issued by the Central Government in this regard.
- (9) An authorised entity shall list its users having CLIR facility, on a password protected website with their complete address and details, and shall enable access to such website, as may be required, to the Central Government or authorised agencies.
- (10) While providing CLIR facility to users, an authorised entity shall ensure that the CLIR is carried from end to end on the telecommunication network:
Provided that CLIR facility shall not be provided in case of business connections, call centres, or telemarketing services.
- (11) An authorised entity shall ensure that the SIM personalization is carried out as per the notifications, orders, directions, or guidelines, specified by the Central Government for this purpose.

76. VNO authorised to provide Access Service

A VNO authorised to provide access service shall follow the terms and conditions of access service authorisation along with the following specific conditions:

- (a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to connect its network to its parent NSO's network and provide the details of such agreements, and update any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal.
- (b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent NSO;
- (c) the VNO shall not integrate the telecommunication networks obtained from different NSOs for routing of traffic from one NSO to another NSO;
- (d) the VNO shall obtain from its parent NSO a range of telecommunication identifiers from the telecommunication identifiers allocated to its parent NSO by the Central Government:

Provided that, VNO may obtain location routing numbers from the Central Government.

- (e) the VNO shall not be assigned any spectrum however, such VNO may establish its radio access network as per the mutual agreement with its parent NSO, utilising backhaul spectrum and access spectrum of its parent NSO.
- (f) the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network and telecommunication services.
- (g) the specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation for VNO except for limited internet telephony, and enterprise communication service authorisation under the rules for miscellaneous telecommunication services, shall be applicable for providing the respective telecommunication services under the access service authorisation for VNO, unless specified otherwise for VNO authorised to provide access service in this Part B of Chapter 8.

77. VNO authorised to provide Wireline Access Service

The VNO having Wireline Access Service authorisation shall follow the relevant terms and conditions as applicable for provision of wireline access services.

Part C: Internet Service Authorisation

78. Scope of Internet Service authorisation

- (1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding internet service authorisation.
- (2) The scope of internet service authorisation for NSO comprises of the following:
 - (a) Internet service;
 - (b) Limited internet telephony service through public internet using Personal Computers (PC) or IP based Customer Premises Equipment (CPE) connecting only the following:
 - (i) PC to PC, within or outside India;
 - (ii) PC, device, or adapter, conforming to notified standards, in India to Public Switched Telecommunication Network (PSTN) or Public Land Mobile Network (PLMN) user terminals outside India; and
 - (iii) Any PC, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static Internet Protocol (IP) address to similar PC, device, or adapter, within or outside India.
 - (c) Domestic Leased circuit;
 - (d) Internet Lease Line (ILL);
 - (e) M2M service;
 - (f) Internet Protocol Television (IPTV) service; and
 - (g) Scope of IFMC service authorisation, limited to Internet service, under the rules for miscellaneous telecommunication services.
- (3) The scope of internet service authorisation for VNO shall comprises of the following:
 - (a) Internet service;
 - (b) Limited internet telephony service through public internet using Personal Computers (PC) or IP based Customer Premises Equipment (CPE) connecting only the following:
 - (i) PC to PC, within or outside India;
 - (ii) PC, device, or adapter, conforming to notified standards, in India to Public Switched Telecommunication Network (PSTN) or Public Land Mobile Network (PLMN) user terminals outside India; and
 - (iii) Any PC, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static Internet Protocol (IP) address to similar PC, device, or adapter, within or outside India.

- (c) Domestic Leased circuit;
 - (d) Internet Leased Line (ILL);
 - (e) M2M service; and
 - (f) Internet Protocol Television (IPTV) service.
- (4) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3) to fixed users over:
- (a) fixed wireline access terminals;
 - (b) fixed wireless access terminals;
 - (c) FSS (Fixed Satellite Service) terminals including VSAT (Very Small Aperture Terminal) and Earth Station in Motion terminals;
 - (d) machines including IoT devices and sensor type terminals;
 - (e) routers or switches; or
 - (f) any other type of terminal as specified on the portal, for this purpose.
- (5) A NSO may provide:
- (a) bandwidth to other authorised entities or licensees for connecting their telecommunication network equipment, including backhaul connectivity; and
 - (b) internet bandwidth to another authorised entity or licensee, authorised to provide internet service.
- (6) An authorised entity may provide M2M service to another authorised entity or licensee, authorised to provide M2M communication services under applicable rules.
- (7) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2), sub-rule (3), sub-rule (5), or sub-rule (6), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks, or submarine networks.
- (8) A NSO may establish, operate, maintain or expand the Internet Exchange Point (IXP) to provide the authorised telecommunication services.
- (9) A NSO seeking to establish, operate, maintain or expand the International Internet Gateway (IIG) to provide authorised telecommunication services, shall apply to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal and shall obtain separate security clearances in this regard.
- (10) The Central Government may, on assessment of the application under sub-rule (9), grant a written approval to such NSO.
- (11) An authorised entity with International Internet Gateway may sell International Internet bandwidth to other NSOs providing internet service.
- (12) An authorised entity may establish, operate, maintain or expand Low Power Wide Area Network (LPWAN) or an equivalent network using spectrum exempted from the requirement of assignment under sub-section (6) or sub-section (7) of section 4 of the Act, for providing M2M service using wireless terrestrial networks.
- (13) An authorised entity holding an internet service authorisation, shall only provide services authorised under the scope of its authorisation, and not any other service(s) which may require a separate authorisation from the Central Government.
- (14) The terms and conditions specified under the rules applicable for miscellaneous telecommunication services, as applicable for M2M service or IFMC service authorisations, shall be applicable for providing M2M service or IFMC service under the internet service authorisation, unless specified otherwise for internet service in this Part C of Chapter 8.

79. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity holding internet service authorisation shall comply with the technical and operating conditions set forth under this rule.
- (2) An authorised entity may establish interconnectivity or peering with the telecommunication network of other authorised entities or licensees to provide internet services, and the resources required for

interconnecting or peering an authorised entity's telecommunication network to the telecommunication network of other authorised entities or licensee shall be as mutually agreed between such entities.

- (3) For provisioning of IPTV services, an authorised entity shall comply with the rules, notifications, orders, directions, or guidelines specified by the Central Government, for this purpose.
- (4) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network is not connected with telecommunications network pertaining to access service such as PSTN, PLMN, or GMPCS networks in India.
- (5) Voice communication through limited internet telephony to and from a telephone connected to PSTN or PLMN or GMPCS network in India, and use of E.164 numbering plan of the International Telecommunications Union for limited internet telephony are not permissible under the internet service authorisation.
- (6) An authorised entity shall ensure that:
 - (a) the addressing scheme for limited internet telephony is in compliance with the IP addressing Scheme of Internet Assigned Numbers Authority (IANA), and
 - (b) translation of E.164 number or private number to IP address allotted to any telecommunication equipment or vice versa is not undertaken.
- (7) An authorised entity shall obtain IP addresses, domain name or any other relevant requirements for the provision of internet services, from authorised internet registries directly and the details of such IP addresses shall be submitted to the Central Government, in the form and manner, as may be specified.
- (8) In case the authorised entity provides internet service using spectrum which has been exempted from the requirements of assignment under the Act, the authorised entity shall comply with the notifications, orders, directions or guidelines, as may be issued by Central Government from time to time in this regard.
- (9) An authorised entity shall provide unrestricted access to all the content available on the internet to its users except for such content which is restricted by the Central Government.
- (10) An authorised entity shall not:
 - (a) engage in any discriminatory treatment of content, including based on the sender or receiver, or based on the protocols being used or the user terminal; and
 - (b) enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name called, with any person that has the effect of discriminatory treatment of content;
- (11) Notwithstanding sub-rule (10), an authorised entity may:
 - (a) provide specialised services subject to the following conditions:
 - (i) the specialised services are not usable or offered as a replacement for internet service; and
 - (ii) the provision of such specialised services is not detrimental to the availability and overall quality of internet service.
 - (b) adopt any measure falling under any of the following categories that are proportionate, transient and transparent in nature:
 - (i) reasonable traffic management practices as may be specified by the Central Government;
 - (ii) provision of emergency services or any other services as may be required during any public emergency, as per the processes specified by the Central Government or TRAI;
 - (iii) implementation of any order of a court or direction issued by the Central Government, in accordance with law;
 - (iv) measures for preserving the integrity and security of the telecommunication network and telecommunication equipment; and
 - (v) appropriate measures in pursuance of an international treaty, as may be specified by the Central Government for this purpose.

Explanation: For the purpose of this provision:

- (a) "content" shall include all content, applications, services and any other data, including its end-point

information, which can be accessed or transmitted over the internet.

- (b) “discriminatory treatment” shall include any form of discrimination, restriction or interference in the treatment of content, including practices like blocking, degrading, slowing down or granting preferential speeds or treatment to any content;
- (c) “specialised services” shall mean services other than internet access services that are optimised for specific content, protocols or user equipment, where the optimisation is necessary in order to meet specific quality of service requirements;

80. Security conditions

- (1) An authorised entity shall ensure that the ILL users maintain the usage details of IP addresses or network address translation (NAT) syslog, in case of multiple users on the same ILL, for a minimum period of two years.
- (2) An authorised entity shall ensure compliance with the requirement in sub-rule (1) by requiring the ILL users to submit periodic reports or take any such other measure as necessary for compliance of this requirement, and in case of non-compliance with the reporting requirement, such authorised entity shall withdraw the service from such ILL user.
- (3) An authorised entity shall ensure that another authorised entity requesting upstream internet bandwidth to serve its own downstream users has a valid authorisation for internet service.
- (4) An authorised entity shall, in the interest of national security or public interest, block internet sites, uniform resource locators (URLs), uniform resource identifiers (URIs) or individual users, as identified and directed by the Central Government.
- (5) The traffic of internet nodes, in places of security importance as specified by the Central Government, shall be segregated and routed as per directions issued from time to time by the Central Government for this purpose.
- (6) An authorised entity shall, for the purpose of interception and monitoring of traffic, provide the copies of all the packets originating from or terminating into the customer premises equipment (CPE) including M2M device to the Central Government or its authorised agencies as required.
- (7) An authorised entity shall set up lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities of requisite capacities for internet traffic including internet telephony traffic through its Internet Gateways and internet nodes at its own cost, as per the requirement of the Central Government or its authorised agencies, as specified.
- (8) An authorised entity shall bear the cost of maintenance of establishment and maintenance of the monitoring telecommunication equipment and infrastructure located at the premises of such authorised entity.
- (9) An authorised entity, providing internet bandwidth to another authorised entity or licensee authorised to provide internet services, shall ensure that it has the capability in its telecommunication network, to monitor all the telecommunication traffic of such downstream authorised entity or licensee.
- (10) The Central Government may direct an authorised entity to install lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities at such nodes which have upstream bandwidth from multiple authorised entities, in the manner as may be specified by the Central Government:
Provided that in such cases, authorised entities providing such upstream internet bandwidth may not be required to monitor this bandwidth.
- (11) In case an authorised entity has multiple nodes or points of presence and has capability to monitor the traffic at all the internet nodes from a centralised monitoring location, the Central Government may accept to monitor the traffic from the said centralised monitoring location:
Provided that such authorised entity is able to demonstrate to the Central Government or authorised agencies that all internet nodes are accessible from the centralised monitoring location.
- (12) An authorised entity shall inform to the Central Government, on such periodicity as may be specified by the Central Government, of every change that takes place in topology or configuration of the telecommunication network and ensure that such change does not make any internet nodes inaccessible from the centralised monitoring location.
- (13) An authorised entity shall demonstrate its capability of monitoring, to the Central Government, if so required, upon making any change as specified in sub-rule (12), in the telecommunication network.

- (14) An authorised entity shall, at its own cost, provide space of a specified area, at each monitoring system location, with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning which shall be physically secured and accessible only to the authorised agencies.
- (15) An authorised entity shall ensure that Domain Name System (DNS) used for address resolution shall be located in India.
- (16) An authorised entity shall provide the details of IP addresses used in its telecommunication network, in the form and manner as may be specified by the Central Government.

81. VNO authorised to provide Internet Service

A VNO authorised to provide internet service shall follow the terms and conditions of the internet service authorisation, as applicable, along with the following specific conditions:

- (a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to connect its network to its parent NSO's network and provide the details of such agreements, and update any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal.
- (b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent NSO.
- (c) the VNO may obtain IP addresses, domain names and any other relevant requirements either from its NSO or authorised internet registries, and it may get the IP addresses, obtained from authorised internet registries, configured in the telecommunication network of its parent NSO(s) and the details of such IP addresses shall be submitted to the Central Government, in the form and manner, as may be specified.
- (d) the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network and telecommunication services.
- (e) the VNO having connectivity from multiple NSOs may be required to install lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, as specified by the Central Government, and in such cases, the authorised entities providing upstream bandwidth may not be required to monitor such internet bandwidth.
- (f) the VNO may provide domestic leased circuit to its users by:
 - (i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent NSO; or
 - (ii) using the telecommunication network of its parent NSO.

Part D: Long Distance Service Authorisation

82. Scope of Long Distance Service Authorisation

- (1) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding long distance service authorisation.
- (2) The scope of long distance service authorisation for NSO comprises the following:
 - (a) National Long Distance (NLD) service comprising the following:
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
 - (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls;
 - (iii) domestic leased circuit; and
 - (iv) domestic calling card.
 - (b) International Long Distance (ILD) service comprising the following:
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
 - (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
 - (iii) International Private leased Circuit (IPLC); and
 - (iv) international calling card.
- (3) The scope of long distance service authorisation for VNO shall comprise the following:

- (a) National Long Distance (NLD) service of following types:
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
 - (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls;
 - (iii) domestic leased circuit; and
 - (iv) domestic calling card.
 - (b) International Long Distance (ILD) service of the following types:
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
 - (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
 - (iii) International Private Leased Circuit (IPLC); and
 - (iv) international calling card.
- (4) A NSO may provide:
- (a) domestic bandwidth on lease to other authorised entities or licensees who are permitted to have such connectivity under their respective authorisation; and
 - (b) international bandwidth on lease to other authorised entities or licensees who are permitted to have such connectivity under their respective authorisation.
- (5) A NSO may establish, operate, maintain or expand the cable landing station (CLS) or cable landing station - point of presence (CLS-PoP) after obtaining requisite security clearance and prior written approval from the Central Government, for domestic and international submarine cable systems, to provide telecommunication services.
- (6) A NSO may establish, operate, maintain or expand the international long distance (ILD) gateway or international internet gateway (IIG), after obtaining requisite security clearance and prior written approval from the Central Government, to provide telecommunication services.
- (7) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks, or submarine networks.
- (8) An authorised entity may access the users directly for provisioning of domestic leased circuit, domestic calling cards, International Private Leased Circuit (IPLC), or international calling card.
- (9) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other service which may require a separate authorisation from the Central Government.

83. Technical and Operating Conditions

- (1) An authorised entity's telecommunication network shall be compliant with the regulations in respect of mobile number portability (MNP), notifications, orders, directions and guidelines, as issued by TRAI or the Central Government, before commencement of telecommunication services.
- (2) An authorised entity shall ensure that international long distance traffic shall be routed through the ILD gateway for transmission to and from international telecommunication networks outside India, in compliance with notifications, orders, directions, guidelines or regulations, as may be specified by the Central Government or TRAI, for this purpose.
- (3) An authorised entity shall not refuse to interconnect its telecommunication network directly with the PoP of an authorised entity or licensee having authorisation for access service, where PoP of such authorised entity having authorisation for ILD service and PoP of such authorised entity or licensee having authorisation for access service are located at the same station.
- (4) For provision of calling cards services, the terms and conditions of interconnection shall be mutually agreed between the authorised entities or licensees within the framework of and in accordance with notifications, orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by TRAI or the Central Government, for this purpose.
- (5) For the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic, it shall be mandatory for the authorised entities or licensees authorised to provide access service to provide interconnection to the authorised entities or licensees authorised to provide national long distance service.

- (6) Inter-circle bearer telecommunication traffic shall be handed or taken over at the PoP of an authorised entity, situated in originating or terminating telecom circle or metro service area, in conformity with the regulations of TRAI.
- (7) For intra-circle bearer telecommunication traffic, an authorised entity may make arrangements under mutually agreed terms and conditions with the concerned authorised entity providing access service for picking up, carriage and delivery of telecommunication traffic within a telecom circle or metro service area.
- (8) An authorised entity shall ensure the carriage of all types of bearer telecommunication traffic so that end-to-end telecommunication services may be provided by the authorised entities providing access services to the users.
- (9) An authorised entity, for providing international long distance services, shall establish ILD gateway along with requisite lawful interception and monitoring facilities, with the prior written approval and requisite security clearances from the Central Government obtained pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal:

Provided that such approval shall be given after successful completion of testing and inspection of the lawful interception and monitoring facilities.

- (10) An authorised entity shall ensure that all types of ILD traffic originating from or terminating on telecommunication networks in India passes only through ILD gateway established pursuant to written approval and requisite security clearances under sub-rule (9).
- (11) While entering into an agreement or arrangement with foreign carriers, for provision of end-to-end ILD services including international private leased circuit (IPLC) service, the entities authorised to provide ILD service shall ensure that the foreign carrier does not acquire users in India and does not raise bills or collect revenue to or from any user of the ILD services in India.

(12) Cable Landing Station (CLS):

- (a) An authorised entity shall apply, in the form and manner as may be specified, and seek separate permissions and clearances for the establishment of CLS and submarine cable(s) landing in India:

Provided that an authorised entity applying for permission to establish CLS-PoP, shall not be required to obtain a separate permission and clearance for submarine cable(s) landing in India.

Provided further that the permission for international CLS and CLS-PoP shall be given to only such authorised entity who has been permitted to establish ILD gateway.

Provided also that the permission for domestic CLS shall be given to authorised entity which is providing any of the long distance services.

- (b) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under clause (a), and security vetting, if required, grant permission, subject to terms and conditions as it may specify, including the following:

(i) In respect of CLS, an authorised entity owning CLS may establish submarine line terminating equipment (SLTE) at such CLS or extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the main CLS to its CLS-PoP and establish SLTE at CLS-PoP:

Provided that an authorised entity having fibre pairs in the submarine cable but not owning the CLS may extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the CLS to its CLS-PoP and establish SLTE at CLS-PoP;

(ii) Domestic submarine cables shall connect two or more cities on the Indian coastline for carrying domestic traffic, and wherever required, the domestic submarine cable may go beyond Indian territorial waters (ITW) or exclusive economic zone (EEZ) of India for technical and safety reasons;

(iii) International submarine cable may carry domestic traffic on dedicated fibre pairs that are provisioned between two Indian cities:

Provided that such domestic traffic is not transited or routed through any other country outside India;

(iv) In case the domestic and international cables are separate, they can terminate at the same CLS, with each cable having its own separate power feeding equipment (PFE) and SLTE;

- (v) An authorised entity shall ensure that a physical separation of terminating equipment for domestic and international traffic is maintained;
 - (vi) Transit international traffic which is not meant to be terminated on telecommunication networks in India shall be permitted to be transited to other submarine cables through terrestrial as well as submarine cable links;
 - (vii) An authorised entity may lay stub-cable (pre-laid dark fibre) and either terminate them in their existing CLS or establish new CLS for such stub-cable with the prior permission of Central Government;
 - (viii) Equal access to facilities at the CLS including landing facilities for submarine cables of other authorised entities providing long distance service shall be given on non-discrimination basis in accordance with the regulation or directions of TRAI;
 - (ix) An authorised entity owning CLS shall permit an authorised entity owning the CLS-PoP to extend its fiber pairs on non-discrimination basis in accordance with the regulation or directions of TRAI; and
 - (x) Access or co-location at the CLS or CLS-PoP shall be governed by the orders, directions, guidelines, or regulations, issued by TRAI for this purpose.
- (13) An authorised entity having CLS shall seek separate permissions and clearances for additional submarine cable landing in India.
- (14) An authorised entity establishing CLS shall, in case of any fault in submarine cable, ensure timely repair of such submarine cable for expeditious restoration of telecommunication services.
- (15) An authorised entity shall make necessary arrangements on its own, or through agreements with the entities providing submarine cable repair service, to ensure that such fault in submarine cable is repaired within the time limit as may be specified by the Central Government:

Provided that the Central Government may issue any instruction or direction to all such authorised entities or licensees who have established CLS in India to form a consortium, to ensure that a cable repair ship, along with the required cable repair services team, is always available within the Indian territorial waters and such ship is made available to the consortium members for timely repair of domestic and international submarine cables.

84. Security Conditions

- (1) An authorised entity shall ensure that CLI is not tampered with and transit the CLI as received from other authorised entities or foreign carriers:
- Provided that* an authorised entity providing international long distance service shall drop all international incoming calls with no CLI or improper CLI or spoofed CLI at their gateways and for identifying an improper CLI, ITU-T recommendations on E.164 numbering scheme shall be referred:
- Provided further that* for prevention of spoofed incoming international calls, an authorised entity providing international long distance services shall implement the Local International Out Roamer (LIOR) and Central International Out Roamer (CIOR) system or any other system as may be specified by the Central Government from time to time;
- Provided also that* an authorised entity shall ensure that all international calls, handed over by an authorised entity to national long distance network or access service telecommunication network, should bear “Nature of Address Indicator (NAI)” field in case of CCS7 or equivalent field in SIP or IP signalling as “International Number”.
- (2) An authorised entity shall ensure that any agreement with foreign carriers shall have the necessary provisions including provisions for blocking of foreign carrier in case of non-compliance, in order to ensure conformity with sub-rule (1).
- (3) An authorised entity shall, at its own cost, provide specified space, with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning, which shall be physically secured and accessible only to the personnel authorised by the Central Government, at each international gateway location.
- (4) The authorised agencies may monitor the telecommunication traffic in relevant telecommunication equipment of the telecommunication network including the international gateway set up by an authorised entity and such authorised entity shall make arrangements for monitoring simultaneous calls by such agencies.

- (5) An authorised entity shall implement the interface requirements as well as features for all types of telecommunication traffic, for lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities, as specified by the Central Government, and shall ensure:
- suitable redundancy in the complete chain of lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities for trouble free monitoring of simultaneous calls, as specified by the Central Government; and
 - each relevant telecommunication equipment of an authorised entity shall have the capacity for provisioning the minimum number of telecommunication identifiers for monitoring, as specified by the Central Government.
- (6) An authorised entity shall, upon receiving a request from the relevant authorised agency, provide the call data records of all specified calls handled by its telecommunication network, at specified periodicity, in the form and manner, as may be specified on the portal, for this purpose.

85. VNO authorised to provide Long Distance Service

A VNO authorised to provide long distance service shall follow the terms and conditions of the long distance service authorisation along with the following specific conditions:

- the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to connect its network to its parent NSO's network and provide the details of such agreements, and update any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal;
- the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent NSO.
- the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network and telecommunication services.
- the VNO may provide domestic leased circuit to its users by:
 - connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent NSO; or
 - using the telecommunication network of its parent NSO.

SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES

Sl.No.	Category of service authorisations	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)
1.	Main Telecommunications Service Authorisations (NSO)	Unified Service Authorisation	1 lakh	12 crores	44 crores
2.		Access Service Authorisation	10,000	50 lakh (25 lakh for NE & J&K)	2 crores
3.		Internet Service Authorisation (National Area)	10,000	10 lakh	4 lakh
4.		Internet Service Authorisation (Telecom circle/ Metro Area)	10,000	50,000 (25,000 for NE & J&K)	20,000
5.		Long Distance Service Authorisation	10,000	1 crore	1 crore
6.	Main Telecommunication Service Authorisations (VNO)	Unified Service Authorisation	1 lakh	3 crores	4.4 crores
7.		Access Service Authorisation	10,000	12.5 lakh (6.25 lakh for NE & J&K)	20 lakh
8.		Wireline Access Service Authorisation	10,000	50,000 (25,000 for NE & J&K)	10,000

Sl.No.	Category of service authorisations	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)
9.		Internet Service Authorisation (National Area)	10,000	10 lakh	1 lakh
10.		Internet Service Authorisation (Telecom circle/ Metro Area)	10,000	50,000 (25,000 for NE & J&K)	10,000
11.		Long Distance Service Authorisation	10,000	25 lakh	50 lakh

SCHEDULE B: SERVICE AREAS

Sl.No.	Service Area	Area Covered
1.	West Bengal Service Area	Entire area falling within the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of Sikkim excluding the areas covered by Kolkata Service Area
2.	Andhra Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and Telangana State
3.	Assam Service Area	Entire area falling within the State of Assam.
4.	Bihar Service Area	Entire area falling within the re-organised State of Bihar and newly created State of Jharkhand pursuant to the Bihar Reorganisation Act, 2000 (No.30 of 2000) dated 25th August, 2000
5.	Gujarat Service Area	Entire area falling within the State of Gujarat and Union Territory of Daman and Diu, Silvassa (Dadra & Nagar Haveli)
6.	Haryana Service Area	Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges
7.	Himachal Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Himachal Pradesh
8.	Jammu & Kashmir Service Area	Entire area falling within the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.
9.	Karnataka Service Area	Entire area falling within the State of Karnataka
10.	Kerala Service Area	Entire area falling within the State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep and Minicoy.
11.	Madhya Pradesh Service Area	Entire area falling within the re-organised State of Madhya Pradesh as well as the newly created State of Chattisgarh pursuant to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No:28 of 2000) dated 25 th August, 2000.
12.	Maharashtra Service Area	Entire area falling within the State of Maharashtra and State of Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13.	North East Service Area	Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14.	Odisha Service Area	Entire area falling within the State of Odisha.
15.	Punjab Service Area	Entire area falling within the State of Punjab and Union territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16.	Rajasthan Service Area	Entire area falling within the State of Rajasthan.
17.	Tamilnadu Service Area (including Chennai Service Area)	Entire area falling within the State of Tamilnadu and Union Territory of Puducherry.
18.	Uttar Pradesh (West) Service Area	Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh :Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj (Kanshiram Nagar), Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida. However, it will also include the newly created State of Uttaranchal pursuant to the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No.29 of 2000) dated 25 th August, 2000.

19.	Uttar Pradesh (East) Service Area	Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun (Orai).
20.	Delhi Service Area	Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida, and Gurgaon Telephone Exchanges
21.	Kolkata Service Area	Local Areas served by Calcutta Telephones.
22.	Mumbai Service Area	Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone Exchanges

SCHEDULE C: MINIMUM EQUITY, MINIMUM NETWORTH FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES

SI.No.	Category of service authorisations	Service Authorisation	Minimum Equity (in Rs.)	Minimum Networth (in Rs.)
1.	Main Services Authorisations (NSO)	Unified Service Authorisation	25 crores	25 crores
2.		Access Service Authorisation	2.5 crores	2.5 crores
3.		Internet Service Authorisation (National Area)	10 lakh	Nil
4.		Internet Service Authorisation (Telecom circle/ Metro Area)	1 lakh	Nil
5.		Long Distance Service Authorisation	2.5 crores	2.5 crores
6.	Main Service Authorisations (VNO)	Unified Service Authorisation	10 crores	10 crores
7.		Access Service Authorisation	1 crore	1 crore
8.		Wireline Access Service Authorisation	1 lakh	Nil
9.		Internet Service Authorisation (National Area)	10 lakh	Nil
10.		Internet Service Authorisation (Telecom circle/ Metro Area)	1 lakh	Nil
11.		Long Distance Service Authorisation	1 crore	1 crore

SCHEDULE D: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION SERVICES

Department of Telecommunications

Section 3 (1) (a) of the Telecommunications Act 2023

- In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, I, _____ (name and Designation), Department of Telecommunications, _____ (address) acting on behalf of the President of India, on considering the Application NoDated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant), _____ (address) (hereinafter in this document referred to as the 'Authorised Entity').
- This service authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the rules made thereunder.
- The salient terms of this authorisation are given below:
 - Effective Date of the authorisation: (to be specified)
 - Period of Validity of the authorisation: _____ years from the effective date unless revoked earlier for reasons specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.
 - Scope of the authorisation: as specified in Part “ _____ ” of Chapter 8 of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025.
 - Service Area of the authorisation: (to be specified)

- (e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, and other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act 2023.
- (f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or other types of telecommunication services, in the same Service Area from time to time in future without any restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.
- (g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum to provision authorised telecommunication services, a separate specific frequency assignment shall be required from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.
- (h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found appropriate by the Central Government.

Date:

Name & signature of the representative of the Central Government
(On behalf of the President of India)

To,

(Name and Address of the entity)

[F. No. 24-07/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.